खण्ड-340, अंक-8
शनिवार, 19 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(9 जून, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय—सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1005–1007
भूमि विकास बैंक, लखनऊ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अनियमित भर्ती के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन से संज्ञान में लाना ..	1009
देवरिया जनपद के बन्द पड़े 333 राजकीय नलकूपों को चालू कराने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1009 1010
खीरी जनपद में बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1010
बनारस में बनारसी साड़ी कुटीर उद्योग में अनिश्चितकालीन हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1009–1010
आजमगढ़ में ईंट भट्ठा मालिकों को कोयले की आपूर्ति न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1011–1012
प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1012
ललितपुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में छात्रवृति वित्तरित न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1013
मथुरा में जमुना नदी में रंगाई की साड़ियों को धुलने से पानी विषाक्त हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1013
लखनऊ स्थित कला एवं शिल्प महाविद्यालय की गंभीर स्थिति के विषय की नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1014
मेरठ में वेश्याओं के अड्डे तथा बढ़ती हुई गुन्डा गर्दी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1014–1015
विविध विषय	1015–1017
जनपद लखीमपुर में ग्राम अजान के पास एक यन्त्र चालित गुब्बारा पाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1017–1018
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1018–1019

विषय	पृष्ठ-संख्या
1979–80 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या–56–कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या–57–गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या–61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या ९५–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97–कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99–क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 123 –कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124–क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1026–1104
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1104–1105
आर्यभट्ट की श्रृंखला में सफलता पूर्वक छोड़े गये उपग्रह 'भास्कर' के उपलब्धि पर भारत सरकार तत्संबंधी देश के महान वैज्ञानिकों को बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1105–1107
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी) ..	1107–1109
शिवराजपुर, कानपुर में कोल्ड स्टोरेज ढ़ह जाने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1109–1110
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1110
कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सात राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में पूरक परीक्षा समय से न होने के कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1111–1113

उत्तर प्रदेश, विधान सभा

शनिवार, 9 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--239

अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अब्बुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदित नरायन, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जग म्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जगेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर

त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बनारसी दास, श्री
बरफिया लाल जुबांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बसंत, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बंजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री

राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्र
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम आधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री

विद्या शंकर, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
सत्य प्रकाश श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हेम राज, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भूमि विकास बैंक, लखनऊ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अनियमित 1009 भर्ती के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

भूमि विकास बैंक लखनऊ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अनियमित भर्ती के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, भूमि विकास बैंक, लखनऊ तथा अन्य अपेक्स सहकारी संस्थाओं में लगभग 400 लड़कों की नियुक्तियां दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में पिछले वर्ष एडहॉक बेसिस पर बगैर निबंधक की स्वीकृति की गयी थी। ये सारी नियुक्तियां राजनैतिक दबाव में तथा प्रत्येक प्रनियुक्ति दो से तीन हजार रुपये तक लेकर की गयी हैं और इस कार्य द्वारा कुछ लोगों ने एक तरफ जहां लाखों रुपये की कमाई की है, वहीं पर प्रदेश के योग्य एवं प्रतिभावान लड़कों को सेवा के अवसर से वंचित कर दिया गया है। नियम तथा न्याय के अनुसार जिन अधिकारियों ने उपरोक्त लड़कों को नियुक्त किया है, इन्हें निबन्धक द्वारा सहकारिता अधिनियम की धारा 68 के अधीन सरचार्ज का नोटिस दिया जाना चाहिये, क्योंकि इस सम्बन्ध में नियमों की खुली अवहेलना की गयी है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अब सेवा मंडल ने भूमि विकास बैंक में लगभग 191 लिपिकों का चयन कर दिया है। अस्तु जिन लोगों ने उक्त लगभग 400 लड़कों की नियुक्ति रिश्वत के आधार पर कराया था, वे इस प्रयास में हैं कि निबंधक सहकारी समितियों से एडहाक पदों की स्वीकृति लेकर रिश्वत के आधार पर नियुक्त लोगों को 30 जून, 1979 तक नियमित कर दिया जाय और सरकार से उन्हें सेवा मंडल के समक्ष जाने से छूट दिला दी जाय।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस स्पष्ट एवं सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं पूरे मामले की जांच की मांग करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि सही स्थिति को सदन में स्पष्ट करने हेतु सरकार को इस बारे में इसी सत्र में वक्तव्य देने का निर्देश देने की कृपा करें।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने जो मसला उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है। अतः आपसे प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी द्वारा इस पर इसी सत्र में सदन के सामने वक्तव्य देने का निर्देश दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

देवरिया जनपद के बंद पड़े 333 राजकीय नलकूपों को चालू कराने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय, देवरिया जनपद में गत वर्ष 108 नये राजकीय नलकूप लगाये गये जिनमें 75 नलकूपों को बिजली दी गयी। शेष को आज तक बिजली नहीं दी गयी। लगभग 300 पूर्व से गड़े नलकूप बंद पड़े हैं जिनमें 50 के स्टार्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद---]

चोरी चले गये हैं, शेष में किसी की नाली खराब है तो कोई साधारण मशीनरी खराब होने से बंद हैं। स्टार्टर चोरी चले जाने एवं मशीनों को ठीक किए जाने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण जनों तथा अन्य प्रतिनिधियों ने सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से की किन्तु अब तक बंद पड़े नलकूपों को पुनः चालू कराने की व्यवस्था नहीं की गयी जिससे हजारों एकड़ भूमि में खड़ी गन्ना, मक्का, चना आदि की फसलें सूख कर जमीन पर गिर रही हैं। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर नलकूपों को चालू कराने की मांग किया था। खेद है कि शासन ने बंद पड़े नलकूपों को अब तक चालू कराने की कोई व्यवस्था नहीं की।

मैं जनहित में तत्काल बंद पड़े सभी नलकूपों को चालू करने की मांग करता हूं।

खीरी जनपद में बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान लाना

*श्री नरेश चन्द्र वर्मा (जिला खीरी)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में खीरी जनपद की निरन्तर गिरती हुई कानून और व्यवस्था को लाना चाहता हूं। जनपद में भय, असुरक्षा व अशान्ति का वातावरण व्याप्त है। 6 जून, 1979 को रात साढ़े सात बजे, जब बाजार खुली हुई थी, कोतवाली लखीमपुर के सामने, ठीक दस कदम की दूरी पर, हत्यारों ने सदन नाम के साइकिल दूकानदार को गोली मगर कर हत्या कर दी और दूकान में बैठे हुये जगदम्बा प्रसाद वर्मा एडवोकेट पर भी प्राण घातक हमला किया जिनकी हालत चिन्ताजनक है। कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जनता भयाक्रान्त है। 26 मई, 1979 को भी कोतवाली से 50 कदम की दूरी पर काश्मीर होटल के पास विजय गुप्ता पत्रकार रवक से प्राण घातक हमला किया गया था। 12 मई, 1979 को कोतवाली के दाहिनी तरफ 50 कदम पर कृष्ण कुमार त्रिवेदी की हत्या की गयी, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 18 अप्रैल, 1979 को पंजाब सिन्ध बैंक के मैनेजर की हत्या दिन दहाड़े तीन बजे कोतवाली के पास ही की गयी पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्लेखनीय है हत्या को आत्म हत्या में परिवर्तन कर दिया गया। इसी सप्ताह में अलीरजा नामक व्यक्ति का सर काट कर एक हत्यारा थाना पारधान में हाजिर हुआ, शेष हत्यारे फरार हैं दतेली गांव में एक व्यक्ति का कत्ल किया गया और दूसरे व्यक्ति की दोनों आंख निकाल ली गयीं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि शांति एवं व्यवस्था पर अविलम्ब काबू पाया जाये, पुलिस अधीक्षक व इंसपेक्टर कोतवाली को अविलम्ब हटाया जाये।

बनारस में बनारसी साड़ी कुटीर उद्योग में अनिश्चित कालीन हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री उपाध्यक्ष---

श्री शतरुद्ध प्रकाश जी के साथ श्री मुस्ताक अहमद का भी नाम जोड़ दिया जायेगा, उनकी भी सूचना प्राप्त हुई थी पर उसमें कुछ बातें अनिश्चित थीं। उनको मैंने इजाजत नहीं दी, पर उनका भी नाम इसमें जुड़ जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जनपद वाराणसी में 1 जून, 1979 से विश्व के सबसे बड़े कुटीर उद्योग बनारसी कपड़ा उद्योग में अनिश्चित कालीन हड़ताल के कारण व्यापक पैमाने पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और काफी बड़ी धनराशि राजस्व की क्षति हो रही है। शासन द्वारा यह घोषित किए जाने पर कि हथकरघे से बनी रेशमी बनारसी साड़ी पर प्रथम क्रेता पर दो प्रतिशत क्रय कर लगाया जायेगा, के फल-स्वरूप सम्पूर्ण वाराणसी, मुबारकपुर, मऊ की बनारसी साड़ी का रोजगार संकट में पड़ गया है। 1 जून, 1979 से बनारसी साड़ी की सभी दूकानें बन्द हैं। करघों पर बुनकरों ने काम करना बन्द कर दिया है। बनारस के विभिन्न मुहल्लों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बुनकर तथा इस उद्योग से सम्बन्धित व्यक्ति प्रतीक अनशन कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप प्रति दिन 15 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है और अब तक कुल 1 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है जिसमें आयकर, बिजलीकर, डाक व तार कर, टेलीफोन का बिल आदि भी शामिल है। इस उद्योग पर आश्रित करीब 5 लाख लोगों में से करीब साढ़े तीन लाख गरीब बुनकरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और कुछ घरों में तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और प्रस्तावित क्रय कर का लगाया जाना वाराणसी वस्त्र उद्योग के लिए अत्यन्त ही हानिकर होगा। जिसके तहत दुनिया के प्रसिद्ध बनारसी साड़ी का उद्योग, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश व तामिलनाडु में निर्मित रेशमी साड़ियों के मुकाबले कमजोर व हलका होने के साथ ही साथ नष्ट प्रायः हो जायेगा।

इस विषम परिस्थिति में शासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और गरीब बुनकरों पर लगने वाले दो प्रतिशत क्रय कर को समाप्त करके वाराणसी वस्त्र उद्योग को जो कि एक कुटीर उद्योग है समाप्त प्राय होने से बचाया जा सके ताकि दक्षिण भारत के मुकाबले वाराणसी साड़ी का कुटीर उद्योग आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश सहित बनारस का नाम विश्व में बरकरार रहे।

आजमगढ़ में ईंट भट्ठा मालिकों को कोयले की आपूर्ति न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के निम्न प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए शासन से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

मान्यवर, आज गढ़ जनपद में ईंटा भट्ठा चालकों के सामने कोयले की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाने से ईंटों का बनना तथा पकाया जाना लगभग बन्द हो गया है। ग्रामीण जनता गर्मी के महीनों में अपने मकान इत्यादि बनवाती है। लेकिन ईंट भट्ठों से कोयले की कमी के कारण ईंटों का मिलना कठिन हो गया है तथा ईंटों का दाम बढ़ भी रहा है। आजमगढ़ जनपद में कोयले की कमी के पीछे कुछ कोल एजेन्टों का हाथ है जिन्होंने जिला पूर्ति कार्यालय, आजमगढ़ से डी0 ओ0 प्राप्त किया और कोयले को हजारीबाग, झरिया और रामगढ़ में ब्लैक में बेच दिया। कोयला आजमगढ़ जनपद में नहीं आ सका। कोल एजेन्टों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम जी--]

इस गलत कार्य के कारण ईंट, भट्ठों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न हुई, मजदूर बेकार हो गए तथा ईंटों के दाम भी बढ़ने लगे, जिससे जनता में रोष व क्षोभ व्याप्त हो गया है। अस्तु आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि आजमगढ़ जनपद में कोयले के एजेन्टों द्वारा कोल के ब्लैक करने तथा तत्सम्बन्ध में हुए इस घपले व घोटाले की तुरन्त जांच की जाय तथा कोयले की आपूर्ति की शीघ्र व्यवस्था की जाय।

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना सदन तथा सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं :--

उत्तर प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दीर्घकाल से सेवारत समस्त प्रवक्ताओं और प्रदर्शकों को राज्य सरकार द्वारा अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण लेने हेतु, ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में, उपस्थित होने के लिए आहूत किया गया है, जिनमें सैकड़ों प्रवक्तागण तदनुसार प्रशिक्षण ले रहे हैं। उपरोक्त प्रकार के 5 प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ के विभिन्न विद्यालय भवनों में चल रहे हैं, इनमें से एक केन्द्र जे0 बी0 टी0 सी0 निशातगंज, लखनऊ से संचालित है। यह भवन किसी जमाने में पागलखाने के रूप में प्रयुक्त था। इसमें जेल की तरह बड़ी पुरानी बैरक हैं, जिनमें पेय जल तक की व्यवस्था नहीं है, जून की भीषण गर्मी में जो तापमान उपरोक्त बैरकों में, उसमें मानव तो क्या पशु भी अधिक समय तक ठहरना पसन्द नहीं करेंगे, परन्तु प्रवक्ताओं को वहां डेढ़ माह निरंतर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा, वह भी निःशुल्क नहीं। छात्रावास के प्रत्येक कक्ष में 3 प्रशिक्षार्थी हैं, जिनसे प्रति व्यक्ति 24 रु0 मासिक बिजली का खर्चा तथा 22 रु0 प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है, जो प्रति व्यक्ति 100 रु0 प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त है। इस प्रकार प्रत्येक कमरे पर 72 रु0 मासिक बिजली तथा 66 रु0 मासिक कमरे का किराया वसूल किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि भोजन, जलपान इत्यादि का पूरा खर्चा तथा लखनऊ आने-जाने का व्यय भी प्रशिक्षार्थी को स्वयं ही वहन करना है। ग्रीष्म कालीन अवकाश की अवधि में प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण का सारा आर्थिक भार प्रशिक्षार्थियों पर डाल देने की ज्यादती है, जिसके परिणामतः प्रवक्ताओं में तीव्र असन्तोष व्याप्त है। सरकार को इस स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिए।

ललितपुर जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में छात्रवृति वितरित न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना माननीय शिक्षा मंत्री को देना चाहता हूं। मान्यवर, सन् 1978-79 में जिला ललितपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां वितरित नहीं की गई हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर न मार्च में समस्त छात्रवृत्ति की धनराशि कालातीत होने से बचाने के लिए निकाल लिए परन्तु उप-विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर छात्रों की सूची नहीं दे रहे हैं। वह छात्रवृत्ति वितरित नहीं कराना चाहते, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनेक स्मरण-पत्र दिये, परन्तु कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे पिछले वर्षों की छात्रवृत्ति की राशि वापिस हो चुकी है। जो उप-विद्यालय निरीक्षक की हठधर्मता के कारण छात्र सूची न देने से ये वापस हुई है।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि तुरन्त कार्यवाही करें तथा गरीब हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत मिल सके।

मथुरा में जमुना नदी में रंगाई की साड़ियों को धुलने से पानी विषाक्त हो जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मथुरा शहर व जिले से समाचार मिला है कि जमुना नदी जो मथुरा शहर से बिलकुल चिपट कर जाती है, जल के बिना सूख चुकी है। थोड़ा जल जमुना नदी में है। इसमें भारी संख्या में साड़ियां जिनकी रंगाई शहर में हो जाती है धुलने को आती हैं और इतनी संख्या में धुलने आती हैं कि नदी का जल मीलों तक रंग छूटने से लाल ही लाल हो जाता है और इस रंग छूटने से नदी का पानी बिलकुल विषैला हो गया है, न मनुष्य स्नान कर सकते हैं, न जल पी सकते हैं और न मवेशी पानी पी सकते हैं। कितने ही मवेशी तो जमुना का लाल पानी पीने से मर गए हैं। नदी में इस दूषित पानी से मछली व कछुये भारी संख्या में मर गए हैं जो ढेर के ढेर नदी की पार पर खुले पड़े हैं। जिनमें भारी बदबू आ रही है। जमुन नदी के पास से निकलना बदबू के मारे मुश्किल हो रहा है। अगर स्थिति को तत्काल नियंत्रण में नहीं किया गया और साड़ियों का जमुना नदी में धोना कानूनन बन्द नहीं कराया गया तो मथुरा शहर व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर हैजा फैलने की पूरी-पूरी संभावना है। अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से तत्काल उचित प्रबन्ध करने तथा जमुना नदी का पानी स्वच्छ करने की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी को मालूम है कि शनिवार के दिन प्रश्न नहीं होते और सबसे पहले नियम 301 लिया जाता है।

लखनऊ स्थित कला एवं शिल्प महाविद्यालय की गंभीर स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

सविनय अनुरोध है कि मुझे निम्नलिखित समस्या को सदन में पढ़ने की आज्ञा दी जाये--आज प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। राष्ट्र के सामने भयंकर खतरा है। प्रत्येक महाविद्यालय में असंतोष व्याप्त है। इसी सन्दर्भ में मैं सदन का ध्यान लखनऊ में स्थित कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो लखनऊ विश्वविद्यालय का कला संकाय है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, वहां की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। विद्यालय के भवन का एक मात्र राजकीय वास्तु कला विद्यालय के लिए निर्धारित कर दिया गया है जिससे कला एवं शिल्प महाविद्यालय के 300 छात्रों का खेलकूद व प्राकृतिक अध्ययन बन्द हो गया है। इसी प्रश्न को लेकर विद्यालय में 6-3-79 से लेकर 20-4-79 तक हड़ताल रही जो सांस्कृतिक विभाग के मंत्री के आश्वासन पर वापिस ले ली गई। अभी तक इस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, कला एवं शिल्प विद्यालय, लखनऊ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विख्यात है। मान्यवर, इसमें अपने देश के बाहर के लोग भी पढ़ने आते ह। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विषय पर तुरन्त कार्यवाही की जाये ताकि कला एवं शिल्प विद्यालय में व्याप्त असंतोष दूर हो।

मान्यवर, इस पर तुरन्त कार्यवाही करने का आप....

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें नियम 301 के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैंने भी इसे देखा है। इसमें आप वक्तव्य दिलवा दें।

मेरठ में वेश्याओं के अड्डे तथा बढ़ती गुण्डागर्दी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मेरठ में गुन्डा गर्दी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, शराब की दुकानें लगभग हर बाजार में खोल दी गई है, अब तो नौबत इस बात पर आ गई है कि नाचने गाने के आड़ में शहर मेरठ के व्यापार केन्द्र तथा रमणीक बाजारों (बेगली बाजार तथा कबाड़ी बाजार) में स्थानीय प्रशासन की आखों के नीचे वेश्याओं के अड्डे खोले जा रहे हैं। इन बाजारों के साथ लगते शहरी हिस्सों इलाकों की यातायात में गम्भीर रोध है, वेश्याओं के रहने के कारण गुन्डा गर्दी तथा शराब बाजी तथा छुरेबाजी सरे बाजार होने लगी है।

मान्यवर, पिछले सप्ताह शहर आर्य समाज में समाज सेवाओं की विशाल बैठक श्री विनोद जी सम्पादक दैनिक प्रभात की अध्यक्षता में हुई जिसमें बदअखलाकी के अड्डों के खोले जाने की भारी निन्दा की है। समाज स्वयं सेवी का यह कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने इस समस्या की ओर सतर्कता पूर्वक ध्यान न दिया जो यह अड्डे समस्त समाज को अपने बदअखालाकी के चंगुल में ले लें समस्त समाज सेवी भयंकर आन्दोलन खड़ा करने की योजना बना रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आप द्वारा सरकार का ध्यान मेरठ शहर के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा साथ ही अनुरोध करता हूं कि सरकार स्थानीय प्रशासन को सतर्कता के कड़े आदेश दे इस प्रकार शहर में फैल रही गुन्डा गर्दी और उसके विरुद्ध समाज स्वयं सेवी के अन्दर असन्तोषों को समाप्त करे तथा वेश्यायों के अड्डे न खुलन पाये ।

विविध विषय

श्री सुन्दर लाल दीक्षित(जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष--

आपने लिखकर तो कुछ भेजा नहीं ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, सुन्दर लाल जी का जरा ख्याल रखें ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, लिखकर भेजा था । निर्माण का मामला है । तमाम पुल बन रहे हैं, दो महीने बाद बरसात आ जायेगी, लाखों रुपयों का घोटाला है, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता जो हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 301 में नहीं आता । लोक महत्व का विषय होना चाहिए।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के बोलते रहने पर)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह देखें कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री को बुला लिया है । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

लिखा जाये या न लिखा जाये । यह आपके विवेक का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये मैंने मुख्य मंत्री को बुला लिया है ।

[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

लिखकर आपने भेजा है ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

देव कुमार जी । आपने लिखकर भेजा है ?

आपका वह दो पन्ने का था, जो नियमानुसार लिया नहीं जा सकता ।

श्री देव कुमार--

कल मान्यवर, मैंने नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव भेजा था। बधाई प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, अभी बात हो चुकी है । यह ले आयेंगे । शासन की तरफ से आ जायेगा । आप बैठिये ।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपसे कल भी मिला था और आज भी मिला । आपकी आज्ञा से दो मिनट में एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 301 के अन्तर्गत ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको मैंने अस्वीकार कर दिया । उसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, आप सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह पुलिस के बारे में है, इसको मैंने अस्वीकार कर दिया । मैं इस पर बोलने की भी इजाजत नहीं दूंगा । जो आप कहेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । उसके बारे में मैं सुनना भी नहीं चाहता । जो आपने भेजा था, पुलिस के बारे में, उसको मैंने अस्वीकार किया ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दिया । कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

[× × ×]

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

नैनीताल में लाठी चार्ज के अन्तर्गत नियम 301 में एक सूचना आपने स्वीकार की थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह वक्तव्य हो गया । पूरक प्रश्न पूछने की भी मैंने इजाजत दी थी, उस समय आप शायद नहीं थे ।

जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम अजान के पास एक यन्त्र चालित चीनी गुब्बारा पाये जाने के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

दिनांक 28/29 मई, 1979 को जनपद खीरी (लखीमपुर) में थाना गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत ग्राम अजान में एक बड़े आकार का पालीथीन का गुब्बारा, जिसके साथ फोम के एक डिब्बे में एक उपकरण जिसमें अमेरिका निर्मित एवरेडी ड्राई बैटरी सेल लगे थे और जो एक पालीथीन के थैले में रखा था, पाया गया । डिब्बे पर 135-83301-77-1914 तथा 83360081 लिखा था । पालीथीन के थैले पर लाल रंग में चीनी भाषा में कुछ लिखा था । गुब्बारा, पालीथीन बैग व उपकरण आदि एक ट्रक ड्राइवर द्वारा थाना गोला पर जमा किये गये । प्राप्त सामग्री के परीक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

उक्त गुब्बारे में दो व्यक्तियों के देखे जाने और लापता हो जाने की पुष्टि अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार नहीं हुई है ।

इस संबंध में यह भी कहना है कि पूर्व में भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के गुब्बारे व उपकरण आदि पाये गये थे । उनके संबंध में आवश्यक छानबीन करायी गयी और यह पाया गया कि ऐसे गुब्बारों को ताइवान (कोमिनटांग) सरकार द्वारा मुख्य चीन की ओर भेजा जाता है और उसमें चीनी भाषा में छपे पर्चे भी रहते हैं जिसमें ताइवान सरकार की चीन विरोधी सामग्री होती है । इनमें से कुछ गुब्बारे वायु प्रवाह में परिवर्तन के कारण भारत में भी आजाते हैं । अतीत में पाए गये गुब्बारों में जो यंत्र मिले थे उनके परीक्षण कराये जाने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि वे वायु मापक यंत्र थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी श्री राम दत्त जोशी ने जो आपत्ति उठायी थी । कल मैंने उसको स्वीकार किया था । उसके ऊपर वक्तव्य हो गया । चूंकि वक्तव्य हो गया है इसलिये मैंने इसे अस्वीकार किया है ।

नोट :--[× × *]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो इस चीनी गुदवारे के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें मैं परम्परा नहीं बदलूंगा । प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, यह बड़े राष्ट्रीय महत्व का मसला है, स्पष्टीकरण का अवसर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं आप बैठें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अंतर्गत 7 सूचनाएं माननीय श्री देव कुमार, श्री देव बहादुर सिंह, श्री बाबू राम शुक्ल, श्री मंजूर अहमद, श्री गुलाब सेहरा, श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी, श्री मित्र सेन से प्राप्त हुयी थी जो दिनांक 7 व 8 जून को जनपद कानपुर के शिवराजपुर कोल्ड स्टोरेज के ढह जाने से 30 मजदूरों के मारे जाने और दर्जनों व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में है । एक सूचना श्री श्यामधर मिश्र व श्री राजपति मिश्र की प्रतापगढ़ में गेहूं खरीद व रखरखाव की व्यवस्था के संबंध में है ।

तो यह जो ऊपर वाली सूचना है इसको नियम 51 में भी कई माननीय सदस्यों ने दिया है । इस विषय को मैंने नियम 51 में स्वीकार कर लिया है । आज शाम तक शासन की तरफ से इस पर वक्तव्य आ जाना चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस समय शासन के पास जो सूचना उपलब्ध हो तो कहलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पूरी सूचना शाम को दे देंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैंने नियम 56 में निवेदन किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो गेहूं के बारे में सूचना दी है तो उसके बारे में विचार अगले सप्ताह में होगा । जिलेवार उसमें आपको आंकड़े उपलब्ध होंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं देखकर आया हूं । हजारों टन गल्ला आ रहा है । मैंने नियम 51 और 56 दोनों में दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके ऊपर चर्चा आने वाली है इसलिये इसे अस्वीकार किया है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी।

(श्री नारायण दत्त तिवारी को पुकारे जाने पर)

श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है तो आप क्यों बोल रहे हैं ? आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री देव कुमार---

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं, यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, खाद्य मन्त्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जब आप कोल्ड स्टोरेज के संबंध में नियम 51 में वक्तव्य दिलाने जा रहे हैं तो उसमें यह भी बात स्पष्ट होना चाहिये कि कोल्ड स्टोरेज की दीवाल एक ईंट की सच्ची थी। इसलिये कोल्ड स्टोरेज के स्टैन्डर्डाइजेशन की कोई बात आप कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर शाम को वक्तव्य आयेगा। आइटम नं० 6--कृषि मन्त्री।

[व्यवधान]

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)---

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दें। यह लिखा नहीं जायेगा जो माननीय सदस्य लिखकर देना चाहें वह दे दें।

श्री देव कुमार---

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष---

लिखकर आप दे दें। बोलने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आपका लिखा नहीं जायेगा।

नोट:---[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 55-कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61-क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या-68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-95-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-97 कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99-क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-121-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या-123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या-55 कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले...

(व्यवधान)

(श्री देव कुमार और मन्त्री जी एक साथ बोले।)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मन्त्री जी से आप कहें कि फिर से पढ़ दें दोनों आदमी बोलते रहे इसलिये समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर से पढ़ दें।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,30,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,58,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि का पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,83,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

संख्या 55-कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या-56 कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या-57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61-क्षत्राय विकास विभाग, अनुदान संख्या-68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत पारव्यय, अनुदान संख्या-97 कृषि विभाग-पूंजीगत पारिव्यय, अनुदान संख्या-99 क्षत्राय विकास विभाग-पूंजीगत पारिव्यय, अनुदान संख्या-121-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या-123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या-124 क्षत्राय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,94,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,07,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत पारिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,75,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97-कृषि विभाग-पूंजीगत पारिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,45,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 99-क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,00,01,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 121-(उद्योग विभाग) चीनी उद्योग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री शिवमंगल सिंह]--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल का सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 123-कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 124-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,50,01,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का मेरु दण्ड कृषि है और हमारा प्रदेश का कुल आय का लगभग 50.8 प्रतिशत कृषि से अर्जित होता है । इसी प्रकार हमारे प्रदेश में 50 फीसदी के लगभग ऐसे कृषक हैं जिनका जोत आध एकड़ से कम है और इसी प्रकार 92 प्रतिशत ऐसे कृषक हमारे प्रदेश में हैं जिनका जोत तीन एकड़ से कम है । वर्ष 76-77 में 199 लाख टन का उत्पादन इस प्रदेश में हुआ था जो 77-78 में बढ़ कर 22 लाख टन हो गया और 79-80 में 226 लाख टन प्रस्तावित हुआ था जिसको हमने बढ़ाकर 230 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है । तिलहन का उत्पादन 15.73 लाख टन हुआ । 1978-79 में 17 लाख टन संभावित है । और 79-80 के लिये 25 लाख टन का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

1976-77 में चावल का उत्पादन लगभग 43 लाख टन के करीब हुआ था । वह 77-78 में 52 लाख टन तथा 78-79 में लगभग 60 लाख टन हो गया । 76-77 में गेहूं का उत्पादन 89.40 लाख टन था और 78-79 में 105 लाख टन हो गया । चावल और गेहूं के उत्पादन में हमारे प्रदेश में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया । इस प्रकार चावल और गेहूं के उत्पादन में हमारे प्रदेश को एक अभूतपूर्व सफलता मिली । अब अगर उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाय तो वर्ष 76-77 में चावल और गेहूं का उत्पादकता क्रमशः 9.21 एवं 13.50 कुन्तल प्रति हेक्टर था, जब कि वर्ष 78-79 में यह बढ़ कर 11.57 एवं 15.49 कुन्तल प्रति हेक्टर हो गया । इसका अर्थ यह है कि जहां हमारे प्रदेश में उत्पादन में वृद्धि हुई है वहां साथ ही साथ प्रति हेक्टर पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है जो हमारे लिये काफी संतोष की बात है ।

इस वर्ष के लिये निर्धारित 230 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उसमें खरीफ, रबी और जायद फसल के कार्यक्रम बनाये गये हैं । प्रत्येक मुख्य फसल की रणनीति वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे ।

कृषि उत्पादन में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग का विशेष महत्व है । अतः मृदा परीक्षण कार्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रख कर शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है । इसके जरिये खेतों के अन्दर जो उत्पादकता है इसकी जाँच की जायगी और इसके लिये कार्यक्रम बनाया गया है । मंडलों में 10 सचल प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं जो घूम-घूम कर खेतों में इस कार्य को सम्पादित करेंगी । इससे किसानों को काफी

लाभ पहुंच रहा है । मिट्टी के विश्लेषण के आधार पर हमने प्रदेश के सभी विकास खंडों का एक मानचित्र तैयार कर लिया है और उससे हमें ज्ञात हो सकता है कि अमुक क्षेत्र के खेतों में क्या उपज हो सकती है, उनमें क्या कमी है और किस प्रकार से उनकी उपज बढ़ाई जा सकती है । इस मानचित्र से हमको काफी सहायता मिलेगी । मैं सोच रहा हूं कि आने वाले दिनों में ब्लाक स्तर से उठ कर ग्राम स्तर पर हम इन मानचित्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे ।

उर्वरकों की खपत बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है और इसके लिए हमारी जो शीर्षस्थ संस्थायें हैं, उनको फास्फेट और पोटाश उर्वरकों को अनुदान भी दिया जाता है । पिछले वर्ष प्रदेश की बाढ़ से क्षति हुई थी, इसलिए उर्वरकों के सम्बन्ध में किसानों को काफी अंश तक छूट दी गई थी ताकि बाढ़ के कारण जो उन्हें कठिनाई पैदा हुई है, वह दूर हो सके । मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को इस तथ्य से भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस नए ढंग की खेती में उर्वरकों के प्रयोग का एक विशेष स्थान होता है और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे अनाज के बढ़ने में काफी सहायता मिले । इस तरह से जहां वर्ष 1976-77 में 31.57 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक इस्तेमाल किया गया, वहां 1978-79 में 45.71 किलोग्राम हो गया और 1979-80 में इस उर्वरक की मात्रा बढ़कर 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है । इससे किसानों को लाभ हो सकेगा और उनके अन्न और बीज की मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी ।

माननीय, प्रदेश में उर्वरक प्राप्त करने के दो माध्यम हैं—एक पूल और एक नान-पूल से । माननीय, नान-पूल से जो उर्वरक मिलता है, वह तो अपने देश के अन्दर ही बनता है और हमें प्राप्त होता है, लेकिन पूल से जो उर्वरक प्राप्त होता है, वह विदेशों से आता है । इस तरह से हमें इस खाद के विषय में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । फिर भी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि खाद के मसले में किसानों को कोई कमी नहीं रहे । श्रीमन्, पिछले वर्षों में यदि आप खाद की कीमतें देखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि 1976 के बाद उर्वरकों की कीमतों में कमी आई है और दाम सस्ते हुए हैं । यह जरूर है कि खादों के सिलसिले में अनेक प्रकार की शिकायतें समय-समय पर माननीय सदस्यों द्वारा तथा अन्य लोगों द्वारा प्राप्त होती रहती हैं । यह बात सच है और सचाई को छिपाने से कोई लाभ नहीं है । लेकिन काफी हम उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करते भी हैं ।

[श्री शिवमंगल सिंह--]

हमारा लक्ष्य होते हुए भी, हमारी नीयत साफ होते हुए भी कभी-कभी कुछ ऐसे उदाहरण पेश होते हैं, जिससे हमको लज्जा आती है । अनेक मर्तबे कुछ ऐसी शिकायतें पिछले दिनों में आई हैं, जिन पर विभाग ने काफी तेजी के साथ कार्यवाही की भी है । जो फीगर्स सालम हुई हैं, उनके अनुसार मान्यवर, 1979 में 755 छापे मारे गए, 24 विक्रय केन्द्रों के रजिस्टर रद्द किए गए, 19 मामले पुलिस को दिए गए और 6 मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों को दन्डित किया गया । इस तरह से विभाग ने कार्यवाही की है ताकि कृषकों को उचित मूल्य पर और समय से खाद उपलब्ध हो सके । इस तरह से विशेष ध्यान दिए जाने के बाद हमारा जो खाद और बीज का सम्बन्ध है, उसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार न रहेगा । हम सख्त से सख्त कार्यवाही करने के कदम उठा रहे हैं ।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है 1976-77 में इस प्रदेश में 116 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई थी । 1978-79 में 121 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई और इस सिंचित क्षेत्र को 1979-80 में 240 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ाने का हम प्रस्ताव किए हुए हैं और आशा करते हैं कि इससे हमें सिंचन शक्ति प्राप्त होगी ।

मान्यवर, जहां तक बीज का सम्बन्ध है, कृषि उत्पादन में बीज का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और आवश्यकता इस बात की होती है कि किसान को उचित समय पर अच्छा बीज मिल सके । जहां तक अच्छे बीज की क्वालिटी बनाने का सम्बन्ध है, उस संदर्भ में हमने एक बीज प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना 1976-77 में की है । यह संस्था फार्मों के ऊपर, कृषि विश्वविद्यालयों के ऊपर तथा किसानों के खेतों के ऊपर उनके बीजों का प्रमाणीकरण करती है और उन्हीं प्रमाणिक बीजों को हम कृषकों में बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक अच्छे बीज उपलब्ध नहीं होंगे तब तक अच्छी उपज नहीं हो सकती है । इसलिए यह जरूरी है कि किसानों को अच्छे बीज मिलें । हम यह भी चाहते हैं कि किसानों को जो बीज मिलते हैं, उनके मूल्य रेशनल हों, थोड़ा सा अन्तर का तो औचित्य हो सकता है, लेकिन जब हम मूल्यों को देखने की कोशिश करेंगे तो विभाग द्वारा जो मूल्य तय किए हैं, वह अलग अलग प्रकार के मूल्यों में काफी कम हैं । इस वर्ष हमने धान आई० आर०-8 का मूल्य 140 रु० प्रति क्विन्टल तय किया है जब कि राष्ट्रीय बीज निगम का मूल्य 210 रु० प्रति क्विन्टल है ।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो बीज राष्ट्रीय बीज निगम से और तराई बीज निगम से आते हैं उनके दामों में काफी अन्तर कभी-कभी होता है । उनसे पूछने से पता चला है कि वह जो दाम निश्चित करते हैं, वह प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसमें वह अपने प्रबन्ध का व्यय भी शामिल करते हैं और जो फुटकर विक्रेताओं का लाभांश तथा और जितने खर्च होते हैं, वह उसमें शामिल होते हैं । मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि इतना अधिक अन्तर मूल्यों में नहीं होना चाहिए । इसलिए इस वर्ष मैं विशेष प्रयास करूंगा कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय बीज निगम से तथा तराई बीज निगम से कि उनके जो बढ़े हुए मूल्य हैं, उनको नीचे की तरफ लायें, जिससे किसानों को काफी सुविधा प्राप्त हो ।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को भलीभांति कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि उनकी फसलों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। बहुत सारे रोग इन फसलों में पैदा होते हैं, बहुत सारे कीड़े लगते हैं और ऐसा देखा गया है कि काफी अच्छी फसल होते हुए भी कीड़ों की वजह से, रोगों की वजह से किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ती है। इसपर हमने कृषकों को अनुदान देने की भी व्यवस्था की है और गत वर्ष हमने 60 लाख रु० की लागत से 13,400 स्प्रेयर 50 परसेन्ट अनुदान पर कृषकों को बाँटे थ। इसके अतिरिक्त हमने हर ब्लाक स्तर पर यह भी व्यवस्था कर दी है कि समुचित रूप से इन रोगों के निदान के लिए जो हमारी दवाइयां हैं और जो उपचार हैं, वह प्रत्येक ब्लाक में काफी मात्रा में रखे जायं, जिससे जब कभी इन क्षेत्रों में इस तरह की बीमारियां आयें और किसानों की फसलें रोगग्रस्त हों, उनका तुरन्त उपचार किया जाय और कोशिश की जाय कि किसानों की फसल को क्षति न पहुंचने पाये।

मान्यवर, हमें खाने के तेलों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें विदेशों से मंगाना पड़ता है जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए वर्तमान सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने जा रही है, जिसमें तिलहनों के फसलों के क्षेत्र को बढ़ायें, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। उनकी उपज के लिए सरल विधियां निकालें। इसके लिए हमने पर्वतीय क्षेत्र और बुंदेलखंड में विशेष रूप से सोयाबीन उपज पर बल दिया है। सोयाबीन का किसानों को अच्छा मूल्य मिल जाता है और इससे हमारे तिलहन की समस्या हल होने की सम्भावना हो सकती है। इसी संदर्भ में माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहूंगा कि जहां 1976–77 में 44 हजार हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई थी, वहाँ 1979–80 के अन्दर हमने 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया है, जिसके अन्दर हम तिलहन की खेती कराने जा रहे हैं। सूरजमुखी का कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं, लेकिन सूरजमुखी के अन्दर ऐसा देखा गया है कि जितना लाभ अभी उससे सोचते हैं, वह किसानों को प्राप्त नहीं होता है और न ही इतना लोकप्रिय हो सका है। सूरजमुखी की पैदावार एक्सपोर्ट में तो काम आ सकती है, जैसे रूसिया वगैरह देशों में सूरजमुखी के तेल का काफी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे देश में अभी इसकी लोकप्रियता इतनी नहीं बढ़ी है। फिर भी हम अपने प्रदेश में सूरजमुखी की खेती करायेंगे और इसको बढ़ावा देंगे।

दलहन की फसलों को बढ़ाने के लिए भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रबी और खरीफ के बीच के समय में आमतौर से किसान की एक आदत सी पड़ी हुई है खेतों को खाली रखने की। हमारे वर्तमान कृषि कार्यक्रम

[श्री शिवमंगल सिंह--]

के अन्तर्गत अभी ऐसी आमदनी कृषि के अन्दर नहीं होती है, जिससे काश्तकार अपने भविष्य का पूरा भाग्य निर्धारित कर सकें । इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की फसलों को अधिक से अधिक पसा मिल सके, प्रोत्साहित किया जाए । चाहे वह नकदी के रूप में प्रोत्साहन दें या किसी दूसरे रूप में ।

हमारी मूल मंशा है कि रबी और खरीफ के बीच में खेतों का पूरा उपयोग किया जाय । हमें बहुफसली खेती का प्रयास करना है । चाहे सब्जी के अन्दर या अन्य चीजों के अन्दर, हमेशा उन खेतों का प्रयोग होता रहे, जिससे एक अतिरिक्त आय किसान को मिल सके । इसी सन्दर्भ में हमने मूंग टाइप 44 की खेती पर विशेष बल दिया है । जहां पिछले वर्ष इस मूंग टाइप 44 की खेती का क्षेत्रफल 2.50 लाख था, वहां इस वर्ष हम 7 लाख क्षेत्र में इस मंग की खेती करने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि मूंग की खेती को बढ़ाने से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और बीच में जो खेत खाली रहे हैं, अनुत्पादक हो जाते हैं, जिसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है, इस प्रवृत्ति में भी एक परिवर्तन आएगा और इससे किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी । इसीलिए हम जायद की फसल पर विशेष जोर दे रहे हैं । हमारे प्रोग्राम की केन्द्रीय सरकार ने भी काफी सराहना की है । मूलतः इस प्रोग्राम में हम जहां ट्यूबवेल लगे हैं, उन्हीं के पास एक एकड़ क्षेत्रफल में हम इसको ले रहे हैं ताकि इनको पानी की भी असुविधा न हो और सही तरह से इसकी पैदावार हो सके और किसानों को इसका समुचित लाभ मिल सके । इसी तरह से 1978-79 में हमने चावल.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, अभी आपका केवल कृषि विभाग पर भाषण चल रहा है । अभी गन्ना विकास बाकी है । आधा घंटा हो गया । आप जरा समय का ध्यान रखें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

अभी तो क्षेत्रीय विकास भी बाकी है ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मैं इस सम्बन्ध में एक अनुरोध कर दूं कि जिस विषय का अनुदान आज माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, यह एक विकास से सम्बन्धित विषय है और अगर प्रत्येक प्रोग्राम का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो शायद पूरा दिन लग जाएगा । मैं प्रयास करूंगा कि जितना कम समय लग सके लगे । क्योंकि इसमें कृषि भी है, क्षत्रीय विकास और गन्ना विकास भी है । सब विकास का कार्यक्रम है, इसलिए माननीय सदस्यों को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । आप हमें कुछ अधिक समय दें ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, सब विनाश का काम बनारसी दास जी ने इनको ही दे दिया है ।

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या–56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री शिव मंग ि ह--

तो चावल 60 लाख टन उत्पादन की हमारी नीति है। 79–80 का लक्ष्य 64 लाख टन था। हम चावल की पौध लगाने और उन्हें उर्वरक देने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही सिंचाई के साधन देने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि चाव ल की कीमत भी हमारे यहाँ अच्छी मिले और किसान को लाभ मिल सके।

इसी तरह से गेहूं के उत्पादन में भी हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जैसा पिछले वर्ष हुआ था, अगले वर्ष उससे भी अधिक उसका उत्पादन हो। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैं यह अनुरोध करूंगा कि जहां गेहूं का यह उत्पादन हमारे लिए गौरव की बात है....

[कांग्रेस (आई0) सीटों की तरफ परस्पर बात होने पर।]

श्री उपाध्यक्ष--

मालूम पड़ता है कि माननीय मंजूर अहमद की कृषि और गन्ना विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

जब विनाश ही सहारा है, तो क्या सुना जाय।

श्री शिव मंगल सिंह—

मैं निवेदन कर रहा था कि जहाँ इस प्रदेश ने उत्पादन में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, यह अच्छी बात है, लेकिन किसान गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, यदि उसको सही मूल्य नहीं मिल सका तो उसको बहुत बड़ी निराशा होती है। जहाँ तक मूल्यों के निर्धारण का सवाल है, वह भलीभांति इसे जानते हैं कि यह मूल्य निर्धारण का कार्य केन्द्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है... (व्यवधान) आप थोड़ा सा धैर्य रखें। तो कृषि मूल्य आयोग विशेषज्ञों द्वारा इसका सर्वेक्षण कराता है, उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर राज्य सरकार से परामर्श करके मूल्य तय करता है और उसकी सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करता है और केन्द्र सरकार उसकी सिफारिशें पहुंचने के बाद राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप से मूल्य निर्धारित करती है। जहाँ तक प्रदेश सरकार का सवाल है, हमने कभी भी कोई ऐसा मूल्य नहीं निर्धारित किया है, जो वास्तव में किसानों के लिए हानिकारक हो। चूंकि यह मूल्य निर्धारण का काम एक पूरे देश के आधार

[श्री शिव मंगल सिंह--]

पर होता है, इसलिए केन्द्र सरकार जो मूल्य निर्धारित कर देती है, उसका हमें भी अनुपालन करना पड़ता है । हम प्रत्येक वर्ष इस बात का प्रयास करते हैं कि किसानों को अच्छा से अच्छा मूल्य दिला सकें और हमारी सिफारिशें उसी नीति के अनुरूप होती हैं ।

अब इस सम्बन्ध में हमारी एक नई योजना है, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा । कृषि अनुसन्धान प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि जहां अच्छे कृषि उत्पादन के लिए उर्वरक, अच्छे बीज, पानी आदि की आवश्यकताएं होती हैं, वहां यह भी आवश्यकता होती है कि किसान अपने अन्दर इस बात का ज्ञान पैदा करे कि वह किस मात्रा में किस चीज का प्रयोग करे । क्योंकि यदि खेतों के अन्दर सन्तुलित ढंग से खाद या बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उससे अपेक्षित उपज नहीं होगी, तो उसमें कभी-कभी धोखा होता है ।

इसलिए एक अग्रगामी योजना कृषि प्रदर्शन केन्द्र झांसी और बाराबंकी में कार्यान्वित की गई है, जिसके अन्तर्गत हम टोली बनायेंगे और टोलियों को जनपद के गांवों में भेजेंगे ताकि कृषकों को जाकर जो पद्धति है, कितनी मात्रा में खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में बीज डालना चाहिए, इन सारी चीजों से अवगत कराएं । यह भी देश के लिए एक आवश्यकता है, हमें किसानों को काफी मात्रा में शिक्षित करना है जिस मात्रा में शिक्षित करेंगे, उसी मात्रा में उत्पादन कार्य आगे बढ़ाएंगे । इसके अतिरिक्त हमने यह भी कोशिश की है कि जो नये-नये टेकनीक हैं, कार्यक्रम हैं, जो समय-समय पर वैज्ञानिकों द्वारा पेश किए जाते हैं, उनको टेप करवायें, और रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित करवायें ।

आपको याद होगा कुछ वर्ष पूर्व कृषि विभाग, हम लोगों ने अपने जमाने में देखा हुआ है, सचल चित्र का गाँव-गांव में प्रदर्शन किया जाता था कि किस प्रकार खेती करनी चाहिये, किस प्रकार बीज डालना चाहिये, खाद डालनी चाहिये, इन सारी बातों का प्रदर्शन होता था । धीरे-धीरे उसमें कमी आ गई । सम्भवत: रेडियो और दूरदर्शन की वजह से भी इस प्रचार कार्य में कुछ कमी आ गई । लेकिन मेरा निजी विश्वास है, अभी हमारे प्रदेश में ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक किसान के यहां दूरदर्शन और रेडियो हो । ट्रांजिस्टर, रेडियो काफी देहातों में हैं । लेकिन उस मात्रा में नहीं हैं । इसलिये इस प्रयास को बढ़ायेंगे कि चल चित्रों के माध्यम से देहातों के अन्दर कार्यक्रम बनायें, जिसके अनुसार, 10-10, 5-5 गाँवों को लेकर खेती के जितने भी विकास के कार्य हो सकते हैं, नई-नई चीजें आती हैं, उनके लिये चित्रों को दिखलायें ताकि किसान लाभान्वित हो सकें ।

माननीय, मैं इस संदर्भ में यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कृषि यंत्रों के प्रदर्शन और प्रचार के उद्देश्य से एक अग्रगामी योजना प्रदेश के दो जनपदों में पांच-पांच विकास खंडों में प्रस्तावित की है । जितने हमारे नए तरह के यन्त्र हैं, उनका समुचित ज्ञान किसानों को दिलाया जाय बल्कि उनको बनाने और रख-रखाव जिस तरह से होता है, उसमें उनको शिक्षित किया जाय ताकि उन संयंत्रों से वे लाभ उठा सके । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को गोबर गैस संयन्त्र उपलब्ध कराने के लिए जितना गोबर गैस संयन्त्र बनाया गया है जो काफी प्रचलित है । उसकी कीमत आधी है, पिछले जो गोबर गैस संयन्त्र हैं उनसे । इसमें न लोहा का प्रयोग होता है न टीन का । बल्कि सीमेन्ट और ईंटों से बनाये जाते हैं । ये काफी सस्ते होते हैं । जनता संयन्त्र से किसानों का काफी लाभ हो सकता है और उत्पादन कार्य में सहायता मिल सकती है।

संख्या 55-कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 6?-क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या-68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-97 कृषि वि ाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या-123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या-124 क्षेत्रीय विकास विभ ग-ऋण और अग्रिम

इन सारे प्रयासों के बावजूद भी हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक वर्ष लगभग हमारा किसान दैवी आपदाओं का शिकार होता है। कभी बाढ़ से और भी सूखे से ग्रस्त होता है। प्रत्येक वर्ष इसी विधान सभा के अन्दर माननीय सदस्यों को ज्ञान होगा सरकार को काफी पैसा अनुदान के रूप में और सहायता के रूप में जो लोग इन दैवी आपदाओं से प्रभावित होते हैं, उन पर खर्च करना पड़ता है। जहाँ तक किसानों का सम्बन्ध है, मैं ऐसा समझ ता हूं कि किसानों की फसल की जो क्षति होती है, उसका मुआवजा रुपयों में नहीं दि ा जा सकता है। हम आंशिक रूप से आंसू पोछने के लिए सहायता कर दें वह अलग बात है लेकिन जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। जो भी वक्ति आया है उसने किसान के हित की बात की है लेकिन जो किसान का अहित हुआ है, उस सन्दर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं वर्तमान सरकार की ओर से माननीय सदस्यों को अवग ाना चाहता हूं कि हमने फसल बीमा योजना को लागू करने पर विचार करने का निर्ण लिया है और उसके लिए एक समिति बना दी है और निकट भविष्य में जैसे ही इसकी संस्तुति प्राप्त हो जावेगी, अगर वह व्यवहारिक होगी तो हम उसको लागू करेंगे।

श्री मन्जूर अहमद--

आप उसको ब तक लागू करेंगे ?

श्री यश पाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो निर्णय लिया है वह 'यदि' के साथ लि ा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी ने कहा कि कमेटी बैठा दी है और वह उस पर विचार करेगी, सरकार ने निर्णय कर लिया है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

कांग्रेस के भी मन्त्री इसी तरह का आश्वासन देते थे।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला ब राबंकी)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी में कौन-कौन से सदस्य हैं, क्या सदन के भी सदस्य उसमें हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं तो माननीय सदस्यों को विचार करने में सुविधा होगी। फसल बीमा योजना कोई आसान काम नहीं है। केन्द्र की सरकार ने भी इस सम्बन्ध में अनेक वर्ष काफी प्रयास किए हैं लेकिन वह अभी तक किसी निश्चित रूप पर नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए अपने प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसका दिल और दिमाग बन चुका है कि फसल बीमा योजना को लाग करेगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक्सपर्ट्स, इन्स्टीट्यूशन फाइनेन्स तथा जनरल इन्श्योरेन्स के लोगों से राय लेनी होगी और उसके बाद ही कोई निर्णय करेंगे, इसलिए सदन के अन्दर वैसी ही घोषणा की जा सकती है जो वर्तमान स्थिति हो। सरकार ने इस पर निर्णय ले लिया है और एक समिति का निर्माण कर दिया है। विचार विमर्श होगा और जब कोई संस्तुति उस समिति की आ जावेगी तो उसी के अनुसार कार्यवाही करने की कोशिश की जावेगी।

माननीय, अब मैं भूमि संरक्षण के बारे में माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इस के द्वारा बीहड़ सुधार और ऊसर सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि 1978-79 में 16 हजार हेक्टर ऊसर सुधारने का लक्ष्य था और इस वर्ष 35 हजार हेक्टेयर ऊसर सुधार का लक्ष्य रखा गया है। यह पिछले साल से दुने से अधिक है। इस सन्दर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि ऊसर और बीहड़ क्षेत्रों को सुधारने में त्वरित गति से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हो चुकी है। इससे हमारे पास जो बेकार भूमि पड़ी हुई थी, उसका सुधार होगा और वह किसानों के हाथ में आकर उत्पादन की वृद्धि में हिस्सा बटायेगी। यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है और सही माने में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। हमारी यह कोशिश होगी कि अधिक से अधिक भूमि को तोड़ा जावे जिससे जो बढ़ती हुई जन संख्या है, उसको देखते हुए लोगों को कार्य करने का अवसर मिल सके।

श्री देव बहादुर सिंह—

भूमि सेना बन गयी है या नहीं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मैं तो अभी निगम की बात कर रहा था और यह बता रहा था कि हम ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास कर रहे ह।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

आप भूमि सेना का इनको ही (माननीय देव बहादुर सिंह को) सभापति बना दीजिए।

श्री शिव मंगल सिंह—

वर्तमान सरकार की जो नीति है वह यह है कि हम ऊसर भूमि को अधिक से अधिक उपजाऊ और कृषि योग्य बनायें और अधिक से अधिक लोगों को काम दे सकें। इसमें बहुत से कार्यक्रम हो सकते हैं जैसे भूमि सेना भी है और 5-6 गांवों के क्लस्टर बनाकर उनको उस जमीन से लाभ पहुंचाने की योजना भी हो सकती है। यही कारण है कि कृषि विभाग ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी बल दे रहा है और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि अपने प्रदेश में अधिक से अधिक भूमि कृषि योग्य बना सकें।

कृषि उत्पादन मंडी का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे सामने आता है। माननीय सदस्य इस बात से भलीभांत अवगत हैं कि पिछले दिनों म हमारे किसानों का व्यापारियों द्वारा शोषण होता रहा है और हमारे देश का परम्परा यह रहा है कि अधिक स अधिक लोग शोषण करने का बात सोचते हैं। वर्तमान सरकार का यह निश्चित नीति है कि हम किसानों का शोषण नहीं होने देंगे और जब आप किसानों के शोषण को बन्द करने की बात सोचेंगे तो देश म जो प्रभावशाली व्यक्ति या पूंजीपतियों के नाम स मशहूर हैं उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें हमें अपने दिमाग को साफ कर लेना होगा कि जब दो परस्पर विरोधी एक किसान और शोषण करने वाला व्यापारी तो कोई भी सरकार ऐसा कानून बना दे या कोशिश करे कि किसान भी खुश रहे और व्यापारी भी खुश रहे, यह असम्भव बात है। वर्तमान सरकार किसानों के लिए समुचित व्यवस्था करने और उनको शोषण से बचाने के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए हमने मन्डी समितियों का स्थापना की है। हमारे प्रदेश में 251 मंडियां है और उनके अन्तर्गत 365 उप-मंडियों को हमने विनियमित कर दिया है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मंडी समितियां तो 1964 से स्थापित की गयी थीं।

श्री शिव मंगल सिंह—

कागजों में कर देना दूसरी बात है लेकिन धरातल पर उतारने की बात और है। मैं समझता हूं कि 1964 में अधिनियम तो बन गया था लेकिन मंडी समितियों का विभाग कहीं नहीं हुआ था। एक साल से इसमें वृद्धि हुयी है। जब से जनता की सरकार बनी तबसे उसने किसानों को अत्यधिक सुविधायें दी और जहां पर अन्य प्रकार की सुविधायें दी वहीं हमारे विभाग में यह बात भी थी कि जो लूट व्यापारियों द्वारा इन किसानों की हो रही है उसको समाप्त किया जाय। इस सन्दर्भ में 2 ही बातें हैं कि या तो हमारी समझ में उनमें ऐसा सद्भाव, ऐसा ज्ञान पैदा होता कि जिस प्रकार से व्यापारी समझता कि चूंकि वह व्यापार करता है इतना मुनाफा उसे मिलना चाहिए, इसी प्रकार से अगर व्यापारी यह सोचता कि किसान धूप में, सर्दी और बरसात में फसल पैदा करता है तो उसका भी नैतिक अधिकार है कि वह अपनी फसल का उचित मूल्य ले सके।

अगर यह सद्भाव व्यापारी में हो जाता तो नियम भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी और समाज में इस प्रकार की असंतुलन और विषमता न रहती। मुट्ठी भर लोगों द्वारा पूंजी को इकट्ठा किया जाता है और जितने

[श्री शिव मंगल सिंह--]

किसान है सम्भवतः उसको उतनी भी आमदनी नहीं होती है साल भर में कि वे अपना जीवन निर्वाह करके अपने बाल-बच्चों को पढ़ा भी सकें। अपने बदन पर कपड़ा भी रख सकें। इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिये हम मंडी समितियों को सशक्त बनाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि जो भी थोक व्यापार होते थे वे सभी एक स्थल से हों ताकि उन पर ठोक से नियन्त्रण रखा जा सके। इसका अधिनियम सन् 64 में बनाया गया था। अब तक जितनी भी मंडी बनी हैं उनका शहरों के ही नजदीक बनाया गया है। अब हमारा प्रयास यह है कि जो और 35 मंडी हम बनाने जा रहे हैं वे ऐसी जगह बनायें ताकि किसान को अपना माल लेकर 10-15 मील से अधिक न जाना पड़े। हमारा यह भी प्रयास है कि बिचौलियों द्वारा किसान का जो शोषण होता है वह न हो सके। यह लोग गाव में ही जाकर किसानों से उनका माल लिया करते हैं क्योंकि गाव में सड़कें आदि न होने के कारण किसान अपना माल नहीं ला पाते। साधन न होने की वजह से वे बेचारे उनके हाथ अपना माल कम दामों पर ही बेच डालते थे। इसके लिये हमने गाव से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों के बनाने का भी निश्चय किया है।

हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि 1500 आबादी वाले प्रत्येक गांव को एक सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़ा जायेगा। इसके फलस्वरूप 2580 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनायी गयी हैं... (व्यवधान) हां, कच्ची हैं, पर अभी तक तो यह भी नहीं थीं। 2431 पुलियें बनायी गयी हैं। भविष्य में जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा इन कच्चे सम्पर्क मार्गों को पक्का किया जायेगा।

अब सन् 1979-80 के लिये जो नयी प्रस्तावित योजनायें हैं उनका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। 8 प्रस्तावित योजनायें हैं--(1) दलहन की फसलों की सघन खेती की योजना--23 लाख की। (2) प्रदेश के मैदानी भागों में सिंचाई संयत्र लगाने की योजना--6.92 लाख की। (3) प्रदेश के 28 मैदानी जनपदों में भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं के विस्तार की योजना--25 लाख की। (4) प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सघन पद्धतियों के विस्तार की योजना--3 लाख रुपये। फोन, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से कृषि सूचना मुख्यालय की योजना में 2.63 लाख। उन्नतिशील कृषि यंत्रों के प्रदर्शन, प्रसार, विकास के समीकरण की योजना में 7.94 लाख है। कृषि सांख्यकीय सर्वोन्मुखी योजना में 0.1 लाख है। कृषि निदेशालय स्तर पर अधिष्ठान अनुभागों के सुदृढ़ीकरण की योजना में 3.10 लाख है।

उद्यान एवं फल उपयोग के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि पौष्टिक आहार विशेषज्ञों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन यापन के लिए 85 ग्राम फल तथा 300 ग्राम शाक भाजी प्रति दिन खानी चाहिए।

(व्यवधान)

संख्या 55--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या- 56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या--57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61--क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या--68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या--95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--99 क्षेत्रीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या--124 क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी 4 बजे तक अगर बोलें तो 1 घंटा सदन में और लोगों को मिल जायगा । तो 4 बजे तक इनको समय दे दें, बाकी एक घंटा में सब लोगों को बोलने के लिए मिल जायगा ।

(व्यवधान)

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मन्त्री जो दो दिन बोलें, तो भी कम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, अभी तो आपको जबाब देने का भी अवसर मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री शिव मंगल सिंह--

मनुष्य के जीवन में पौष्टिक आहार एक बहुत बड़ा महत्व होता है । हमारे देश में जहां कि देहाती क्षेत्रों में लगभग 47 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा सीमा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ पर जीवन में पौष्टिक सामग्री की बात होती है, शायद यह मखौल की बात हो सकती है । लेकिन हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए हम इस पर भी नहीं चल सकते हैं कि हमारा देश सदैव पिछड़ा रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, पौष्टिक आहार की बात माननीय मन्त्री जी न कही...

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे--

बैठिये आप, बलिया का मामला है, आप बोलने नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राज ब्रज राज सिंह (जिला खीरी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय देव बहादुर सिंह जी, आपको व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी ?

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, इनका मतलब है कि आलू जो मेरा है, वह सड़ रहा है ।

श्री शिव मंगल सिंह--

इस सन्दर्भ में मैं इतना आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारी प्रोडक्शन की प्लान है, अभी वह केवल लखनऊ के अन्दर आधारित थी....

(व्यवधान)

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)--

मान्यवर, इतनी बातचीत हो रही है, इस तरह से कैसे सदन चल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें, माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें ।

श्री शिव मंगल सिंह--

प्रदेश में सुनियोजित उद्यान विकास कार्यक्रम के सम्पादन के फलस्वरूप वर्ष 1978-79 में फल, शाकभाजी तथा आलू के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 1976-77 में जहां फल का 25-45 लाख टन, शाकभाजी 45-55 लाख टन तथा आलू 30-00 लाख टन उत्पादन था, वह बढ़कर वर्ष 1978-79 में क्रमशः 28-15 लाख टन, 55-25 लाख टन तथा 45-00 लाख टन होने का अनुमान है जो एक कीर्तिमान है । वर्ष 1979-80 में फल का 29-80 लाख टन, शाकभाजी 59-85 लाख टन तथा आलू का 46·00 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य है । तो इस संदर्भ में आप से यह अनुरोध करना चाहता हू कि जो हमारा इस विषय में प्रयास है वह यह है कि हम अच्छे किस्म के ही बीज और उन्नतिशील तरीके के बीजों का उपयोग में लायें, जिससे कि हम अच्छे फलों का उत्पादन कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, सब्जी की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं । इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि सब्जी का उत्पादन अच्छा तरह से हो सके, जिससे कि किसानों को इससे काफी पैसा मिल सके । फलों के बारे में जिस प्रकार से तेजी से कार्य होना चाहिए, उस प्रकार से इस प्रदेश में नहीं हो रहा है । कोई वजह नहीं है कि आज हिमांचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के मुकाबले में हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं । हमारे फुनायूं के क्षेत्र में काफी अच्छे-अच्छे सेव पैदा कर सकते हैं । इस संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का युग एक कम्पीटीशन का युग है । हम केवल देश के अन्दर अपने उत्पादन को देखकर

संख्या-55 कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61-क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या-68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या-123 कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या-124 क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम ;

संतोष नहीं कर सकते । आज हमें इस देश की सभी वस्तुओं के बारे में कम्पटीशन के बेसिस पर सोचने की आवश्यकता है । जितने भी देश हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसलिए अगर हम प्रगति की बात नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते । इसी तरह से जो हमारे अधिकारीगण हैं, सोचते हैं पिछले साल 5 लाख टन और इस साल 6 लाख टन उत्पादन हो गया, प्रसन्नत व्यक्त करते हैं । मैं समझता हूं कि कोशिश होनी चाहिए कि क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो । एक समय था जब भारतवर्ष में चीनी का महत्व था लेकिन मुझे दुःख है कि आज मारिशश जैसा छोटा देश क्वालिटी के मामले में हमसे आगे है । विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्तर्गत हम पहाड़ी और बुन्देलखंड के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं । इसके माने यह नहीं कि मैदानी इलाके में काम न किया जाये और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक इसका विस्तार किया जाये ।

इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसकी परीक्षा के लिए इसमें व्यावहारिक शोध और परीक्षण किया जाये, इसके लिए परीक्षा केन्द्र, बस्ती, सहारनपुर और चौनालिया, 3 हैं जहां शोध किया जाता है और नई-नई चीजों की खोज की जाती है । आलू के अन्दर कुफरी, चन्द्रमुखी, कुफरी सिन्दूरी वैराइटीज आयी हैं । जिसके लिए हमारे देव बहादुर जी परेशान थे । प्रदेश के बुन्देलखंड या पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से यह पहले से है कि कृषि के सम्बन्ध में जो योजनायें हैं, उन क्षेत्रों की तरफ ले जायेंगे ताकि उनकी गरीबी को दूर कर सकें । बहरा सागर, जिला झांसी में और बेवरिया में शाक-भाजी और मसाले के बीज के उत्पादक हैं ।

जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको सस्ते मूल्य पर बीज दिया जाय ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके । इसी सन्दर्भ में, जिसके लिए देव बहादुर जी बहुत बेचैन थे, चर्चा करना चाहता हूं, वह है आलू । हमारे प्रदेश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है । 90 लाख टन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में केवल 45 लाख टन पैदा हुआ है लेकिन उत्पादन पर जहां गर्व करते हैं वहीं पिछले वर्ष आलू उत्पादकों पर जो परेशानियां गुजरी हैं उससे हमको महान दुःख है । उसके 2 कारण हैं । इस बात को माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा कि केवल उत्पादन हो जाने से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है । उत्पादन के साथ-साथ उत्पादन की खपत की व्यवस्था भी करें तब कोई लाभ किसानों को और इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को पहुंच सकता है । चीनी के उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित हुआ । चीनी के दाम नीचे गिरे, खपत की समस्या खड़ी हुई । आलू के अन्दर 45 लाख टन पैदा किया, खपत की व्यवस्था नहीं हो पाई । इसके दो कारण हैं ।

(कुछ आवाजें)

[श्री शिव मंगल सिंह---]

चिन्ता क्यों कर रहे ह, अभी बता रहा हूं । इस संदर्भ मे निवेदन कर रहा था कि आलू की खपत की व्यवस्था करनी पड़ेगी जब तक उसकी खपत की, उसके रखने की व्यवस्था नहीं करेंगे कोई लाभ हीने वाला नहीं । इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जहां तक मुझे जानकारी हुई वह इस बात की हुई थी कि इस समस्या के दो कारण थे । हमें केन्द्र से वैगन प्राप्त होते थे दूसरे प्रदेश में आलू भेजने के लिए । फैजाबाद से आसाम जाता था । पश्चिमी बंगाल में जिसमें बहुत कम आलू पैदा होती थी । इस बार उसने रिकार्ड पैदा किया । पश्चिमी बंगाल का आलू आसाम के अन्दर चला गया । वैगन प्राप्त करन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है । अपने अधिकारियों के स्तर से, मुख्य मन्त्री के स्तर से हर प्रयास वैगन प्राप्त करने के लिए किए थे लेकिन हमको लाभ नहीं हुआ । वैगन नहीं मिल सके जिसके कारण आलू बाहर नहीं भेजा जा सका ।

इस देश में, इस प्रदेश में यह पुराना इतिहास है कि लोग मजबूरी से फायदा उठाते हैं । जब शीत गृहों के मिल मालिकों ने देखा कि वैगन के मिलन में कठिनाई हो रही है और आलू बाहर नहीं जा पा रहा है तो वह फर्जी इन्धराज रजिस्टर में करके कह देते थे कि जगह नहीं है । काश्तकार आलू लेकर शीत गृह में जाता था तो वह खड़ा रहता था वह कहता था कि इसमें जगह नहीं है । हमारे यहां, इस देश में यह भी है कि जब हम कोई काम करते हैं तो न्यायालय में चले जाते हैं । मण्डी समिति के लिए कोई काम किया, न्यायालय म चले गये । शीत गृहों के लिए कोई कार्य किया न्यायालय में चले गये । उनसे लड़ना पड़ता है । फर्जी रजिस्टर कर लिया, व्यापारियों का आलू शीत गृहों में रखा । वास्तविक किसान जो जाता था उसको कह देते थे कि जगह नहीं है । दो कार्य करने जा रहे हैं वह सदन को बताना चाहता हूं । एक कार्य तो यह किया है कि अभी तक जितने भी शीत गृह हमारे प्रदेश में हैं उन शीत गृहों की क्षमता 12 लाख मीट्रिक टन है । हम 200 शीत गृह इस वर्ष बनाने जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 4 हजार मीट्रिक टन होगी जिससे 8 लाख मीट्रिक टन की क्षमता बढ़ेगी । 40 फीसदी जो उत्पादन होता है उसकी व्यवस्था की बात करने जा रहा हूं । 200 में से 50 शीत गृह सरकारी बनेंगे और 150 उन लोगों को दे सकते हैं जो रुचि रखते हैं । जहां तक शीत गृह के निर्माण का सम्बन्ध है जितने भी सीमेंट और लोहे की आवश्यकता होगी वह प्राथमिकता के आधार पर सरकार देगी ताकि अगले वर्ष तक हम शीत गृहों का निर्माण कर सकें और आलू की समस्या न खड़ी हो सके । इस विषय में दूसरा काम मैं जो करने जा रहा हूं, शीत गृहों के सम्बन्ध में जो कानून बना है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं । इस तरह का परिवर्तन कर रहे हैं जिससे नियमों की शरण लेकर शीतगृहों के मालिक किसानों का आलू रखने से इंकार न कर सकें । इसके ऊपर मैं विधि परामर्शों की रायें ले रहा हूं, उसके अनुसार नियमों में परिवर्तन करेंगे ताकि अगले वर्ष आलू के सम्बन्ध में बुरा दिन न देखना पड़े जैसे इस साल हुआ है । मैं समझता हूं कि हमारे साथी देव बहादुर जी इससे संतुष्ट हो गये होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या माननीय देव बहादुर जी को अकेले संतुष्ट करेंगे ?

श्री देव बहादुर सिंह—

उपाध्यक्ष जी को भी संतुष्ट करिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप अपने को थोड़ा तेज करें । 15 मिनट में खत्म कर दें ।

श्री शिव मंगल सिंह—

मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं । इस संदर्भ में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कृषि कार्यों के सम्बन्ध में एक हमारे यहां एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन भी लगा हुआ है । यह सच्चाई की बात है कि जिस कार्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी उसके अनुरूप इसका परिणाम नहीं मिला । अनेकों प्रकार की शिकायतें हैं । न खाद का सुचारु रूप से वितरण करने की क्षमता रह गई ह और न नये काम करने की क्षमता रह गई है इसलिये कि काफी घाटे के अंदर यह कारपोरेशन चल रहा है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन को हम एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं । हम इसके प्रबंधक बोर्ड के अंदर एक परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं और साथ-साथ हम ऐसे नये रोजगार इसको उपलब्ध कराना चाहते हैं जिससे कि यह अपना घाटा पूरा कर सके और नये कार्यक्रम चलाने की क्षमता पैदा हो सके । जैसी हमारी कल्पना थी कि किसानों को उचित मूल्य पर खाद बंटवा सकें, वर्कशाप एजेंसियां कायम कर सकें जिससे किसान नजदीक के सेंटर पर अपने ट्रैक्टर वगैरह को ठीक करा सके, इसमें जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिये थी नहीं मिली । मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कारपोरेशन प्रदेश के हित में कार्य करे और जो बुराइयां हैं उसमें मैं बाकायदा एक जांच कराऊंगा और मैं जानना चाहूंगा कि कौन-कौन सी कमजोरियां हैं और उनको दूर करूंगा । मैं निकट भविष्य में इस बात की कोशिश करूंगा कि कारपोरेशन की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति यह जनता के हित में प्रदेश में कर सके ।

[श्री शिव मंगल सिंह--]

मान्यवर, इसके बाद इसी से मिला जुला कार्यक्रम क्षेत्र विकास का है। क्षेत्र विकास का जो कार्यक्रम सामने है उसमें यह प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाये और ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करें जिस अधिकांश लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, उनको रोजगार सुलभ हो सके, यह इस योजना का अभिप्राय है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने बहुत सारी योजनायें बनाई हैं। इसमें लघु कृषक योजना में 25 परसेंट तथा सीमांत कृषक योजना में 33 1/3 परसेंट अनुदान हम देंगें। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3-4 योजनायें आती हैं जिनको मैं सारांश में रखना चाहता हूं। एक तो लघु कृषक परियोजना है। इसके अंदर 31 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और 104 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध हुआ है। यह 5 एकड़ असिंचित और 2·5 एकड़ सिंचित क्षेत्रफल से नीचे वाले कृषकों के लिए है। इसमें काफी उनको सहायता मिली है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस अनुदान के माध्यम से हमने 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता पैदा किया है लेकिन फिर भी हर किसान सिंचाई की सुविधा से लाभान्वित नहीं होता है इसलिए इस पर विशेष रूप से राजकीय नलकूप द्वारा एक योजना लागू कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत 1320 नलकूपों की स्थापना हम करने जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत यह आवश्यक होगा कि 60 फीसदी जोतें लघु/सीमान्त कृषकों की अनिवार्य रूप से हों। इसीलिए अतिरिक्त रोजगार क्षमता वर्ष 1978-79 के अंत तक 4,96,634 लोगों को रोजगार सृजित हो चुका था। अतः जिन किसानों को यह सिंचाई की सुविधायें नहीं प्राप्त हो रही थी, वह इस योजना से लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, दूसरी योजना सूखोन्मुख की है जो प्रदेश के 6 जिलों के 40 विकास खंडों में लागू होगी। यह योजना उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखती है जो सूखे हैं जैसे बांदा, हमीरपुर, जालौन, वाराणसी आदि। इन क्षेत्रों में 1978-79 में राजकीय साधनों से सिंचन क्षमता का सृजन 3,70,000 हेक्टेयर हुआ है। 5,60,004 हेक्टेयर में भूमि संरक्षण कार्य तथा 29,000 हेक्टेयर में वनीकरण हुआ है। लगभग 34,000 मानव वर्षों के अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ है।

मान्यवर, तीसरी योजना समादेश क्षेत्र विकास की है जिसके अन्तर्गत राम गंगा, गंडक, शारदा सहायक योजनाय सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत हम सारी कच्ची और पक्की गूलों का निर्माण, मंडियों का निर्माण करते हैं, इसके अलावा वह सारे कार्यक्रम जिसके अनुसार उस क्षेत्र के उपक्रम को आगे बढ़ा सकें लेते हैं। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 1978-79 में 1·37 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास कार्य किये गये, जो एक नया कीर्तिमान है और जिसका भारत सरकार ने भी स्वागत किया है। मान्यवर, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 36 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को दिया है उसमें से उत्तर प्रदेश को 9 करोड़ रुपया मिला है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि इस योजना के अन्तर्गत जो सहायता हमसे अपेक्षित थी वह काफी हम इन क्षत्रों में कर पा रहे हैं।

मान्यवर, चौथी योजना एकीकरण विकास की है। यह योजना 384 विकास खंडों में लागू है और 92 नये विकास खंडों में लागू करने का प्रस्ताव ह। इस योजना के अन्तर्गत जो केन्द्र सरकार ने सहायता दी है वह काफी है।

इसमें वह सारे कार्यक्रम लिये जाते हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार और स्थानीय साधनों द्वारा किये जाते है इन कार्यों को इसके अन्तर्गत लेते हैं इसलिए यह योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है । विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो देहातों के अन्दर बहुत ही गरीब और गिरे हुए समुदाय में आते हैं । उनको इससे काफी लाभ पहुंचता है । आपको इस बात से संतोष होगा कि इसके 70 फीसदी लाभार्थी–भूमिहीन श्रमिक हैं जिनको सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है । इस वर्ष 1979–80 में इन योजनाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो इस प्रदेश में चलाई जाने वाली है, वह यह है कि ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अब ग्रामीण कुटीर उद्योग वगैरह भी इसमें शामिल हो गए हैं । अब हमारे जितने भी खेतिहर मजदूर हैं, शिल्पकार हैं या जो अन्य बेरोजगार लोग गाँवों म हैं उनको भी हम कुटीर उद्योग द्वारा सहायता पहुंचाने जा रहे हैं और इसमें हम फार्मल और नान–फार्मल प्रशिक्षण भी देंगे । इस प्रकार की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे जिससे वह छोटे–छोटे कुटीर उद्योगों को चला सकें और रोज–ब–रोज की आमदनी का जरिया बना सकें । इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि गरीबी केवल योजनायें बनाने से नहीं खत्म होती हैं ।

इन योजनाओं को हमें गरीबों के पास ले जाना है जिससे उन गरीबों के हाथ मे भी सौ रुपये के नोट दिखाई पड़ सकें । जब तक हम गरीबों को ऐसा आमदनी प्राप्त करने का अवसर नहीं प्रदान कर सकेंगे कि वह अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सके तब तक उस गरीब के उद्धार करने की बात हम नहीं कर सकते । इसलिए हम कृषि के साथ–साथ दूसरी योजनायें भी चला रहे हैं । केवल कृषि काश्तकार के जीवन को बदलने में सहायक नहीं हो सकती । आप जापान को देखें जो खेती के मसले में काफी बढ़ा हुआ है । वहां की सरकार ने भी यह कार्यक्रम चलाया है, इस आधार पर कि केवल खती से काश्तकार की जिंदगी नहीं बन सकती हैं । अगर किसानों और काश्तकारों की जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से कृषि को कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से भी जोड़ना पड़ेगा । जापान में जितने सदस्य एक परिवार के खेतों में काम करते हैं, उसके अलावा जो सदस्य घर में बैठे रहते हैं, वे किसी न किसी कुटीर उद्योग धंधे में लगे रहते है । कोई बास्केट बनाते हैं, कोई प्लास्टिक का और कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं जिससे एक अतिरिक्त आय का साधन बन सके । इस योजना से एक बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाला है और इससे किसानों का भला होने वाला है ।

म आपसे एक निवेदन और करूंगा रामगंगा और शारदा सहा योजनाओं के बारे में, इसमें एक भ्रमण और प्रशिक्षण को भी योजना बन

[श्री शिव मंगल सिंह---]

गई है । शिक्षित होकर वे गाँव-गांब जाकर अपना ज्ञान लोगों को बतायेंगे कि किस प्रकार से संतुलित ढंग से खेती की जाये, किस समय किस प्रकार की खेती की जाये, किस प्रकार के रसायन डाले जायें । इस प्रकार का ज्ञान वे किसानों को षें इससे भी काफी लाभ होगा । मान्यवर, यह मुख्य रूप से आप की क्षेत्र विकास योजक्षद थीं जिनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया । निसंदेह मैं ऐसा समझता हूं कि न विकास योजनायें अगर सही रूप से इस प्रदेश में क्रियान्वित की जायें और कृसि उन्हें सम्बद्ध किया जायें तो कोई वजह नहीं है कि जो गाँवों की नई तस्वीर क रचना हम इस प्रदेश में करना चाहते हों उसमें सफल हो नहीं सकेंगे ।

मान्यवर कृषि के संदर्भ में मैंने आपका बहुत समय लिया । इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं । लेकिन मान्यवर, कृषि के साथ-साथ इस प्रदेश में चीनी उद्योग का भी उतना ही महत्व है और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग एक मात्र ऐसा उद्योग है....

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, कोई 15 मिनट और आप लेंगे.....

(इस समय 12 बज कर 57 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए) ।

श्री शिव मंगल सिंह—

जी में दस मिनट और लूंगा....

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, संक्षेप करें, आपको जवाब भी देना है ।

श्री शिव मगल सिंह--

जो । मान्यवर, प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में गन्ना विकास और चीनी उद्योग का जैसा पहले मैंने निवेदन किया था, बड़ा महत्व है । लेकिन यह भी एक दुःख की बात है कि जहाँ हमारे प्रदेश का चीनी उद्योग हमारे अर्थ व्यवस्था में सहायक होता है वहाँ यह हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में ही बोझ बना हुआ ह । इसके कुछ कारण हैं जिनके ऊपर हमें और आपको विचार करना है ।

मान्यवर, पिछले सत्र में एक अप्रत्याशित रूप से गन्ने का उत्पादन हुआ । वह उत्पादन था 680 लाख टन जो 13·79 हैक्टर भूमि में पदा हुआ । पिछले वर्ष 85 चीनी मिलें इस प्रदेश में कार्यरत थी । जहां तक गन्ने के निस्तारण का सम्बन्ध है, इस संदर्भ में आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि गन्ने की पैदावार का लगभग 30 प्रतिशत चीनी मिलों के द्वारा पिराई की जाती है और 12 या 13 प्रतिशत गन्ना खांडसारी में जाता है । लगभग 42 या 40 प्रतिशत इस गन्ने की खपत गुड़ बनाने में होती है और शेष जो गन्ना होता है वह बीज के लिए रखा जाता है । मान्यवर, पिछले वर्ष जब गन्ने का उत्पादन काफी अधिक हो गया तो जो क्षेत्रों के द्वारा गन्ने की पिराई होती थी क्षेत्र के लोगों ने दो-दो, तीन-तीन रुपये पर गन्ना किसानों से खरीदना शुरू किया और उसी गन्ने को ले कर फैक्टरियों

संख्या–55 कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या–56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षत्रीय विकास विभाग, अ ुदान संख्या–68 उद्याग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

के अन्दर, चीनी मिलों के अन्दर, साढ़े बारह, साढ़े तेरह में बेच दिया । जहां तक गुड़ का सम्बन्ध था गुड़ उस मात्रा में किसान का खपत नहीं हो पाया । काफी दिक्कतें उनके सामने थी । गुड़ का बाजार भी बहुत अच्छा नहीं था । इसलिए जैसी कि स्थिति मैंने आपको बताई अब सारा बोझ गन्ने की पिराई का मिलों पर पड़ रहा है । और हर किसान की यह स्वाभाविक इच्छा होगी कि जब उसने वर्षा, धूप, लू तथा जाड़े की रातों में नंग बदन होकर गन्ने की पैदावार की है तो उसका मूल्य उसे प्राप्त हो । इस कारण सारा बोझ चीना मिलों पर ही पड़ा क्योंकि चीनी मिलों के माध्यम से ही गन्ने की पेराई कराई जा सकती ह लेकिन वे मिलें ऐसी हैं जिनमें 50 फीसदी को बीमार कहा जा सकता है, जिनकी पेराई क्षमता बहुत कम ह और जिनमें उत्पादन लागत सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गन्ना एक समस्या के रूप में खड़ा हो गया । फिर चीनी के भाव में काफी गिरावट आई देश के अन्दर और देश के बाहर भी जिससे चीनी मिलों को चलाने में कठिनाई आई । पिछले दिनों चीनी मिलों ने काफी लेट काम करना शुरू किया दिसम्बर तथा जनवरी के महीने से पेराई शुरू की जिससे पेराई का समय बहुत कम मिला । अधिकांश चीनी मिलें बीमार थी ।

इस कारण भी गन्ना एक समस्या हो गया । लेकिन माननीय सदस्यों के सहयोग से तथा आपकी शुभकामनाओं से प्रदेशीय सरकार ने इस समस्या को सफलतापूर्वक मुकाबला किया और पिछले सत्र में इस बात की घोषणा कर दी गयी कि चीनी मिलें उस समय तक पेराई का काम बन्द नहीं करेंगी जब तक प्रकृति उनके कार्य में बाधक न हो । इतना ही नहीं यह भी घोषणा कर दी गयी कि अगले सत्र में पिछले सत्र का पुराना गन्ना, प्राथमिकता के आधार पर इस सत्र में पेरा जायगा उसके पश्चात् ही इस सत्र के गन्ने की पेराई शुरू की जायगी । यह इस बात का परिचायक है कि जनता सरकार को किसानों से हमदर्दी है और उसकी यह इच्छा थी कि किसानों को नुकसान न हो । फरवरी के महीने तक पेराई होती रही हालाँकि चीनी मिलों को इसमें कठिनाई होती है, चूंकि रिकवरी कम हो जाती है ।

श्री अधिष्ठाता—

उपाध्यक्ष महोदय, आपको 15 मिनट दे कर गए थे । अब आपके 5 मिनट रह गए हैं ।

श्री शिव मंगल सिंह—

मुझे थोड़ा समय और दिया जाय । मैं मुख्य-मुख्य बातें ही रखूंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा । मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले वर्ष 202 लाख टन गन्ने की पेराई का आकर था उसको वृद्धि करके 206 लाख टन की पेराई की ।

[श्री शिव मंगल सिंह--]

मई के महीने में संकट उपस्थित हुआ इस रूप में कि पड़ोस के प्रदेश हरियाना ने गन्ने का मूल्य घटाकर 10 रुपए कर दिया। सारे मिल मालिक इकट्ठे हो गये और कहने लगे कि हरियाना में गन्ने का मूल्य 10 रुपए हो गया है, आप भी उसे 10 रुपया कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उन विचारों से प्रभावित हैं जिन विचारों की घोषणा जनता सरकार ने की है। किसी तरह किसानों के शोषण की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा यह प्रयास है कि उनको संरक्षण मिले। हमने सारे मिल मालिकों से कह दिया है कि उनकी मिलें उस वक्त तक पिराई करती रहेंगी जब तक कि प्रकृति बाधक न हो और किसान को उनके गन्ने के मूल्य में एक पैसे की कमी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वह हमने हल की। जहां तक गन्ने के क्षेत्रफल का सवाल है वह इस वर्ष पिछले वर्ष से बढ़ा है। पिछले वर्ष 13·79 लाख था। वह इस वर्ष 14·69 हो गया।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

अगले वर्ष का अनुमान क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वह भी सामने आयेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वर्ष 578 लाख टन गन्ना उत्पादन हुआ है जिसमें से 155 लाख टन गन्ने की पिराई हो चुकी है और 195 लाख टन गन्ने की पिराई का आफर चीनी मिलों को मिला है। इनमें जो कमी दिखाई पड़ती है वह इस वजह से है कि पिराई की समस्या का समाधान करने के लिए हमने दो सुविधायें प्रदान की हैं। एक तो कोल्हुओं का लाइसेन्स हमने फ्री कर दिया है जिससे आसानी के साथ कोल्हुओं द्वारा गुड़ की पिराई शुरू हो गई है और संयोग से भाव भी अच्छे होंगे जिससे किसानों को उत्साह मिलेगा। इसके साथ ही साथ दूसरी सुविधा हमने यह दी है सलफर प्लान्ट से जो खांडसारी बनती है उस पर से हमने परचेज टैक्स माफ कर दिया है जिससे काफी गन्ने की खपत हुई है। इससे काफी गन्ने का डाइवर्जन खांडसारी और गुड़ की तरफ हुआ है। यह इसी नीति का परिणाम है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले साल किसान से 3 और 4 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदते थे वे आज हाथ जोड़कर 13 रुपए और 14 रुपए में ले रहे हैं। यह हमारी नीतियों का परिणाम है कि इस समस्या का समाधान हो सका है। मैं एक बात और कहूंगा कि पिछले साल के पूर्व कोई क्रॉपिंग पालिसी नहीं थी और सही रूप में नहीं थी। फैक्ट्रियों के अन्दर उन्हीं का गन्ना सुविधाजनक पेरा जा सकता था जो प्रभावशाली होते थे और जिनकी मिल मालिकों के साथ दोस्ती होती थी। इसमें हमने यह परिवर्तन किया है कि एक सुरक्षित क्षेत्र में जो किसान गन्ना पैदा करता है, अगर सामाजिक न्याय करना है तो ऐसी दशा में नैतिक मूल्यों को देखते हुए मिल के सुरक्षित क्षेत्र में चाहे वह छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो सबको अपने हिस्से के अनुसार समान रूप से उसको उसके गन्ने का दाम दिया जाना चाहिए।

इस नीति के अनुसार गन्ना कृषकों को समान रूप से अपना गन्ना फैक्ट्रियों में ले जाने का अवसर मिला। इस तरह से 2/3 रुपए में जो किसानों का गन्ना खरीदा जाता था और वह बिचौलियों द्वारा 13/14 रुपए में बेचा जाता था

संख्या–55 कृषि विभाग (कृषि)–अनुदान संख्या–56 कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123 कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

निश्चित रूप से ऐसे लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई । मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई नई बात नहीं है जमींदारी प्रथा इस प्रदेश से जब टूटी थी तो जमींदारों को भी दुख हुआ था इसलिए थोड़ा इन बड़े किसानों को भी दुख इससे हुआ होगा । तरह–तरह के प्रचार उन्होंने करने शुरू कर दिए कि खड़े खड़े गन्ना जल रहा है, जितना प्रचार उनसे हो सकता था, उन्होंने किया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया । हमने निश्चय किया है कि गन्ना विभाग के अन्दर जो भी काश्तकार सुरक्षित एरिया में गन्ने की काश्त करेगा उसको अपने हिस्से के अनुसार चीनी मिलों में गन्ने की बिक्री का अधिकार प्रदान किया जायगा ।

यह आवश्यक हो जाता है जब आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो निर्धन वर्ग को कुछ सुविधा दी जाय । चूंकि यह वर्ग सदियों से गरीबी में पीसा गया है, इसके कंधे निर्बल हो गए हैं, उसमें ताकत नहीं रह गयी है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके इसलिए निश्चितरूप से छोटे काश्तकार को सहायता देनी पड़ेगी । इसलिए हमने उसके गन्ने की आपूर्ति और खपत में 20 प्रतिशत की सुविधा दी । अगर किसी का 50 क्विंटल गन्ना है और 70 क्विंटल चला जाता है तो इससे बड़े काश्तकार को क्षति नहीं होती । इसमें शोर मचाया गया कि छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन ऐसी बात नहीं है । अगर आप सोचें भी तो जब 80 प्रतिशत छोटे काश्तकार हैं फिर कोई औचित्य नहीं रहता कि उनको सुविधा न मिले । मुट्ठी भर लोगों के लिए सारी सुविधा नहीं दी जा सकती । (व्यवधान) पांडेय जी मैं आपका उत्तर भी देना चाहूंगा जैसा आप चाहते हैं । छोटे किसानों की उपज कम होती है, जब आप गरीब हैं आप पौष्टिक नहीं हो सकते उनके पास साधन न होने के कारण ही 3 रु० पर लोगों ने उनका गन्ना खरीदा और उसे साढ़े 13 रु० में बेचा ....।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)––

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मुट्ठी भर में आते हैं या अक्सरियत में ?

श्री राज बजराज सिंह (जिला खीरी)––

यह व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

श्री विष्ठात ––

व्यवस्था का कोई प्रश्न है ही नहीं ।

श्री शिव मंगल सिंह—

जिसकी आलोचना माननीय सदन में की जाती है, उसके ऊपर मेरे विचारों को भी सुनने की कोशिश करें । अगर कोई सरकार इस प्रदेश और देश में इस प्रकार की नीति यह समझ कर बनाती ह कि जो गरीब हैं वह इससे लाभ नहीं उठा सकते तो उस प्रदेश और देश से गरीबी नहीं मिट सकती । आज साधनहीन और छोटे किसानों को थोड़ी सहायता नहीं देंगे और इस मात्रा में उनकी सहायता नहीं करेंगे कि वह भी अपने जीने के लिए साधन प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सके तब तक वह हमेशा ही गरीब बने रहेंगे ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस देश के अन्दर गन्ने की समस्या को हल करने की बात सोचनी है तो कभी भी थोड़े से लोगों की बात न सोचें । यह भी आपका अधीर होना कहा जायेगा । पिछले वर्ष की गन्ने की समस्या हमने हल की है और आपको मालूम होगा इस वर्ष जो हमने तरीका अपनाया ह उससे गन्ने की समस्या हल हो गई है । अब थोड़े से लोग बच जायं तो उसके लिए छोटों को मारने की बात नहीं हो सकती है । हमने जो इस साल नीति बनाई ह इसमें छोटे और बड़े दोनों को लाभ हुआ है । छोटों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने की बात सोचना, तो पछताना होगा । मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने की पिराई की जो समस्या पिछले साल थी वह इस साल समाप्त हो गई है ।

अब मान्यवर, चीनी मिलों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । चीनी मिलों की बात करने से जो किसानों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा ह, उसमें से पिछले वर्ष की थोड़े से शब्दों में चर्चा करना चाहता हूं । इस सन्दर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूं, पिछले साल किसानों को जो असुविधायें हुई, शासन को उनकी जानकारी है । उस दृष्टि से केन्द्र सरकार ने इस साल जो गन्ने का मूल्य निर्धारित किया केवल दस रुपया और पिछले साल हमारे किसान ने साढ़े 13 रुपए का प्राप्त किया था । पिछले साल जब उसको विशेष कठिनाइयों में गुजरना पड़ा, तो सरकार अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हो सकती, उसकी जिन्दगी में जो बाधा आई है, कि उसे उसके प्रति हमदर्दी न हो । यह पहला वर्ष है कि शासन ने इस दिशा में ध्यान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात सोची है । गन्ना किसानों के लिए जो वर्तमान मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा तय हुआ है और जो उसे पिछले वर्ष मिला है, उसके अन्तर को सब्सिडी के रूप में देने का शासन ने निर्णय लिया है । (व्यवधान) जो काम 32 वर्षों में कभी नहीं किया गया है, उसकी जानकारी के लिए आप सब में उत्सुकता होना स्वाभाविक है, हमें दुख नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

32 वर्ष में 25 वर्ष यह रहे हैं ।

श्री शिव मंगल सिंह—

मैं शासन की बात कर रहा हूं, अपनी और आपकी नहीं कर रहा हूं । तो यह पहला मौका है, अब किसानों को किसी प्रकार की ऐसी सब्सिडी दी गई है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप संक्षिप्त करें ।

संख्या–55 कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या–56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123 कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री शिव मंगल सिंह––

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बजट में कोई किसान निधि नहीं है, जिससे निकालकर आपको पैसा दे दिया जाए । इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा निश्चय किया है । कुछ किसान निधि से और कुछ अन्य निधियों से पैसा निकालकर हम उनको सब्सिडी के रूप में देंगे । लेकिन जब दूसरी निधियों से हमें पैसा निकालना ह तो यह सम्भव नहीं है कि बिलकुल टाइम बता दें । अभी तो आपने बजट भी पास नहीं किया ह । देव बहादुर जी कह रहे ह––'कब तक' । यह कोई पूछने की बात नहीं है । यहां कोई तानाशाही नहीं है कि फरकान निकाल दिया और हो गया । उचित–अनुचित और नियमित–अनियमित का कोई सवाल नहीं । सत्र के अन्त तक मैं जो अन्तर है, उसका सब्सिडी के रूप में पेमेन्ट करा देंगे । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

अब आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री शिव मंगल सिंह––

दो मिनट में कैसे हो सकता है । आप सुनें जो सरकार ने काम किया है । 1971 से 1978 तक का सरकारी और सहकारी चीनी मिलों पर जो किसानों का बकाया था, उन सब का बकाया 20 करोड़ रुपया देकर हमने उसे समाप्त कर दिया है और आज इन सरकारी और सहकारी चीनी मिलों पर उनका कोई बकाया इस अवधि का नहीं है । मिल मालिकों द्वारा जो मिलें चलाई जा रही हैं, उन पर भी इस दिशा में दबाव डाला जा रहा है कि जो मिलें 15 नवम्बर तक चलाना नहीं शुरू कर देंगी और जो अपने ऊपर किसानों का 10 प्रतिशत से अधिक बकाया रखेंगी, उनको अगले साल अधिग्रहण कर लिया जायगा । इसकी अवहेलना के कारण 6 मिलों को अधिग्रहण भी किया गया ह । तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और इस प्रकार से आज इस सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 52 करोड़ रुपया बकाया था । (व्यवधान)

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)––

माननीय मंत्री जी अपने भाषण से कुछ हमें प्रभावित करना चाहते हैं । हम लोग खुद प्रभावित हैं । मंत्री जी अपना भाषण न भी दें तब भी हम बजट पास करने को कटिबद्ध हैं । इसका एक ही कारण ह, वह मेरे बहुत पुराने मित्र [illegible] हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री राज मंगल पान्डेय—

मैं उनके बजट की बात कर रहा हूं । पास करवाने की बात कर रहा हूं। इतने भाषण की आवश्यकता नहीं है । आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी भाषण हुए होंगे, किसी मंत्री का इतना बढ़िया भाषण नहीं हुआ होगा जो मंत्री जी ने दिया है । सारे भाषण से बिलकुल सही इतना प्रभावित हैं कि बिना बहस किए हुए पास कर देना चाहते हैं । लेकिन मंत्री जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है । वह कहते हैं हमने और शासकों के मुकाबले में ऐसा किया ।

श्री अधिष्ठाता—

जितना समय लेंगे उतना व्यवधान होगा । मंत्री जी, अब आप संक्षेप करें । (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह—

समय कोई निर्धारित करें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह तरीका ठीक नहीं है । वह मेरे देखने की बात है ।

श्री शिव मंगल सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अगर बोलने दें तो कम समय लगे । बीच-बीच में वह काफी समय ले लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी मंत्री जी आप जवाब देंगे, इसे संक्षिप्त करें । माननीय सदस्यों को सुनें ।

श्री शिव मंगल सिंह—

सम्भव है कि माननीय सदस्यों को जानकारी न हो, इसलिए मोटी-मोटी बातें रखना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय—

हम लोग पास करने को तैयार हैं ।

श्री शिव मंगल सिंह—

इस वर्ष कुल गन्ना 167·68 लाख रुपए का खरीदा गया जिसमें 141·79 करोड़ का भुगतान हो गया 25·89 करोड़ का भुगतान बकाया है । इस प्रकार जहां पिछले वर्ष 20·4 परसेन्ट का बकाया था, इस वर्ष 15 परसेन्ट का बकाया रह गया है जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भुगतान हो जाय । इस सम्बर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गन्ना किसानों की सुविधा के

सं0 55–कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या 56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षत्रीय विकास विभाग– ण और अग्रिम

लिए, पिछले वर्ष जो उस पर आपदा पड़ी, तो मैंने किसानों को यह भी सुविधा प्रदान की, कि जिस गन्ना किसान की कोई रकम भुगतान के लिए बकाया है, और उसके विरुद्ध यदि कोई रिकवरी का कार्यक्रम किया जाता है तो उसको लागू नहीं होने देंगे। इस प्रकार यह सारी चीजें हमने की हैं जो किसानों के हित में हैं।

मैं इस सन्दर्भ में दो तीन बातें और कह कर खत्म करूंगा। गन्ने की समस्या का निराकरण तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक चीनी मिलों के बारे में सोचने विचारने की कोशिश न करें। यदि आप प्रश्न पूछेंगे कहेंगे कि पेराई क्यों नहीं हुई, गन्ने का मूल्य क्यों नहीं मिला, बड़े जोरों से क्वेश्चन पूछगे। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

शान्ति रखें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बिना सुने हुए हम अनुदान पास करने के लिए तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप श्री मित्र सेन से कहिए कि वह कटौती का प्रस्ताव न रखें।

श्री शिव मंगल सिंह--

मैंने सारी चीनी मिलों से कहा है कि आप अपनी आवश्यकताओं की सरकार के सामने पेश करें और हम उनकी आवश्यकताओं को लेकर केन्द्रीय सरकार से बात करेंगे और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जब उनकी उत्पादन लागत कम होगी तभी हमारी समस्या दूर होगी। इसम आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी अब समाप्त कीजिए आप।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, 2–3 बाते और हैं एक तो यह है कि चीनी का जो वर्तमान उत्पादन है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं हम यह कोशिश करेंगे कि चीनी से सम्बन्धित समस्यायें दूर हों और जो कठिनाइयां गन्ना किसानों के सामने हैं वह दूर हों और उनके हितों की रक्षा हो

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग सदन में शान्ति रखिए । व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न फैलायें माननीय मंत्री जी आप संक्षिप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री शिव मंगल सिंह--

एक बात मैं चुकन्दर के बारे में कहना चाहता हुं ।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं । आपने आदेश दिया परन्तु फिर भी माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण बन्द नहीं किया । हम लोग उनके प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हैं । वह हमारा सहयोग चाहते हैं और हम लोग उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं । तो आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मैं माननीय अधिष्ठाता की अनुमति से बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग सदन में शान्ति बनाये रखें । मंत्री जी आप जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, मैं बता रहा था कि चुकन्दर से चीनी बनाने की योजना हैं। किच्छा चीनी मिल में चुकन्दर से चीनी बनाने की योजना को कामर्शियल स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा हैं जिससे आफ सीजन में श्रमिकों को अधिक रोजगार मिलेगा । दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि चीनी मिलों से पर्याप्त मात्रा में शीरा, खोतु, प्रेसमड आदि बाई-प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं । जिनका अभी कोई समुचित इस्तेमाल नही किया जाता था । हमारी सरकार का यह प्रयास हैं कि बगास से पेपर फैक्टरी बनायी जाये तो हमारी समस्या काफी हद तक हल हो सकती हैं । इन सारी चीजों की ओर सरकार का ध्यान गया हैं । हमारी यह बिडम्बना की बात हैं कि कृषि और उसके विकास से सम्बन्धित सारे अधिकारी शहरों यानी मुख्यालयों पर रहते हैं । अधिकारियों को काम करना ह गाबों में । खेती शहर में नहीं होती हैं, लेकिन सारे अधिकारी मुख्यालयों में काम करते हैं । इसलिए मान्यवर, मैंने आदेश निकाल दिए हैं कि जितने भी इस विभाग के अधिकारी हैं चाहे वे डाइरेक्टर हों ज्वाइन्ट डाइरेक्टर हों या एडीशनल डाइरेक्टर हों साल में कम से कम 60 दिन गांवों में अवश्य जाना होगा । और जो क्लास वन के अधिकारी हैं उनको...]

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

अगर वे देहात में जायेंगे तो टी० ए० डी० ए० कैसे पायेंगें ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मैं कह रहा था कि क्लास वन के अधिकारी 120 दिन गांवों में जायेंगे। सेकेन्ड और तृतीय श्रेणी के जो अधिकारी हैं वे वर्ष में 180 दिन रहेंगे और जो लोग इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गांव साल में एक दिन भी ऐसा न रहें कि उनमें कोई न कोई अधिकारी जो विकास और कृषि से सम्बन्धित हो, उपलब्ध न हो। इस दिशा में आप भी हमारे अधिकारियों के मोह को ठुकरा कर देश और प्रदेश को उठाने में मेरी सहायता कीजिए।

अंत में मेरा निवेदन है कि मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे संक्षिप्त रूप से बोलने का अवसर प्रदान किया (हंसी)। मुझे आशा है मैंने जो सदन में क्षेत्रीय विकास, गन्ना विकास और कृषि से सम्बन्धित विचारार्थ बजट प्रस्तुत किया है, उसको माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाय। कमी करन का उदेश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्तावकरता हूं कि अनुदान संख्या 61--सम्पूर्ण अनदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

[श्री मित्रसेन—]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 97—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 99—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121—संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 123—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 124—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैंने कृषि मंत्री जी के भाषण को स्वयं ही नहीं वरन पूरे सदन के माननीय सदस्यों ने बड़ी चहल पहल के साथ सुना और बड़ी उत्सुकता के साथ जो कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके बारे में लोगों ने काफी दिलचस्पी ली । मान्यवर, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारे प्रदेश की 50 प्रतिशत जनसंख्या की आय का साधन कृषि है । और सम्पूर्ण प्रदेश की 84 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है । अपने कृषि उत्पादन को ही बढ़ा कर हम प्रदेश में फैली बेकारी को दूर कर सकते हैं और अन्य समस्याओं को भी हल कर सकते हैं । इसी से हमारा प्रदेश हरा भरा रह सकता है । जनता की जो आकांक्षा थी वह इस बजट से टूटती जा रही है । जितनी भी योजनाये सरकार ने चलायीं, चाहे वह भूमि संरक्षण की हों, चाहे भूमि परीक्षण की हो, चाहे भूमि सुधार की हों, चाहे कोई और हों, इसमें शक नहीं कि वे सब जनता के हितों के लिए चलायी गयीं, पर

उनको देखने से पता चलेगा कि उनसे लाभ जनता को हुआ नहीं । ज्यों ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता ही गया । उत्पादन बढ़ाओ, घाटा उठाओ, वाली बात देखने में आयी । यह आपका लक्ष्य रहा है । यह मंत्री जी न खेती करते है और न ही इनके हाथ में कभी मिट्टी लगी होगी, न ही इन्होंने कभी सूरज की रोशनी देखी होगी, इनसे अगर यह भी पूछा जाये कि रबी की फसल में क्या होता है तो वह भी इन्हे पता नहीं, और इनको दे दिया गया है कृषि विभाग । जब वह गन्ना मंत्री थे तो गन्ना सड़कों पर जल रहा था, अब कृषि के मंत्री हैं तो आलू और गहूं की दुर्दशा हो रही है । भले ही सत्ता पक्ष के सब लोग इधर विपक्ष में आ जाय मगर यह मंत्री जी उधर (सत्ता पक्ष में) ही रहेग, यह अपनी टोपी बदलते रहेंगे ।

मान्यवर, बजट की चर्चा में एक बात यह आयी कि हमारे यहां 50 प्रतिशत लोग डेढ़ एकड़ से कम जोत वाले हैं । लेकिन ढाई एकड़ वाले कितने होंगे यह नहीं बताया । फिर 15 परसेन्ट किसान ऐसे हैं जो बड़ी जोत वाले हैं और अलाभकर जोत वाले सबसे ज्यादा हैं ।

हमारे उत्पादन के जो आंकड़े हैं उनको देखने से पता चलता है कि 1976-77 में 290 लाख टन गेहूं पैदा हुआ और उसका रेट दिल्ली के बाजार में 165 रुपये प्रति क्विन्टल था । लेकिन किसानों को 115 रुपये प्रति क्विन्टल मिली । 1977-78 में 313 लाख टन पदा हुआ और किसानों को मिला 115 रूपया प्रति क्विन्टल ।

श्री अधिष्ठाता—

यह आंकड़े आपने कहां से लिए हैं ? यह सही नहीं लग रहे हैं, इन्हें आप सही कर लें, आंकड़े मैं भी बहुत देता हूं ।

श्री मित्र सेन—

यह देख लीजिए मान्यवर, पेपर है हमारे पास ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आप पढ़ें ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ा, कीमत 25 प्रतिशत कम मिली । दूसरी तरफ यही हालत हमारी मूंगफली और गन्ने की रही है मूंगफली में 4 प्रतिशत का तथा गन्ने में 34 प्रतिशत तक घाटा उठाना

[श्री मित्रसेन]

पड़ा । कपास की यही हालत रही । 29 लाख कुंटल में से 76-77 में उत्पादन किया, 77 में 36 लाख टन पैदा किया । 76-77 में भाव प्रति कुंटल 450रू0 था और 77-78 में 325 रु0 प्रति कुंटल का इस प्रकार हमको कुटल मूल्य 76-77 में 1,340 रू0 मिला । इस अवधि में तिलहन का उत्पादन 4 प्रतिशत बढ़ा और कीमत 6 प्रतिशत पिछले वर्ष से कम मिली । यही स्थिति तम्बाकू की रही, 3 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा और मूल्य 11 प्रतिशत कम मिला । ज्यों-ज्यों उत्पादन किसान करता गया, लागत से कम मूल्य उसको मिला । यह पूंजीवादी व्यवस्था का दोष है । हमेशा मालिक यह चाहता है कि बकरा खिलाये और मोटा हो जाय और बकरा मोटा हो जाय तो मार कर खा जाता है । वही इनकी हालत है । किसान से कहते हैं कि उपादन बढ़ाओ और फिर उसको जप्त कर जाते हैं ।

यह गन्ने की बात कर रहे थे, ऐसी स्थिति में हम काफी आगे बढ़े हैं । इनकी सारी योजनाओं के बारे में, इनकी सारी प्लानिंग के बारे में, जब गम्भीरता से विचार किया जाता है तो हर जगह यह देखने को मिलता है कि यह शासन कमजोर है या शासन की बड़ी कमजोरी है या लोकतन्त्र कमजोर है जो उसका फायदा नहीं उठा पाता । हमारी सारी योजनायें एग्रो के माध्यम से देखने को मिलती हैं । एग्रो में आप देख लें । इसके जरिए हमारे किसानो की कई चीजें सप्लाई की जाती हैं । इसके माध्यम से कई चीजों के सप्लाई का प्रोग्राम और लक्ष्य था और देखने में क्या आया कि जितना घटिया सामान एग्रो के जरिए से मिला, अगर वह सामान दूसरी जगह से लिया जाता है तो उससे अच्छा मिलता है । एग्रो से बनी हुई चीजें जो अच्छी होती हैं, वह बाहर भेज दी जाती हैं और बाहर से खराब चीजें एग्रो के माध्यम से किसानों को दी जाती हैं । छिड़काव का सामान जो मिलता है वह लागत से अधिक रेट पर मिलता है और जल्द ही खराब हो जाता है ।

देखा यह जाता है कि जो मिनिस्टर आते हैं, वह किस फर्टिलाइजर एजेन्सी से एग्रो के माध्यम से सौदा करते हैं और जब वह चले जाते हैं, तो उस फर्टिलाइजर एजेन्सी के समझौते को तोड़ दिया जाता है । इस प्रकार से उस एजेन्सी की आधार पर लाखों बोरी खाद खराब हो जाती है । उनको अब माननीय मंत्री जी कैंसिल कर रहे हैं । आप देखें डबुल पेमेंट बैंकों को एग्रो के माध्यम से कराया गया है, जिस पर 3 लाख फुछ परसेन्ट ब्याज होता है, जिसका बोझ किसानों पर पड़ रहा है । आखिर इस डबुल पेमेन्ट के ब्याज की धनराशि के जिम्मेदार कौन हैं, कोई सरकारी कर्मचारी हैं, या शासन स्वयं है इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी । एग्रो के माध्यम से जो अपेक्षा और उम्मीद और जो विश्वास किया जाता था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है और जनता का विश्वास उठता जा रहा है । एग्रो के माध्यम से जो कार्य होता था, उसके विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है । वह इसके विपरीत दिशा में शुरू हुआ है । ऐसी स्थिति में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भूमि संरक्षण योजना जो चली उसमें क्या हुआ है भूमि समतली करण और मेड़ बन्दी । उसका तरीका क्या है चाहे कोई समतलो कराना चाहे चाहे न कराना चाहे लेकिन लिखा कर ले लेंगे । इसमें एक चौथाई सरकार देगा । नतीजा क्या होता है कि मेड़ बन्दी से पानी रुकता है जिससे फसल खराब हो जाती है । एक फसल को फायदा होता है बाकी नष्ट हो जाती है इससे किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार पनप रहे पूरी योजना फेल हो रही है । दूसरी चीज एक फसल योजना है ।

इस प्रदेश के अन्दर 55 निगम हैं जिसमें 5 कृषि विभाग से सम्बन्धित हैं । फसल संरक्षण योजना फसल सुरक्षा योजना सक्रिय रूप से काम करते तो फायदा होता । इसमें काफी सबसीडी हैं और उब लोगों के लिए हैं जो सीमान्त हैं लेकिन जो बीच के लोग हैं सब खा जाते हैं चाहे समर्थ मूंग हो चाहे ढ़ेचा इससे 22-23 प्रतिशत भी लाभ नही होता । जो सब्सिडी है उसका एक प्रतिशत किसान को लाभ नही होता । इसके बारे में कितनी बार प्रश्न उठाये गये जो सुरक्षा और संरक्षण के हित में होने चाहिए । जो मेहनत और परिश्रम मसक्कत से पैदा करते हैं उनको लाभ नही मिल रहा हैं । इसको सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार के पास किसी प्रकार का कारगर रास्ता हैं ? जनता इस तरफ देखना चाहती हैं । यह गांवों की ओर चले का जो झूटे नारे । गलत नारा देते हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला हैं । पहले बजट से जो खुशी होती थी वह आज घृणा करने लगे हैं ।

ऐसी स्थिति में जो हमारा बजट हैं दिन प्रति दिन हमारे सामने समस्या पैदावार हैं । उत्पादन बढ़ रहा हैं । हमारे प्रदेश की भूमि इतनी उपजाऊ हैं जो शायद कही नही हैं लेकिन फिर भी हम बंगाल, पंजाब, हरियाणा से आगे नहीं बढ़ सके । प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में ढ़ाई गुना, हरियाणा में दो गुना है चाहे गेहूं में ही देख लें चाहे चावल में हमारे प्रदेश से आगे है । हमारा लागत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है तो क्रय शक्ति भी हमारी गिरी है । हमारे मंत्री जी में अगर नैतिकता हो और चुनौती स्वीकार करें तो यह बता दें कि 2 वर्षों के अन्दर जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कितनी क्रय शक्ति आम जनता की बढ़ी है, आंकड़े हम को दे दें या सदन में पेश कर दें । क्रय शक्ति गिरी है।

मान्यवर, जो उत्पादन करता है उसको लागत मूल्य नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता । नतीजा क्या हुआ कि जो मार्केट में माल हैं साधारण लोगों म उसको खरीदने की शक्ति नहीं रह गयी हैं । जनता में असंतोष हैं, हीन भावना हैं, आक्रोश हैं, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा हैं । अगर गांव में बाजारों में सड़कों पर जायें तो जो भी सुनने को मिलता हैं वह यही हैं कि जतता को उम्मीद थी, आकांक्षायें थीं, उसकी जो आशा थी, जो विश्वास था, वह दिन प्रति दिन गिरता जा रहा हैं, टूटता जा रहा हैं । माननीय मंत्री जी इसको स्वयं स्वीकार करते हैं और जो नतीजे आ रहे हैं, वह भी यही बता रहे हैं, ये स्वीकार करें या न करें ।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अभी आपने सुना होगा मंत्री जी ने कहा कि शीत गृह 200 प्रदेश में बनाये जा रहे हैं । 50 सरकारी, 150 प्राइवेट सेक्टर में । मुझे ऐसा विश्वास है और ऐसी जानकारी मिली है कि यह सारे शीत गृह केवल राजनीतिक कारणों से बन रहे हैं । यह नेताओं, मिनिस्टर्स के जनता पार्टी के एम० पी० के क्षेत्रों में बनाये जा रहे हैं ।

[श्री मित्र सेन]

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में ह । तीन शीत गृह फैजाबाद में बनने जा रहे हैं। इतने बड़ विश्वविद्यालय के पास एक भी शीत गृह इन्होंने नहीं स्वीकृत किया। सब हैं, इनकी पार्टी के लोग हैं, बांट लिया । कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, कृषि विश्वविद्यालय कुमार गंज, यहां बड़े-बड़े शोध होते हैं वहां इन्होंने शीत गृह बनाने की योजना नहीं बनाई । योजना इन्होंने बनाई है जहां इनके दल के लोग वोट वाले हैं, इनके एम० एल० ए० का हित है । यह सब राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है । आलू के उत्पादन को देखते हुए, गेहूं के उत्पादन को देखते हुए जो हमको उत्पादन बढ़ाने पर लाभ मिलना चाहिये, किसानों को समर्थित मूल्य मिलने चाहिये पर इस किसानों की हितैषी सरकार में, इस किसानों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार में, वह नहीं मिल रहा है । किसानों की इनसे आस्था टूटती जा रही है । एक बात और आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे सामने मंडी समिति के कारनामें । (लाल बत्ती होने पर) आप हमारा टाइम क्यों घटा दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आपको 23 मिनट हो गये, 2 मिनट और शेष हैं ।

श्री मित्रसेन--

मंत्री जी को 2 घन्टे समय दिया और मुझे ....

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको बता दिया कि 25 मिनट में से 23 मिनट हो गये, 2 मिनट और हैं । आप बोलें, 2-4 मिनट और ले लीजियेगा ।

श्री मित्रसेन--

मंडी समितियां ऐसी जगह पर बनाई गयीं जहां पर किसानों का माल पहुंच न सके । मंडी समिति में शुरू में अपने सामान को किसान लेकर जाता है । इनका उद्देश्य बिचौलियों से बचाना है । हुआ यह कि शहरों में, शहरों के बाहर जहां ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे किसान अपना सामान मंडी समिति तक पहुंच सके वहां यह मंडी समितियां बनाई गयीं । मंडी समितियों के जो सरकारी कर्मचारी हैं वह व्यापारी से मिलकर किसानों को लूटते हैं । सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, देख रहे हैं । मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी व्यापारियों से मिलकर किसानों को लुटवा रहे हैं । जो प्रैक्टिकल होता है, जो हर जगह सुनने में आ रहा है, वह यह चीज है, दूसरी बात मंडी समितियों का जो चुनाव हुआ है और अभी तक जो मनोनयन हुआ है उसको अगर देखा जाय तो दुख की बात है कि सक्षम सरकार होते हुये भी दलगत राजनीति से प्रेरित होकर दो चार जगहों पर मंडी समितियों में दलगत राजनीति से उसका मनोनयन इन्होंने किया है । इस सरकार से यह उम्मीद नहीं की जाती थी । मंडी समितियों में जो घपला होता है और जो मंडी टैक्स है वह सब चीजें मंत्री जी को मालूम हैं ऐसी चीजों से वह अनभिज्ञ नहीं हैं । लेकिन यह क्या व्यवस्था करेंगे, यह जो परेशानियां हैं इनको देखते हुये इनको कैसे रिमूव करेंगे वह तो मंत्री जी जानें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली मंडी समितियों में जो दिक्कतें हैं उनको देखने की कृपा करें ।

इसी तरीके से मान्यवर, हमारे सामने गोबर गैस संयंत्र हैं । गोबर गैस से जो लाभ हैं उसका फायदा कुछ बड़े लोग ही उठा सके हैं यह उन्हीं के मान की बात है

संख्या 55--कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या 56--कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या--57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61--क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या--68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या--95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--99 क्षत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--121--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या--124 क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

गांव का सामान्य किसान गोबर गैस से लाभ नहीं उठा पा रहा है । यह बड़े किसान के उपयोग की चीज है । यह किसान के लाभ की चीज है, आम जनता के लाभ की चीज है, इससे ईंधन प्राप्त होता है, लाइट प्राप्त होती है तो इसको विश्वास करके किसान को बनाना चाहिये लेकिन यह हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको संकोच है, जो प्रसार विभाग है या जो इन योजनाओं को गांवों में ले जाते हैं इस तरफ जनता को आकर्षित नहीं कर पाते हैं कि यह उनके उपयोग की चीज है । इस संबंध में परेशानी सरकारी स्तर से है । उनको आसानी से यह संयंत्र सुलभ नहीं कराये जा रहे हैं इसलिये यह जो हमारी गोबर गैस की योजना चल रही है वह बहुत सीमित होती जा रही है । हमने देखा कि गांवों में शायद किसी किसी गांव में कुछ बड़े किसानों पर दबाव डालकर और अपने टारगेट को पूरा करने के लिये यह मान्यवर, किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें, 32 मिनट हो गये हैं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, 5 मिनट और दे दें ।

मुझे गन्ने के बारे में माननीय मंत्री जी से कुछ कहना है । मंत्री जी ने कहा कि हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसकी खपत करायें । हमारा कहना है कि हमारे देश व प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार की समझ में यह नहीं आया कि उत्पादन की खपत की जिम्मेदारी किस पर है । उन्होंने कहा कि पैदावार बढ़ाने से काम नही चलेगा, जब तक कि बाजार नहीं बनाया जाता तब तक लाभ नहीं मिलेगा । उन्होंने यह भी कहा कि मारीशश की चीनी की क्वालिटी अच्छी है, दुनिया मानती है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो चीनी उद्योग है, जो चीनी मिलें हैं उनका गठन उचित ढंग से क्यो नहीं किया जाता । उनमें साइंटिफिक परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता, वैज्ञानिक चीज क्यों नहीं लाई जाती है जिससे हमारी चीनी की क्वालिटी अच्छी हो और दुनिया के बाजारों में उसकी डिमान्ड हो । चाहे हमारा आलू हो या कोई भी उत्पादन हो दुनिया में और देश में मार्केट बनाने की हमारी सरकार की जिम्मेदार है, यह किसान की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे देश और प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है कि उत्पादन बढ़े लेकिन मार्केट और दूसरी चीजों को दुरुस्त रखने का काम इस सरकार का है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री मित्रसेन—

इस शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम प्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि मंत्री द्वारा पेश बजट का कुछ सुझावों के साथ समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे सुझाव यह देना है कि आज की कृषि में जब कि नई-नई वैराइटियाँ बीजों की आ रही हैं । उसमें रसायनिक खाद का बड़ा महत्व है । यह खाद किसानों को सही रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है । इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि किसानों को खाद देने की बहुत सी एजेन्सियां हो गयी हैं । कृषि विभाग की तथा अन्य एजेन्सियां जो खाद बांटने की हैं वह जैसे सहकारिता, एग्रो या व्यक्तिगत व्यवसायी या कहीं-कहीं पर केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल पम्पों द्वारा खाद वितरित की जाती है जिसका परिणाम यह होता है किसानों को जो खाद मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है और ब्लैक से किसानों को खरीदना पड़ता है जो कि बहुत महंगी पड़ती है। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि रसायनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराने के लिये कृषि विभाग ही जिम्मेदार रहे और कृषि विभाग सारी खाद अपनी तरफ से जिलों में ब्लाक वाइज वितरित करे। विकास खंडों में जो कोटा हो उसके आधार पर वितरित की जाय । विकास खंडों में ग्राम सेवक क्षेत्र स्तर पर कृषि विभाग की तरफ से कृषि गोदाम बनाने चाहिये जहां से रसायनिक खाद कीटनाशक दवा और बीजों को वितरित किया जा सके । इसलिये ग्राम सेवक क्षेत्र स्तर पर जो प्रधान हैं उनकी एक कमेटी बने और उस कमेटी का संयोजक प्रधान बनाया जाय । इस तरह किसानों को हर चीज अपने क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेगी और जो बाजारों में यह एजेन्सियां रहती हैं उन पर कब खाद आती है इसका पता ही किसानों को नहीं लग पाता और वह बंट भी जाती है । इससे किसान दुखी रहता है । इसलिये मान्यवर, रसायनिक खाद नये नये बीजों के लिये मिलना बहुत जरूरी रहता है और जब तक यह खाद किसानों को आप उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक खेती में उपज बढ़ना मुश्किल होगा ।

मान्यवर, कृषि गोदाम एक जगह बने हुये हैं, वह केन्द्रित रहते हैं जिससे छोटे किसानों के साथ पक्षपात होता है क्योंकि प्रभावशाली लोग इन गोदामों से बीज ले लेते हैं और कमजोर किसान बीज नहीं पाता है । इसलिये इन गोदामों का भी विकेन्द्रीकरण हो जाय तो छोटा और बड़ा किसान अपने-अपने हक बराबर रूप से पा सकेंगे । मान्यवर, इसी तरह कीटनाशक दवाइयां हैं, वह बाजारों में दुकानों पर बिकती हैं जिनके बारे में छोटे किसानों को पता ही नहीं चलता है और ब्लैक में तेज मिलती हैं । इसलिये यदि यह दवाइयां भी कृषि गोदामों के माध्यम से वितरित हों तो छोटे और बड़े किसानों को उपलब्ध हो सकेंगी और उनका ब्लैक नहीं हो सकेगा । इन सुझावों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कुछ बुनियादी मसलों की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान कुछ सुझावों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 84 फीसदी लोग देहात में रहते हैं और कुल आमदनी की 55 प्रतिशत आमदनी खेती से होती है । इनमें से कुल श्रमिकों म से 74 प्रतिशत लोग गांवों म खेती में लगे हुये हैं। तो मान्यवर, इतने बड़े उद्योग के साथ जहां इतनी बड़ी आबादी जुड़ी हो जिसको 30 वर्षों से नहीं बल्कि इससे भी पहले से आज तक

संख्या 55--कृषि विभाग (कृषि), अनुदानसंख्या 56--कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या 57--गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61--क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 68--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या 95--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 97--कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्य 99--क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 121--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 123--कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124--क्षेत्रीय विकास विभाग-- ण और अग्रिम

किसानों की हालत न सुधारी गयी हो तो उसका क्या कारण है। तो मान्यवर, इसमें कुछ बुनियादी बात है जिसमें देव बहादुर जी का तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं का ध्यान नहीं गया है। खतों में जो पैदा होता है उसकी कीमत भी मुनाफे की दर से नहीं मिली। उसकी कीमत घाटे की दर से मिली। कल-कारखानों में जितना भी सामान पैदा होता है, जितने भी कृषि औजार बनते हैं खुरपी से लेकर फावड़े, ट्रैक्टर ट्राली तक, उन्हें पैदा करने वाला मुनाफे की तरफ जाता है और उनका उपयोग करने वाला किसान घाटे की तरफ जाता है। यह दो व्यवस्थायें इस मुल्क में चल रही हैं। इस बुनियादी सवाल को हमें तोड़ना पड़ेगा। जब तक कृषि जन्य पदार्थों को घाटे से निकालकर मुनाफे की तरफ नहीं लायेंगे तब तक कृषि में कोई बुनियादी परिवर्तन की आधारशिला इस प्रदेश में नहीं रखी जा सकती। पिछले निरन्तर 30 वर्षों में खेती में काम आने वाले औजारों की कीमतें कांग्रेसी शासन में बढ़ती रहीं और इसका नतीजा यह हुआ कि खेती का उत्पादन तो बढ़ता गया लेकिन जैसा मित्रसेन जी ने कहा कि किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ सकी। किसान की क्रय शक्ति कैसे बढ़े, इसके लिये 30 वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है? आपने खाद, ट्रैक्टर, खुरपी, फावड़े और सब बड़ी-बड़ी चीजों की कीमतें बढ़ा दीं और आप सोचते हैं कि किसानों की हालत सुधर जायगी? जब से उत्तर प्रदेश और केन्द्र में हमारी हुकूमत बैठी। खाद और कृषि के औजारों की कीमतें घटाने का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से हो रहा है। जो खाई आपने खड़ी कर दी थी उसको पाटने में कुछ समय अवश्य लगेगा। आपकी सरकार ने एक ऐसा गलत काम किया है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जब किसान ने ट्रैक्टर, ट्राली या किसी काम के लिए ऋण लिया तो आपने उसे भी बंधक बना दिया और उसकी खेती को भी बंधक बना दिया। यदि एक आदमी ट्रक या कार के लिये ऋण लेने जाए तो केवल कार ही बंधक होती है। आपको इस परम्परा को तोड़ना होगा। कृषि ऋण की इस पद्धति को जब तब आप नहीं बदलेंगे, जब तक इसमें बुनियादी परिवर्तन नहीं लायगे तब तक इस मुल्क की हालत बदल नहीं सकती और किसानों की हालत नहीं सुधर सकती। हमारे बाप दादा खेती करते-करते मर गये और कुछ नहीं कर पाये, जो लोग केवल बाजार में माल की हेराफेरी करते हैं, वे मौज कर रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें बड़े क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। आज की जो हुकूमत है वह शुद्ध किसानों की हुकूमत नहीं है।

(व्यवधान)

मंजूर भाई जैसे लोग किसान हैं नहीं और किसानों की बात करते हैं। जो बीज प्रमाणीकरण की बात आपने कही, मैं उस संबंध में निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय बीज निगम और उत्तर प्रदेश तराई बीज निगम, यह दो ऐसी संस्थायें हैं जो

[श्री रघुवर दयाल वर्मा—]

किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण कर रही हैं। बीज बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। जो सरकारी संस्थान का गेहूं का बीज है उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन 150 रु० पड़ती है और प्रबंध व्यय 35 रु० पड़ता है। इस तरह इसका सेल प्राइज 185 रु० बैठता है। तराई निगम, जो बढ़िया किस्म के बीज भी नहीं बनाता, वह अपने व्यय को ज्यादा बताकर 235, 255 और 282 के भाव लेते हैं। 235, 212, 280 का भाव तय करते हैं। सरसों जो आपके फार्म में पैदा हुआ उसकी कीमत में 300, 400, 500 का फर्क है। जो अधिकारी यह कहते हैं कि लागत पर ज्यादा फर्क आता है मैं कहता हूं कि वे हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं और झूठ बोलते हैं····

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

पांच मिनट और दे दें। मान्यवर, मैं कह रहा था कि बड़े पैमाने पर बीज निगम वाले हमारा शोषण कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों को बीज निगम के जाल से बचायें और राहत दें। आपके निगम को जो घाटा हो रहा है, दूसरी संस्थाओं को घाटा हो रहा है, उसका मूल कारण आपके अधिकारी और यह तराई बीज निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के लोग हैं। एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के दो सिद्धान्त थे····

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री लीलवत सिंह (जिला मुरादाबाद)—

कृषि एक ऐसा विभाग है जिस पर देश का 70 प्रतिशत आदमी डिपेन्ड करता है। अब तक कृषि की दशा ठीक नहीं हो पायी है। जैसे कांग्रेस के समय में कृषि के अंदर कृषक लोग कमजोर रहे उसमें कुछ सुधार जनता पार्टी में हो रहा है। मैं सुधार के कुछ उपाय बताऊंगा जिनके आधार पर हो सकता है इस प्रदेश और भारत का भला हो।

मैं पहला सुझाव यह दे रहा हूं कि कृषि के लिए जो यन्त्र हैं उनकी कीमत में इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गयी है कि अच्छे यन्त्र नहीं खरीदे जा सकते हैं जिसकी वजह से खेतों की जुताई ठीक ढंग से न हो सकने के कारण कृषक लोग परेशान हैं। डिजिल ट्रैक्टर जिसकी कीमत साढ़े चौदह हजार रुपये थी, बढ़कर पचास हजार हो गई है। यन्त्रों की कीमत में इस बढ़ोत्तरी से आज का कृषक वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा है। मैं यह कहता हूं कि यन्त्रों की कीमत जो पहले थी उसी को बनाये रखा जाय ताकि किसान नय प्रकार के यन्त्रों को लेकर वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो लोग शिक्षा प्राप्त कर, ट्रेनिंग प्राप्त कर आते हैं, जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनका ध्यान खेती की तरफ से हटता जा रहा है क्योंकि जिन यन्त्रों से वे खेती करना चाहते हैं उनकी कीमत तेज हो गई है । पुराने यन्त्रों से, पहले के यन्त्रों से, वे काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी शिक्षा और अनुभव ही नये प्रकार के यन्त्रों पर आधारित है । यन्त्रों की कीमत में बढ़ोत्तरी के कारण इनको वैज्ञानिक ढंग से काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिससे ये लोग गांवों में रुकना और खेती की ओर ध्यान देना नहीं चाहते ।

खेती में सुधार के लिए यह भी आवश्यक है कि रसायनिक खाद का दाम भी ठीक हो । हमारी सरकार ने कुछ दाम घटाये हैं लेकिन वह नहीं के बराबर है क्योंकि यूरिया का 50 किलो का कट्टा जो 50 और 60 रुपये में मिलता था अब 80 से ऊपर मिल रहा है, जब कि गेहूं की कीमत वही है जो पहले थी थोड़ी सी कीमत 105 से 115 हो गई है । खेती के लिए खाद बहुत आवश्यक है । उसका उपयोग तभी हो सकता है, जब वह उचित दामों पर मिले । कम से कम इनके दाम वही कर दिये जायं जो पहले थे, जिससे ज्यादा खेती की जा सके हरी खादों की ओर किसानों का ध्यान जाना चाहिये । विभाग की कोशिश होनी चाहिये और जो कृषि अधिकारी हैं वे गांवों में जा कर लोगों को हरी खाद तथा कम्पोस्ट के बारे में बतलायें कि वह कैसे बनती है । इससे यह होगा कि ज्यादा पैसा खर्च न करके थोड़े पैसे में ही कृषि की उन्नति हो सकेगी ।

गेहूं की जो कीमत है वह कम रखी गयी है । हमारी सरकार ने हालांकि 105 रु0 से बढ़ा कर उसे 115 रुपये कर दिया है लेकिन इसको 150 रु0 किया जाय । इसके अलावा एफ0 सी0 आई0 के खरीदने का ढंग बड़ा गन्दा है । वह दूसरे आदमियों के पास नहीं जाने देता । यह कोशिश होनी चाहिये कि कोआपरेटिव तरीके से उनको नकद पैसा दिलाया जाय ।

आलू की जो फसल पैदा होती है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था होनी चाहिये । कोल्ड स्टोरेज बहुत कम हैं । उनको अधिक से अधिक बनाया जाय । आलू की कीमत सरकार ने गिरा दी है, उसकी दशा भी बदतर हो रही है, इस ओर सरकार ध्यान दे ।

जहां तक गन्ने का सवाल है इसके बीज को ठीक करने की व्यवस्था की जाय । अनुसंधान करके उन्नत नया बीज पैदा किया जाय क्योंकि पुराने बीज में कीड़ा लग गया है । चीनी का जो बफर स्टाक है उसे बढ़ाया जाय जिससे कृषकों को ज्यादा पैसा मिल सके । गन्ने की कीमत अभी पहले की ही नहीं मिली है उसको भी किसानों को दिलाया जाय और सबसीडी भी दिलाई जाय क्योंकि उसे

[श्री लीलवत सिंह]

अपने ही पास रखे हुए हैं। फैक्टरीज को कोआपरेटिव बेसिस पर बनाया जाय और जो सिक फैक्टरीज हैं उनको पैसा दे कर ठीक किया जाय ताकि उनकी रिकवरी बढ़ सके।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

ट्रेजरी बैंचेज से 3 बोल चुके हैं। अब कांग्रेस (आई) सबसे बड़ा विरोधी दल है इसको अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

पहले श्यामधर जी बोल लें, फिर आपके दल को मौका मिलेगा।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

कांग्रेस (आई) मुख्य विरोधी दल है आपने मुझे मौका ही नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता--

पहले श्यामधर जी बोल लें। फिर आपको मौका मिलेगा।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं दल की ओर से खड़ा हुआ हूं इसलिये मुझे पूरा समय मिलना चाहिये। (व्यवधान) श्रीमन्, पहले आप इसकी व्यवस्था करें।

श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि इन 25-30 वर्षों में खेती में प्रगति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खेती-खेती की तरफ प्रगति हुई है, खेती उद्योग की तरफ प्रगति नहीं हुई है। अगर इसको आप प्रगति मानते हैं, खेती से खाना जुटा पाते हैं तब तो इस ढंग से निश्चित रूप से इस दिशा में प्रगति हुई है लेकिन इस तुलना में यदि हम पिछले 30 वर्षों को देखें चाहें वे 30 वर्षों के कांग्रेस के जमाने के मंत्री हों जो आज भी वही हैं, या जनता सरकार के पिछले वर्षों के मंत्री रहें हैं, मैं कहता हूं कि खेती उद्योग के रूप में नहीं आयी है। यही देश का दुर्भाग्य है और यही मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, हमारे सामने एक पुस्तिका है, जो इस सरकार द्वारा बंटी है-- 6ठीं पंचवर्षीय योजना की पुस्तिका है जो कि सन् 78-79 तक की योजना है-- इसके पृष्ठ 45 पर दिया है यहां पर पैदावार बढ़ी है और इसकी तुलना आज की उत्तर प्रदेश की जो है उससे की जाय--छोड़ दीजिये पिछले 30 वर्षों को, कल का और उससे पहले की किन्तु आज ही की तुलना की जाय तो हमारे सामने जो चार अनाज हैं--गेहूं, धान, मक्का और गन्ना, प्रति एकड़ पैदावार यहां निश्चित रूप से प्रगतिशील प्रदेशों से बहुत कम है। प्रगतिशील प्रदेश कया-क्या हैं। कम से कम गेहूं में इस प्रदेश से 5-7 ज्यादा है, धान में करीब-करीब 8 ज्यादा हैं जहां प्रति एकड़ पैदावार ज्यादा होती है। मक्का के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि 10 ऐसे हैं यहां पैदावार यहां से ज्यादा होती है। और गन्ना, जिसको मैं समझता था कि हमारा प्रदेश बड़ा प्रगतिशील है शायद वहां दर्जनों ज्यादा हैं।

सं0 55--कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या--56 कृषिविभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या--57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61--क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या--68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या--95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या--124 क्षत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

श्रीमन्, इसी पुस्तिका के पन्ने 9 पर यदि आप देखेंगे कि करीब-करीब 6 करोड़ एकड़ भूमि पर यहां पर खेती होती है, जिस पर कि 2 करोड़ टन गल्ला पैदा होता है, जो कि निश्चित रूप से 25 वर्षों में दुगुना हुआ है। दुगने के लिये सरकार को बधाई। लेकिन अगर दुनियां की तुलना में देखा जाय जो कि एक रिकार्ड है कि प्रगतिशील दुनियां है, उसकी पैदावार गेहूं कि करीब-करीब एक करोड़ में एक टन पैदावार होती है। लेकिन यहां पर 6 करोड़ एकड़ में

(इस समय 2 बज कर 24 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

2 करोड़ टन पैदावार आपको होती है। इसके लिये हमारे मंत्रीगण चाहें पुराने हों, या वर्तमान हों, कांग्रेस के हों या जनता पार्टी के हों वे पीठ थपथपाते कि यह तुम्हारा रिकार्ड है। श्रीमन्, जैसा कि मंत्री जो स्वयं कह रहे थे कि ऐसी कोई चीज इस देश में नही है जिसकी पैदावार बढ़ी हो लेकिन लागत से कम लोगों को मिलती हो। श्रीमन्, केन्द्र में ए0 आर0 सी0 है वहाँ पर बैठकर वे तय करते हैं कि कितना प्रति क्विंटल गल्ले का दाम पड़ता है और दिया जाता है। श्रीमन्, यह दुखद कहानी है कि डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है और वहां पर वह कमेटी जोनती है कि सवा सौ रुपये देना चाहिए। मैनीफैस्टो मंत्रीगण हमें बताते रहते हैं और आश्वासन देते हैं कि जब हम आयेंगे तो डेढ़ सौ रुपये क्विंटल देंगे। वह देना यह भूल जाते हैं, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं और उसकी वे यहां पर चर्चा भी नहीं करते।

आज श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं नई दिशा को लेकर बात कर रहा हूं। इस देश में 60 करोड़ के करीब आबादी है और उसमें हमारे यहां 10 करोड़ के करीब आबादी पहुंच रही है तो उस 10 करोड़ में कपड़ा तथा और सामान लेकर देखें आज के भाव में और 60 के भाव में 3 सौ प्रतिशत दाम बढ़े हैं। यानी तिगुने दाम बढ़े हैं। उसमें कोई कारण नहीं है कि किसानों को यह कह कर मार दो कि हमें शहरी आबादी को खिलाना है इसलिए कम दाम पर अनाज बिके। आप शहरी आबादी से कह दीजिये कि दो सौ रुपये क्विंटल से कम दाम पर किसान का गल्ला जो खरीदेगा उसे सजा होगी। इतना देने पर भी आज आपको साढ़े पांच सौ करोड़ का घाटा हो रहा है। इतना करने पर भी आप किसान को 115 रु0 दे रहे हैं और उस पर आपको माननीय सदस्य बधाई दें, कांग्रेस सरकार ने 105 दिये और आपने 115 दे दिया तो उससे आप बधाई के पात्र नहीं हो सकते। अगर कांग्रेस निन्दा की पात्र थी तो आप घोर निन्दा के पात्र हैं। अगर कांग्रेस सरकार 105 कहती थी तो वह गलत थी और आप 150 कह कर 115 दे रहे हैं। इसलिए आप की घोर निन्दा करते हैं। वही हाल गन्ने का है और वही कहानी आलू की है।

[श्री श्यामधर मिश्र]

ट्रैक्टर की हालत देख लीजिये । इस प्रदेश में ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर की कितनी कमी है यह मैं नहीं कहता हूं । यह आपकी जो पुस्तिका छठी पंचवर्षीय योजना आपने दी है इससे मालूम हो जायेगा । इस योजना के अंत तक लाखों लाख टन फर्टिलाइजर की कमी यहाँ होगी । यह किसकी वजह से है, क्यों यहां दो चार फैक्ट्रियाँ लगाने की कोशिश नहीं करते हैं । मैं जानता हूं एक दो लगगी जो कि थोड़ी होंगी । इसी तरह से फर्टिलाईजर की फैक्ट्री नहीं लग रही है । ट्रक्टर की एक दो फैक्ट्री आपकी प्रतापगढ़ की सिसक रही है । मैं यह कहूंगा कि जो आपकी वर्तमान नीति है या पिछले समय के नेताओं की यह नीति थी कि हम खेती से इस प्रदेश की इज्जत को बढ़ा लेगें और यहाँ की बेरोजगारी को दूर कर लेंगे तो इस बात को आप भूल जायं । मैं कहना चाहता हूं कि खेती पर आपकी आबादी 75 से 80 प्रतिशत यहाँ पर हो गई है इसको आप पीछे करें 35 और 40 प्रतिशत तक लायें और बाकी को अगर उद्योग पर नहीं ले जाते तो आप देखेंगे क्या कर लेंगे । जब तक छोटे और बड़े उद्योगों को समन्वित करके नहीं चलेंगे तब तक खेती की प्रगति नहीं हो सकेगी । खेती और उद्योग दोनों सहोदर बहिनें हैं । दोनों एक गाड़ी के पहिये हैं । न खेती को प्राथमिकता और न उद्योग को प्राथमिकता दोनों को समान रूप देना पड़ेगा । होता क्या है कल उद्योग मंत्री बोल रहे थ तो वह उद्योग को प्राथमिकता की बात कर रहे थे और आज कृषि मंत्री बोल रहे हैं तो कृषि को प्राथमिकता की बात करते हैं ।

अब आप के कैश क्राप्स पर आइये । मैंने आपकी पुस्तिका पढ़ी है, यहाँ पर आपने दो घंटे तक अपनी बातें कहीं । मैं कहना चाहता हूं कि आपका कश क्राप्स तम्बाकू यहाँ से आँध्र प्रदेश चला गया, कपास यहाँ कुछ नहीं है । कितने लाख बिल गुजरात, हरियाणा और पंजाब पैदा करता है लेकिन आपके यहां क्या है कुछ भी नहीं । यही बात मिर्च की है । आज यह कहने की बात नहीं है कि प्रति एकड़ कितनी पैदावार है आज तो यह कहना है कि प्रति एकड़ कितना रुपया मिल रहा है । केरल का किसान कम पैदा करता है । लेकिन माननीय मंत्री जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केरल का किसान प्रति एकड़ कम पैदा करते हुए भी प्रति एकड़ ज्यादा कमा रहा है, उसकी आमदनी ज्यादा है । महाराष्ट्र का किसान सूखे में रहते हुए प्रति एकड़ कम पैदा करता है लेकिन प्रति एकड़ की मत में ज्यादा है । आज समय आया है कि आप अपनी दिशा बदलें और प्रति एकड़ आमदनी को बदलें । (लाल बत्ती होने पर) अभी तक हमारा कम से कम 7 मिनट बाकी है । मैं तो दल की ओर से बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप 11 मिनट बोल चुके हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

तब भी समय बाकी है । सरकार एक कीड़ा है, इनमें एक दोष है, इनका विकृत दिमाग हो जाता है । सरकार की एजेंसियाँ हैं, ब्लाक्स हैं, बी० डी० ओज० और ए० डी० ओज० आदि तमाम लोग हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस काम के लिए आप इनका कितना प्रयोग करते हैं । अभी एक सदस्य कह रहे थे और मैं भी उसका समर्थन करते हुए चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर्स खाद और बीज बांटना बन्द कर दें और यह कर दिया जाए कि कोई व्यापारी खाद या बीज

संख्या 55--कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या--56 कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या--57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61--क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या--68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या--95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या--124 क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

बांटेगा तो जुर्माना होगा। मैंने मंत्री जी को लिखकर दो प्रमाण सहित भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दो-तीन महीने हो गये, अब कुछ हुआ हो तो हुआ हो। व्यापारी लोग बोरा पन्तनगर का खरीद लेते हैं, 4 के बजाय 8 और 10 में और बोरा सिलन वाली मशीन खरीद लेते हैं। गेहूं 100 रुपये में लेकर डेढ़ सौ में बेच लेते हैं। एसे मामले में इनके वही एग्रीकल्चर अफसर इंक्वायरी करते हैं; जो जिले में बैठ हुए बेईमान अफसर हैं, हमें बताया भी नहीं जाता है कि अब इंक्वायरी होगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अनुदान देना आप बन्द कर दें। क्योंकि आप जितना अनुदान दे रहे हैं उसका आधा सरकारी अधिकारी और बेईमान प्रधान ले रहा है। 50 प्रतिशत अनुदान राशि उसकी जेबों में चली जाती है। (व्यवधान) हो सकता है बलिया में न हो, लेकिन यह हालत सब जगह है। आपको अनुदान देना ही हो तो सामान लेकर दे दीजिए, लेकिन एग्रो कारपोरेशन टाईप नहीं। मैं तो चाहता हूं कि एग्री पर एक दिन अलग से यहाँ चर्चा हो। एग्रो के चेयरमैन मंत्री जी हैं, वह उसे स्वायत्तशासी बताते हैं, मेरा निवेदन है कि वह उसे भी सुधारें, उसमें सुधार की काफी जरूरत है। इसके पीछे जो कल्पना थी, वह बिलकुल पूरी नहीं हुई हो। यह नहीं कि कोई सामान खरीद लिया और उसे इधर से उधर कर दिया जाएगा। इस विभाग की बढ़ोतरी से प्रदेश के जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित है मैं आशा करता हूं कि यह विभाग एक उद्योग के रूप में चलेगा और सही मायने में प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ प्रति एकड़ आमदनी भी बढ़ाएगा आने वाले वर्षों में मैं खेती के बारे में जानता हूं और जब मैं अपन गांवों में देखता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है।

अगर खेतिहर 10 परसेंट अपनी मजदूरी न ले तो भी घाटा होता है। आप देखें मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हो गया है। वह देना पड़ता है। खाद का दाम बढ़ा हुआ देना पड़ता है। आप 115 पर गेहूं ले रहे हैं। आप केन्द्र में हड़ताल कर दीजिये। उसमें आप बड़े तेज हैं। वही अस्त्र लेकर आप आये हैं। आप बैठिए जाकर मोरार जी भाई के पास, कि आप 200 रु0 दीजिये। और हम लोग आपकी ताईद करेंगे। आप विश्वास रखें। इसको राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। यह प्रदेश के जीवन का सवाल है। राजनीतिक प्रश्न नहीं है।

श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है उस पर उनको इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों को जो तीस साल में उर्वरक बीज आदि में जो छूट नहीं मिली वह छूट इस समय किसानों को मिली हुई है और जो भ्रष्टाचार दो, तीन चार साल से सुनायी पड़ता

[श्री राघव राम मिश्र]

था, हाहाकार मचा करता था किसानों में उर्वरकों के प्रति, वह इस समय नहीं है। यह जरूर है कि यह सरकार किसानों पर बहुत ध्यान दे रही ह और किसानों के हितों का पूरे तरह से संरक्षण कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि किसानों में यह भावना धीरे-धीरे बलवती हो रही है, जहाँ इस सरकार का नारा है, गाँव की ओर चलो, तो किसानों में यह भी बात साथ-साथ में आ रही है कि यह लोग गांव की ओर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसानों को उलटने के लिए जा रही ह।

यह भावना क्यों घर कर, रही है ? जब हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतना लाभ किसानों को पहुंचाने जा रहे हैं, मंडी समितियों के द्वारा सम्पर्क मार्ग बनाया जा रहा है, और भी बहुत से काम किसानों के हित में हो रहे हैं। लेकिन फिर भी किसानों में यह भाव क्यों पैदा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गन्ने का उचित मूल्य हम समय पर निश्चित नहीं कर पाते हैं, फिर उस मूल्य पर जो मिल मालिकों को देना चाहिए किसानों को उनके गन्ने का मूल्य नहीं मिल पाता। मुझे गोला गोकरणनाथ की चीनी मिल के सम्बन्ध में मालूम है। 8 महीने तक मिल मालिकों ने पुराने गन्ने की कीमत नहीं दी। दस रुपये नये गन्ने का मूल्य मिल मालिकों ने दिया और स्टे ले आए हाईकोर्ट से, आपकी सरकार इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर सकी।

इसी तरह से क्रशर्स ने इस बार तीन चार रुपये गन्ने का मूल्य दिया। उस पर हमने क्या कार्यवाही की। यह बात जरूर है कि मार्च अप्रैल की गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिलने लगा। लेकिन जिस समय नवम्बर दिसम्बर में बड़ी मात्रा में गन्ना क्रशर्स या मिलों को गन्ना जा रहा था उस समय गन्ना किसानों की बड़ी लूट हुई। दूसरी तरफ यह दिखलायी पड़ता है कि जो वसूली हम लोग करते हैं, इसलिए यह भावना पैदा हो रही है, देहाती क्षेत्र में, चाहे भूमि विकास बैंक के लोग हों, चाहे सहकारिता विभाग के लोग हों, चाहे कुर्क अमीन हों, नायब तहसीलदार वगैरह हों, या दूसरे विभाग के लोग हों, किसानों की भूमि को नीलाम करने की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन किसान को जो उचित मूल्य समय पर मिलना चाहिए, वह सम्भव नहीं हो पाता। महोदय, इस साल गेहूं के मामले में, जहां गन्ना के मूल्य के मामले में किसान पिटा है, इसी तरह चाहे मंत्री जी घोषणा करें कि गेहूं का उचित मूल्य किसानों को मिल रहा है, तो यह सरासर झूठ होगा। सारे किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उसके गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अधिकांश किसानों का गेहूं खरीद सेन्टर पर पड़ा हुआ है। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। मैं गोला गोकरन नाथ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उसके बारे में मैंने लिखकर भी आपको दिया था। वहां की समस्या तभी दूर हो सकती है जब सम्पूर्ण नगर में एक शुगर फैक्टरी चलायी जाये। गोला के किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से और करना चाहता हूं कि सितौली में एक गन्ना सहकारी समिति बनायी जाये, तो उससे उस क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ होगा।

(लाल बत्ती होने पर)

माननीय, एक मिनट का समय मुझे और दे दें मैं समाप्त ही कर रहा हूं। एक सुझाव मेरा यह है कि जो कुटीर उद्योग कृषि पर आधारित हैं उनको आप खोलें।

किसानों को ट्रैक्टर ब्लाक पर उपलब्ध हों, जिससे वे अपनी खेतों की जुताई कर सकें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नलकूप लगवायेंगे, इसकी योजना बनवा रहे हैं। जिस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अभाव है वहां पर आप नलकूप लगवाने की व्यवस्था करें तो उससे किसानों को अधिक लाभ होगा और जनता सरकार की जो इमेज है वह बहुत अच्छी हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बात बिल्कुल सही है कि पहले पैदावर कम होती थी और अब पैदावार अधिक हो गयी है। माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को उनके गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मान्यवर, एक वित्त पोषण कार्यक्रम चलाया गया है, इससे गन्ना किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। पहले जो व्यवस्था थी उससे उनको लाभ था। अब जो नया तरीका लागू कर दिया गया है उससे उनको ब्याज भी देना पड़ता है और वह ब्याज सहकारी बैंक को चला जाता है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्यक्रम तुरन्त बन्द होना चाहिए। गन्ना के सम्बन्ध में सबसे बड़ी चीज होती है कि सही समय से मिल का चलना। जब मिल देर से चलती है तो पेराई भी देर तक होती रहती है। बाद में मजदूर नहीं मिल पाते हैं और गन्ना मिलों में नहीं पहुंच पाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गेहूं काटने के पहले अगर गन्ना की पेराई समाप्त हो सके तो किसानों का ज्यादा फायदा होगा।

मिल मालिकों का कहना है कि प्रारम्भ में जो गन्ना होता है उ में शुगर का परसेन्टेज कम होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाद में जो गन्ना पेरा जाता है उसमें शीरे की मात्रा अधिक होती है। मिलों में जो गन्ने की तौलाई होती है। उसमें भी काफी भ्रष्टाचार है वहां पर ठेकेदार होते हैं और वह गन्ने का काम नहीं कर सकते हैं परन्तु जो सेन्टर्स खुले हैं वहां पर ठेकेदार रखे जाते हैं वह कम तौलते हैं और किसानों को लूटते हैं। मान्यवर, इसको कागनी-जेबिल आफेन्स बना दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गन्ने की तौल में बेईमानी करता है तो उ को सजा मिले। गन्ना अधिकारियों को यह अधिकार मिलना चाहिये कि अगर वे किसी को कम तौलते हुए पावें तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। इसमें मिल मालिकों का भी कुछ हाथ होता है। 60 प्रतिशत जो मुकदमे चलते हैं वह बिना पैरवी के कारण छूट जाते हैं, उनकी मुनासिब पैरवी नही होती है। इस सिलसिले में मिल मालिकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह--]

गन्ना विभाग का प्रशासन पंगु हो गया है। वह बिल्कुल अपने को परम स्वतंत्र समझता ह, वहां पर कोई किसी के आदेशों का पालन नहीं करता है। गन्ना अधिकारी का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर उसे यह अधिकार हो कि वह एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफर कर सके तो वह उसकी बात मानेगा। इसलिए गन्ना विकास अधिकारी को यह अधिकार देना चाहिए कि वह गन्ना निरीक्षकों और जितने भी उसके अधीन कर्मचारी हों, उनका स्थानान्तरण कर सके, इससे प्रदेश में काम में चुस्ती आयेगी।

गन्ना विभाग जो सिक मिलें हो जाती हैं, उनको ले लेता है। लेने के उपरान्त उन मिलों को व्यापारी प्रतिष्ठान के रूप में चलाना चाहिए और जो लोग उसको चलायें उनको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वे उसके विशेषज्ञ हों। आप जो रिसीवर नियुक्त करते हैं वे रैंकर्स को नियुक्त करते हैं। जो लोग नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के करीब होते हैं उनको रिसीवर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। मिल में कोई मुनाफा हो उसकी ओर वे कतई ध्यान नहीं देते हैं। एक मुडेरवा मिल जिसका अधिग्रहण किया गया है वहां पर श्री माथुर अधिकारी हैं जो रैंकर्स हैं जिनको कोटा तक मालूम नहीं है, वे मिल चला रहे हैं। वे कम दाम की लकड़ी को ज्यादा दाम में ले रहे हैं, लोगों को सस्पेन्ड कर देते हैं, मैनेजर को इन्होंने सस्पेन्ड कर दिया है। न जाने कितने मुकदमें आपस में चल रहे हैं। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है वे रिसीवर के पद पर गन्ना विभाग के ज्येष्ठ अधिकारी को ही नियुक्त करें किसी रैंकर को एपाइन्ट न करें। हमारे गन्ना मंत्री जी भी इसके खिलाफ हैं लेकिन जब एपाइन्ट करने का अवसर आता है तो उनको ही एपाइन्ट कर दिया जाता है।

कृषि विभाग खाद और बीज सप्लाई करता है। हमारे कृषि गोदामों पर जो सुपरवाइजर होता है वह चन्द दिनों में ही लखपती हो जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि और गन्ना मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए सबसे पहले मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की 2-4 समस्यायें हैं, उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो कोल्ड स्टोरेज लगाने की व्यवस्था कर दी है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में आलू का उत्पादन कसिया में होता है। वहां पर तमकुही स्टेट की सीलिंग से निकली जमीन पड़ी है। अगर उस जमीन को ले लिया जाय और वहां पर आलू का उत्पादन किया जाय तो वह पूरे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा फार्म हो जाय। वहां पर आलू और सब्जी का बीज पैदा होता है।

हमारे यहां पर एक गन्ना अनुसंधान केन्द्र है। निदेशक महोदय ने बड़ी कर्मठता से और साइंटिफिक जरिए से उन्नतिशील गन्ने के उत्पादन करने का काम किया है। कोयम्बटूर के पैटर्न पर सेवरही में सबसे बड़ा फार्म होगा जो न केवल

उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे हिन्दुस्तान को गन्ना दे सकेगा। वहां पर पलफ से गन्ना पैदा होता है जिसके जरिये बढ़िया से बढ़िया गन्ने की वैरायटी पैदा की जाती है। वहां पर सरकारी जमीन 500 एकड़ चाहिए, उसके पास 200 एकड़ और जमीन उपलब्ध है। अगर उसमें से 200 या 250 एकड़ जमीन इसको दिलवा दें तो बहुत बड़ा अनुसंधान केन्द्र हो सकता है। सरकार ने इस जमीन को एलाट भी कर दिया था लेकिन सरकार के ही अधिकारी उस पर कब्जा नहीं दिला पाते ह। जो अधिकारी उस पर कब्जा नहीं दिला पाते हैं। जो अधिकारी वहां पर शोध के कार्य में लगे हुए हैं, उनके रहने के लिए मकान नहीं बन पा रहे हैं। मैं 2 साल से अनुरोध कर रहा हूं कि यह इतना बड़ा फार्म है जिसमें 80 लाख रुपया आपका इमारत में लगा हुआ है, और इमारत बन कर तैयार हुई है वहां पर रहने तक का स्थान नहीं है उसको आपको देखने की फुरसत नहीं। गन्ना सप्लाई की नीति आपकी बड़ी डिफेक्टिव रही है।

काश्तकारों का गन्ना बरबाद हो गया और किसान उसमें तबाह हो गया।

(व्यवधान)

जहां तक कारपोरेशन की मिलों का सवाल है और रिसीवर वाली मिलों का सवाल है, आपने जो गन्ना काश्तकारों को रुपया दिलवाया है वह एक अच्छा काम किया है उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, हमारे यहां की जो बीमार खांडसारी की मिलें हैं उनको आपने क्यों नहीं लिया। मेरा निवेदन है कि उनको आप अपने हाथ में ले लें। शिवा खांडसारी प्रतिष्ठान कसया को आप अपने हाथ में ले लें। फेस वैल्यू के आधार पर ही सरकार उसे ले ले। हाटा और रुद्रपुर की जो खांडसारी ईकाई हैं उनको आप ले लें। आपने जो बाइ-प्रोडेक्ट्स बनाने की घोषणा की है, वह अच्छी चीज है। दफ्ती, पेपर, पावर अल्कोहल आदि बनाने के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। छोटे-मोटे खांडसारी प्रतिष्ठानों में यह उद्योग लगाये जा सकते हैं। अगर ऐसा आप कर दें तो इससे किसानों का बड़ा लाभ होगा।

हमारे यहां आलू का जो बीज वितरित हुआ उसमें बड़ा घपला हुआ है, बीज बड़ा डिफेक्टिव किस्म का था। वह जमा ही नहीं। इसलिए बीज के वितरण ठीक हों और अच्छा बीज ही दिया जाये इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[श्री राम नरेश पाण्डेय---]

गन्ना अनुसंधान में ऐसे-ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनको काम करते हुए 20-20 साल हो गये हैं पर वे अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जिन नये लोगों की भर्ती हो रही है उनको तो अच्छा वेतन मिल रहा है, जो पहले से काम कर रहे हैं उनको इन नये लोगों से कम वेतन प्राप्त हो रहा है। इससे पुराने काम करने वालों का हौसला जाता रहता है। सरकार को चाहिए कि वह समान काम के लिए समान वेतन की नीति को अपनाये और इस अनुसंधान के पुराने कर्मचारियों को स्थायी करे।

(व्यवधान)

आज किसान का गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरों की कमी के कारण नहीं लिया जा रहा है और किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपना गेहूं लेकर जाता है, उससे कह दिया जाता है कि बोरे नहीं हैं। आज हजारों किसानों की लाइन लग जाती है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोरों का भी इन्तजाम करायें।

एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि देवरिया मिल एरिया में कसया से लेकर बरहज बाजार तक जिसमें लाखों गन्ना काश्तकार आते हैं, इस क्षेत्र का पुनः साइन्टिफिक री आर्गेनाइजेशन कराया जाये। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप पूंजीपतियों की थैलियों से डरिये मत। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

(इस समय 2 बज कर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाबू राम शुक्ल पीठासीन हुए।)

*श्री रणजीत सिंह जुदेव (जिला झांसी)--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई, जब माननीय शिव मंगल सिंह कृषि मंत्री हुए कि एक बहुत ईमानदार व्यक्ति इस मंत्रिमंडल में आये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी, मंत्री नहीं थे, तो वह हमारे रोज विपक्ष के कक्ष में आकर बैठा करते थे और हम लोगों से बातचीत किया करते थे लेकिन जबसे मंत्री बने हैं, इन्होंने हमारे कक्ष में आना ही छोड़ दिया। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं कि मंत्रिमंडल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, वहीं आकर बैठा करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्पादन इस सरकार के लिए बहुत जरूरी है किन्तु किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दें।

जब जनता पार्टी शासन में आई, तो उसने गेहूं के सम्बन्ध में कहा कि 150 रु० प्रति कुन्टल मूल्य देगी, लेकिन श्रीमन् ऐसा नहीं किया गया। गेहूं की प्रति कुन्टल लागत 113 रु० आती है और इस पर गौर नहीं किया गया, 115 रु० प्रति कुन्टल दिया। इसमें कुछ किसानों को खास नहीं बचता है। यह घाटा होता है। मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहां कहावत है उत्तम खेती जो हर गहा। मान्यवर, अब ऐसा लग रहा है कि खेती पर अब कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और निराशा सी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 57–गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 68–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या 95–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 97–कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99–क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 123–कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124–क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम ।

हो रही है क्योंकि उत्पादन के हिसाब से किसानों को प्राइस नहीं मिल रहा है । मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े दूंगा । हर वर्ष के मुकाबले कृषि पर 9 लाख 84 हजार रु० कम खर्च किया गया जबकि माननीय मंत्री जी देखें 174 पेज पर लिखा है कि इस वक्त 9 लाख 84 हजार कम खर्च हुआ है ।

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस कारण कम खर्च हुआ है। इनके नेता चौधरी चरण सिंह किसान के बेटा भी बनते हैं । जो मान्यवर, यह बताया किस लिए यह कमी हुई । ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग में ऐसा न किया गया हो, इसलिए ऐसा हुआ हो । अगर यही हाल रहा है, तो कांग्रेस काल में जो उपलब्धियां रही हैं, तो सब नष्ट हो जायंगी । यह किताब जो मिली है, इस पर महिला बनी हुई है । श्रीमन्, इसमें लिखा है कि उत्पादन जो है, इसमें सिर्फ गेहूं और चावल को छोड़कर हर चीज पर उत्पादन बढ़ा, 9 लाख मीट्रिक टन मक्के का था, श्रीमन्, बाजार खरीद का देख लें, गेहूं का जरूर बढ़ा है । गेहूं के बारे में बताना चाहता हूं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टीविटी कितनी बढ़ी है । यह जरूर हुआ कि जितनी जमीन थी कल्टीवेशन की बढ़ी है, लेकिन मटर, चना, अरहर, मसूर इन सब का प्रोडक्शन गिरा है ।

अब श्रीमन्, अब मैं बुन्देलखण्ड के बारे में बताना चाहता हूं । हमारा बुन्देलखण्ड बहुत गरीब जनपद है । वहां पर पानी की कमी से गेहूं कम हो पाता है । मंत्री जी का कहना है कि गेहूं उत्पादन करो, पानी नहीं है, तो किसान गेहूं कैसे उत्पादन करेगा । मंत्री जी कहते हैं कि गेहूं खाओ, मंत्री जी की इस बात पर फ्रांस की वह कहावत याद आ जाती है, वहां पर जब गेहूं का अभाव था, तो वहां की महारानी ने कहा कि गेहूं न मिले, तो केक खाओ । तो मान्यवर, अब ज्वार, बाजरा तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये कहते हैं कि गेहूं खाओ । हमारे प्रदेश में जो दालें होती हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है । लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । दिन प्रति दिन इसका प्रोडक्सन गिरता जा रहा है । इस किताब में नं० 8 पर लिखा है प्रदेश के कृषकों के सम्बन्ध में, उसको माननीय मंत्री जी देखें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश तराई विकास निगम की स्थापना की गयी, तराई निगम की स्थापना कांग्रेस के जमाने में 10 साल पहले ही हो गयी थी । सिर्फ इसमें आपने उत्तर प्रदेश जरूर जुड़वा दिया है । इसको करेक्ट करवा दें । कृषि के सम्बन्ध में रिसर्च के बारे में इस सरकार ने कुछ किया है । इसमें रिसर्च की बहुत जरूरत है । जब गेहूं की कमी हुई तो एफ० सी० आई० से लिया और बीज के रूप में बांट दिया । बीज तभी बांटना चाहिए जब वह प्रमाणित हो । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, समय दीजिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं । कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं बोला है ।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट बोलिए ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

सीड बहुत महंगा है । इसको उपलब्ध कराने के लिए सबसीडी दी जाय ताकि किसान अच्छा बीज बो सकें । माननीय मंत्री जी सुनें जरा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं । स्माल फार्म डेवलेपमेंट एजेन्सी की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा । कांग्रेस काल में यह शुरू हुआ था और इसमें 18 लाख परिवारों को 19 लाख हेक्टेयर जमीन बांटी गयी थी । आपके शासन काल में इसमें कुछ नहीं किया गया है । उन्हें इकोनामिक होल्डिग बनाया जाये जहां अनइकोनामिक होल्डिग है । जमीन उतनी है जितनी थी, बढ़ नहीं रही है लेकिन फैक्टरियों, सड़कें, कैनाल्स निकालने से कम होती जा रही हैं ।

मान्यवर, आपका ध्यान क्रैश प्रोग्राम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इसको आप प्रोत्साहन दीजिए । आपकी सरकार ने...

(लाल बत्ती जलने पर)

2 मिनट में समाप्त कर दूंगा । श्रीमन्, समय कम है इसलिए मैं भाषण समाप्त करता हूं और कृषि मंत्री का समर्थन करता हूं । मुझे..

(व्यवधान)

उनके प्रति हमदर्दी है । अगर वह सुझाव मान लें तो फिर समर्थन करता हूं ।

*श्री नेत राम सिंह (जिला एटा)—

मान्यवर, कृषि विभाग में विज्ञान का बड़ा महत्व है । कृषि का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ मूल्य मिलने का सवाल जहां तक है, तो इसको मंत्री जी ने और सदन ने स्वीकार किया है, इसके लिए मंत्री जी कोई पहले से योजना बना पाये हैं मूल्य मिलने के लिए, कि क्या योजना होगी ? मैं इस सम्बन्ध में एक सबूत देता हूं शासन स्वयं जानता है कि हर फसल को पैदा करने में कितना मूल्य आता है लेकिन शासन इस बात की ओर ध्यान न देकर दूसरे आधार पर गेहूं के मूल्य को, गन्ने के मूल्य को और चीजों के मूल्य को निश्चित नहीं कर पा रही है । चाहे वह सरकार रही हो चाहे यह सरकार हो अब तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया है । इस प्रकार से कल्याण नहीं होने वाला है । 50 फीसदी लोग खेती पर काम करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं । खेती को उद्योग मानें । खेती को उद्योग मानने के बाद ही सुनवाई होगी । जब तक खेती को उद्योग में नहीं शामिल किया जायेगा तब तक खेती का कल्याण नहीं होगा । कृषि फार्मस हैं आपके पास । उसके द्वारा हर फसल का मूल्य आप निकाल सकते हैं । इसके द्वारा जो प्राफिट आप देना चाहेंगे वह किसान को दे सकेंगे । 115 रुपये रखा है आपने गेहूं का मूल्य वह 200 रुपये से कम नहीं आता है । 200 रुपये के हिसाब से गेहूं का मूल्य किसानों को मिलना चाहिये । मान्यवर, इस प्रकार से मूल्य रख दें । यह नहीं हो रहा है । किसान को अन्धकार में रखा जाता है । उसे नहीं मालूम हो पाता कि कौन सी फसल बोये, कौनसी फसल तैयार करे जिसमें उसे प्राफिट हो सकता है । आलू जिस तरह से खराब हुआ

*वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 56–कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या 57–गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 65–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 68–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या 95–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 97–कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99–क्षेत्रीय विकास विभाग पूजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 123–कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124–क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम ।

किसान उसका प्राफिट नहीं पा सका । सरकार आलू को खरीद नहीं पाई । गन्ना की खेती खराब हुई, गेहूं की खेती खराब हुई । गन्ना, गेहूं, आलू तथा मोटे अनाज सभी के लिये किसानों को सलाह देना चाहिये कि यह अनाज इस समय बोयें तो अच्छा है, वह बोयें तो अच्छा है । इस अनाज को इस हिसाब से लेंगे, उसे इस हिसाब से लेंगे ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार की, इस शासन की कमियों की आलोचना करना चाहूंगा । जो राम गंगा परियोजना है । मैं समझता हूं यह कृषि विभाग के अन्तर्गत कर दी गयी है । दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कृषि विभाग के अधिकारी काम करते हैं लेकिन इसका कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है । नाली खोदी गयी हैं लेकिन नाली में पानी नहीं चलता है । सीमेंट के स्थान पर बालू लगाई जाती है । फर्स्ट क्लास ईंट के स्थान पर थर्ड क्लास लगाई जाती है । एक और भी गन्दगी है । उनके बनने के पहले भी नालियां टूटने लगीं ।

मैं समझता हूं कि कोई सुधार नहीं किया जा रहा है । इसको देखना चाहिये । जिन गूलों में नालियां बनाई जाती हैं । उनका पैसा पूरे काश्तकारों से वसूल किया जाता है । जिन कास्तकारों को इससे लाभ हो उनसे ही वसूल किया जाना चाहिये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दलहन के प्रचार की बात कहूंगा । मेरा जिला दलहन, मूंग नं0 1 पैदा करने में प्रदेश में ही नहीं भारत में सबसे आगे है, एटा । मूंग की खरीद के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 2700 कुन्तल मूंग खरीदी गयी । मूंग कसे खरीदी गयी । जो नियम था उसके हिसाब से नहीं खरीदी गयी । खराब, गन्दत और भीगी खरीदी गयी । 320 रुपये में खरीदी गयी । उसकी शिकायत की थी ऐसेम्बली में । अधिकारियों को निलम्बित भी किया था । उसकी कोई सूचना हमें नहीं दी गयी । मैं समझता हूं कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मूंग खरीदी गयी थी वह बिल्कुल खराब थी, किसी योग्य नहीं थी । जो सवाल मैंने किया था उन लोगों के बारे में उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई । इतना कहते हुये मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें ।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

कृषि के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष जी मेरे गांव में छोटे–छोटे किसान भाई एक कहावत कहते थे कि मैं मीठे–मीठे आम के फल लाता हूं । उनकी गुठलियों को दूध से धोता हूं । और जब गुठलियों से पौधा उगता है तो बड़े प्यार से पालता हूं लेकिन जब उनमें फल निकलते हैं तो सबके सब खट्टे निकलते हैं । श्रीमन्, मुझे कृषि की योजनाओं की याद आती है, जितनी कृषि योजनायें बनती हैं, वातानुकूलित सदन में जब रखी जाती हैं तो बड़ी आकर्षक प्रतीत होती हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—]

और ऐसा लगता है कि समाज बदलेगा, किसान बदलेगा, किसान की हालत सुधरेगी लेकिन जब वह योजनायें किसान के पास तक जाती हैं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है । श्रीमन्, यह कहने में संकोच नहीं है कि जो आज बजट पेश किया गया है, यह सदन वातानुकूलित है, हम यहां चर्चा करते हैं अगर इन बातों को टेप रिकार्ड करके किसान को सुना दें तो वह हमारा घेराव करने पर तैयार हो जाय और मारने पीटने पर तैयार हो जाय ।

किसान के बीच में जाने में शर्म लगती है, वह कहता है कि हमारे वादे कहां हैं । किसान का आलू सड़ गया, किसान का गन्ना सूख गया, किसान के गेहूं की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, वह हमसे कहता है कि हमारे व दे कहां गये । मान्यवर, राम गंगा परियोजना है, मैं सचमुच कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में रामगंगा परियोजना के द्वारा जितनी नालियां बनायी गयी हैं, उसमें एक भी नाली सही नहीं है, एक भी नाली सही सिद्ध जर दें तो जो चाहें दंड दें, मैं तैयार हूं । उसमें ईंट सही नहीं है, सीमेंट उचित मात्रा में नहीं लगायी गयी है । नालियों का ढाल सही नहीं है जिससे किसान परेशान है । उनके खेतों को पानी नहीं मिलता है लेकिन पानी की कीमत वसूल की जा रही है । इसी तरह से एक योजना समतलीकरण करने की चल रही है । मेरे क्षेत्र में एक गाँव है लोहापानी, वहाँ जमीन का समतलीकरण तट किया गया है । काश्तकारों ने कहा है कि हमारी जमीन ले लिया जाय, हमारा घर ले लिया जाय लेकिन वसूली रोक दी जाय । एक काश्तकार के पास 2 एकड़ जमीन है लेकिन उसके ऊपर 27 हजार रुपये की वसूली आयी । वह कहता है कि हमारी हैसियत भी 27 हजार की नहीं है । तो यह जो इस तरह का समतलीकरण हो रहा है वह किसानों को बिल्कुल मिटवा देगा ।

मान्यवर, अभी मिश्रा जी ने कहा कि खाद्य के सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं । खाद सही नहीं मिलती है । खाद में नमक मिलाकर बेचा जाता है । तो ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही करना चाहिये और होता यह कि ऐसे मामलों में बहुत समय लग जाता है तो इस तरह के कार्य करने वालों को तात्कालिक अदालतों में पेश करके जेल भेजना चाहिये जो किसानों को धोखा देते हैं । इसी तरह से बीजों में मिलावट की जाती है । बीज भी शुद्ध नहीं मिलते हैं । बेचने वाले निगम की बोरी ले आते हैं और उसमें देशी गेहूं भरकर ऊंची कीमत पर बेंचते हैं । तो खाद और बीज की व्यवस्था को सरकार अपने हाथ में लेकर उचित व्यवस्था करे जिससे कि किसानों को शुद्ध खाद और बीज उपलब्ध हो सकें ।

इसी तरह से एक लघु कृषक/विकास योजना है जिसमें छोटे-छोटे काश्तकारों को भैंस खरीदने के लिये, बैल खरीदने के लिये, खाद पर छूट मिलती है । इस योजना से भी किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है । भैंस खरीदने के लिये उनसे कहा जाता है कि पंजाब से खरीदवाया जायगा । मेरे अपने क्षेत्र में एक भी ऐसा काश्तकार नहीं है जो इसमें सफल सिद्ध हुआ हो । सारे के सारे जो किसान भैंस लाये उचित ढंग से पाल पोस भी नहीं पाये, दूध कम हुआ । मेरी समझ में नहीं आता है कि उनको भैंस खरीदने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है । उनको छूट होनी चाहिये कि वह अपने आप सौदा तय करें और आपके डाक्टर से स्वीकृति लेने के बाद खरीदें । उस पर बंदिश क्यों है कि जो डाक्टर या ए० डी० ओ० बतायेगा वहीं खरीदेंगे तो होना यह चाहिये कि वह सीधे-सीधे बाजार से खरीदें ।

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 56–कृषि विभाग (औद्यो निक विकास), अनुदान संख्या 57–गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 65–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 68–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या 95–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 97–कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99–क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 123–कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124–क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम ।

अब मान्यवर, फलों के संरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसमें जो काम हुआ है उसके एग्रो के आँकड़े देखा तो मैं दंग रह गया । एग्रो में करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है । मान्यवर, हमारे यहां एग्रो की फ्रूट प्रेजरवेशन फैक्टरी, कायमगंज, फर्रुखाबाद में है । वहां मटर के डिब्बे बनाये जाते थे । तो आश्चर्य की बात है कि यह डिब्बे बनाने के लिये मटर वहाँ लोकल नहीं खरीदते हैं बल्कि वह बाहर से मंगाते हैं । इसी तरह से टमाटर, आम, अमरूद से एग्रो जो चीजें बनाता है उसके लिय यह चीजें वह वहां से लोकल खरीद नहीं करते हैं बल्कि बाहर से मंगाते हैं जिससे स्थानीय किसानों को फायदा नहीं होता है और उनके आम, अमरूद मिट्टी के भाव बिकते हैं, इसके अलावा यह चीजें बाहर से खरीदने का परिणाम यह होता है कि फैक्टरी को यह चीजें महंगी पड़ती हैं जिससे एग्रो को नुकसान होता है । इसलिये मंत्री जी यदि कृषि विभाग अपनी योजनाओं में सुधार नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटायेगा तो किसानों की दुर्गति होगी । इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया । मैं कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । लेकिन साथ ही साथ मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो उन्होंने बजट के दौरान कहा कि किसानों के लिये जनता पार्टी ने दो साल के दौरान जो कदम उठाये उससे उन्हे खुशी हुई है, तो यह उनका बहम है । मान्यवर, छोटा किसान अपने आपको उतने ही संकट में पा रहा है जितना पिछले 30 सालों में पा रहा था । उसका असली कारण यह है कि किसान का जो उत्पादन मूल्य है वह उसको नहीं दिया जा रहा है । जब से मंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो किसानों की आपत्तियां हैं वह उनके कार्यभार से जुड़ी हैं, जैसे सबसे पहले संकट गन्ना किसानों पर आया, फिर आलू पर आया जो सबको विदित है, उसके बाद गेहूं, तिलहन, मसूर पर आया । तो मैं कहना चाहता हूं कि जबसे जनता पार्टी की सरकार आयी सबसे कृषि उत्पादन वस्तुओं के मूल्यों में कमी आयी है । मसूर, तिलहन, आलू के भाव गिरे हैं । गेहूं का मूल्य तो सरकार निर्धारित करती है ।

लेकिन उसके भी दाम वही हैं जो 1970 में थे । इसलिये सरकार का कर्त्तव्य है कि जो चीज किसान पैदा करे उसकी कीमतें सरकार यदि निर्धारित करे, सरकार का कीमतों पर नियंत्रण रहे तो अच्छा है । और साथ ही साथ किसान को जो बाजार में दूसरी वस्तुयें मिलती हैं उनके मूल्य पर भी सरकार का नियंत्रण रहे तो अच्छा है लेकिन बाजार की वस्तुओं के मूल्य पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है जिससे उनके दाम आसमान को छू रहे हैं । किसान जिन चीजों का

[श्री शंकर सिंह--]

इस्तेमाल करता है जैसे ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट, बिजली की मोटर, सीमेन्ट, लोहा, कपड़ा आदि जो भी किसान इस्तेमाल करता है उनके दाम आप देखें तो पिछले दशक में उनमें तीन गुनी बढ़ोत्तरी हुई है जबकि गेहूं के दाम वही हैं जो 1970 में थे । इस तरह किसान के साथ कहाँ न्याय हो रहा है जबकि जनता पार्टी की सरकार बचनबद्ध है, अपनी घोषणाओं के अनुसार, कि वह किसानों की हालत सुधारेगी ।

आज आप देहात में जाकर देखें, चाहे किसी भी क्षेत्र का किसान हो आज वह कर्जदार है और उसके ऊपर सरकारी ऋण होगा या बैंक का कर्जा होगा या अन्य संस्थाओं का कर्जा होगा । कृषि मंत्री जी देखें कि हमारे क्षेत्र कालपी में जहां समतलीकरण योजना चल रही है, वहां समतलीकरण भूमि का नहीं हो रहा है, समतलीकरण किसान का हो रहा है । समतलीकरण के साथ-साथ किसान को सिंचाई की सुविधायें नहीं दी गयीं । जो पैदावार खेतों में होती थी वह भी खत्म हो गई । किसान के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन क्षेत्रों में समतलीकरण किया जाए वहां पहले सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जायें और तब समतलीकरण किया जाए । इसी तरह से आपके विभाग में भैंसों की खरीद में किसान को लूटा जा रहा है । आपके कर्मचारी, अधिकारी, कोआपरेटिव सुपरवाइजर और डाक्टर मिलकर फर्जी बिल बनवा देते हैं । खाद के वितरण में भी यही हो रहा है । आपने किसान को खाद में 20 परसेंट छूट देने की घोषणा की थी लेकिन यह फायदा किसान तक नहीं पहुंच रहा है । इसका सारा फायदा खाद डीलर ले रहा है । आपके कर्मचारी डीलरों से मिलकर छोटे-छोटे काश्तकारों के नाम दिखाकर खाद की ब्लैक में बिकवा देते हैं । किसान को मजबूरन उन्हीं डीलरों के पास जाकर ऊंची दरों पर खाद लेनी पड़ती है इसे आपको देखना होगा ।

*श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री और गन्ना मंत्री का दो घंटे का भाषण सुनकर सोच रहा था कि इनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अन्तर है । मैं मंत्री जी के भाषण पर एक शेर पढ़कर अपनी बात शुरू करूंगा--इस दौरा का हर जाबर इन्सान मजदूर को धोखा देता है, जम्हूर का खिदमतगार ही जम्हूर को धोखा देता है । अल्फाज के गोरखधंधों में इंसान फंसाये जाते हैं, मजदूरनुम दौलतमंद मजदूर को धोखा देता है--मेरी समझ में नहीं आया । पिछले 30 वर्ष के खाते में हम 3 दिन वाले हैं और मंत्री जी 27 वर्ष वाले भी 30 ही वर्ष की बात कर रहे थे । 30 वर्ष की उपलब्धियां नहीं बतलायेंगे । 30 वर्ष में उन्होंने और उनके सहयोगियों ने प्रदेश और देश के विकास में कितनी रुकावटें डाली, उसके बारे में भी विचार नहीं किया । जनता इसको पहचान रही है । जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, अभी कृषि मंत्री भूल गये, जौनपुर और इलाहाबाद में हुए उपचुनावों का रिजल्ट आपके कुकर्मों का जवाब ही मिला है और कुछ नहीं है । इन्होंने कौन सी योजना बनाई है ? एक योजना जनता पार्टी ने बनाई है, लोगों को निर्भय किया, डकैतों, चोरों और तस्करों को निर्भय किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई काम जनता पार्टी साबित नहीं कर सकती कि यह हमारी योजना है, चाहे वह रामगंगा योजना हो या कोई खाद या ट्रैक्टर की फैक्टरी हो या किसानों की उन्नति की बात हो। दो साल में जो किसान पिटा है, मेरे ख्याल से शायद पहले कभी भी उसकी यह हालत नहीं होगी। हालांकि पहले भी किसान की हालत जितनी सुधरनी चाहिए थी, वह नहीं सुधरी लेकिन पिछले दो साल में किसान का यह हाल हुआ है कि आलू किसान का दो रुपये में बिका है, गन्ना करोड़ों मन खेतों में खड़ा रह गया। मिल मालिकों ने काश्तकारों को लूटा है, 2–3 रु० मन गन्ना लिया है। खाद में आज किस अन्दाज में मिलावट हो रही है। यह जनता सरकार नहीं है, यह तो कोई गिरोह मिलकर जनता को धोखा देकर इत्तफाक से चले आये इत्तफाक से आप चले आये। वे लोग भी चले आये जो इमरजेन्सी में इधर बैठते थे, कांग्रेस में भी बैठते थे, इत्तफाक से वे जनता पार्टी में भी ऊपर हैं। यह सही है कि किसान के नाम पर रैली की जा रही है, किसान की रैली के के नाम पर विभाग से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। लाखों रुपया देवी जी को, देवताओं को दे दिया।

एक सदस्य––

यह देवी जी कौन है।

श्री मन्जूर अहमद––

मान्यवर, सुन लें। एक बात कहने जा रहा था। यह खाद है। ये खाद के नमूने लाया हूं। मान्यवर, आपके विशेषज्ञ बैठे हैं और खाद्य मंत्री भी बैठे हैं और आपके कृषि मंत्री भी बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस में चालीस रुपये वाला बोरा भी है और 106 रुपया वाला बोरा भी है आपका कोई भी अधिकारी या स्वयं आप भी नहीं जान सकते। एक सा रंग, एक सा रूप, एक सा दाना है। एक बात और बताना चाहता हूं भट्ठी की राख का कम से कम 6 रुपया बोरा लिया और वह 106 रुपये बोरे में बेचा जा रहा है आपके जमाने में 1 भट्ठी की राख से खाद बनायी जाती है।

किसान को कुछ देना चाहते हैं तो खाद के मामले में एक ही रंग मसलन 45 रुपये के बोरे का भी एक ही रंग और 85 रुपये वाले बोरे का भी एक ही रंग, दाना भी एक ही रहेगा और प्राइवेट लोगों पर पाबन्दी रखी जायगी। अभी आपने एक कुआं भी नहीं बनवाया। ट्रैक्टर और हवाई जहाज तो दूसरी चीज है। दो साल में आपने लड़ाई लड़ी है, आपस में घटकवाद में लगे हैं, दो साल में आपनें फिरकापरस्ती को बढ़ावा दिया, ला एण्ड आर्डर को खराब किया किसानों को लूटा। आपके विभाग ने 3500 कुन्तल इटावा में 4–5–77 को मूंग खरीदी। कृषि निदेशक द्वारा फेल किये जाने से मूंग की निलामी नहीं हो सकी। वह मूंग दूसरे प्रदेशों को भेज दी गयी वहां के किसानों का बेड़ा गरक करने के लिए।

[श्री मन्जूर अहमद---]

अंत में आप से दरखास्त करूंगा कि आप इस विभाग को कन्ट्रोल करें हालांकि माननीय बनारसी दास जी ने एक बात बहुत अच्छी की है। आप बूढ़ी कांग्रेस वाले हैं। आप कोई सोशलिस्ट वाले होते, जनसंघ वाले होते शायद आपको इतना अच्छा विभाग नहीं दिया जाता। आप उनके विश्वास पात्र हैं। आपको एक विभाग ग्राम्य विकास और ले कर दे दिया जाय क्योंकि आप ज्यादा किसानों के हक में हैं बल्कि बड़े किसानों के हक में हैं हालांकि हल की हथकड़ी आप ने कभी हाथ में नहीं ली है। इधर पूरब में ठाकुर और ब्राह्मण हल का पकड़ना पाप समझते हैं हमारे यहां होते तो थाम भी लेते।

जिस अन्दाज से आपने दो घन्टे में बातें कहीं अगर उन में एक इंच भी काम कर दिया तो खुशी की बात होगी। जब तक इस देश और प्रदेश में किसानों को लूट से नहीं रोका जायगा तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। इन्जेक्शन में एक आने की जगह यदि दो रुपया भी बढ़ गये तो कुछ नहीं लगता लेकिन किसान की एक फसल और दूसरी फसल में फर्क हो जाता है तो वह लुट जाता है। क्या आप किसान को लुटने से रोक पायेंगे ? आप भी व्यापारियों के बल पर जीत कर आये हैं। आप व्यापारियों की चीख सुनने के लिए तैयार हैं किसान की चीख सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

अन्त में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि किसानों को उनकी चीजों का उचित दाम दें। गन्ने का दाम, गेहूं का दाम, गुड़ का दाम, कपास का दाम, उसे उचित दें। इस के बदले में वह कुछ न कुछ खरीदता है। कपड़े, सीमेन्ट तथा ईंट आदि के दाम कितने बढ़ गये हैं, हर चीज के दाम ऊंचे हो गये हैं। 30 फीसदी दाम बढ़ गये हैं। आप दूसरे की आंख का बाल भी देखना चाहते हैं लेकिन अपना शहतीर भी नहीं देखना चाहते। अन्त में मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं :

इन्द्रा दिन गुजार दिये शाने खुशी के साथ

कम जर्फ उलझ रहे हैं तेरी बेबसी के साथ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृषि के अनुदान पर इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जन्म जात एक किसान हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर साढ़े 12 करोड़ लोग रहते हैं। साढ़े 3 करोड़ एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में है। ढाई करोड़ एकड़ जमीन उपजाऊ है। 1 करोड़ एकड़ जमीन परती है। ढाई करोड़ में डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन पर सिचाई के साधन हैं और एक करोड़ जमीन अब भी आकाश की मरजी पर है। उत्तर प्रदेश में 82 प्रतिशत आदमी खेती का काम करते हैं और अगर कृषि को इसमें से निकाल दिया जाय तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता भूखों मर जायेगी यहां पर कोई दूसरा धन्धा नहीं है। कृषि प्रधान प्रदेश यह है। अभी सदन में एक बात बार-बार कही गयी आलू की, गन्ने की, दुर्दशा हुई और गेहूं की दुर्दशा होते होते बची।

जब तक सारे देश में तथा प्रदेश में सिस्टेमेटिक ढंग से खेती नहीं होगी तब तक यह दुर्दशा होती रहेगी। जर्मनी एक छोटा मुल्क है, औद्योगिक कारखाने

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या–56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या–57–गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 65–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123–कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम;

हैं, किसान को वहाँ यह बतला दिया जाता है कि इतने एकड़ में आलू, इतने में गेहूं, इतने में गन्ना बोयेंगे यहां भी कृषि विभाग अगर किसान को यह बतला दें इतने पर आलू, इतने पर गेहूं तथा गन्ना बोओग तो फिर यह परेशानी पैदा नहीं होगी। ऐसा न होने पर अगर परमात्मा भी सरकार बन कर बैठ जाय तो वह भी कुछ तय नहीं कर सकेगा जब तक किसान सिस्टेमेटिक ढंग से खेती नहीं करता है और उसे यह बतला दिया जाय कि ऐसा न करने पर राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी किसान की स्वयं निजी जिम्मेदारी होगी। गेहूं का 115 रुपया भाव तय किया गया। यह ज्यादा संतोषजनक नहीं थोड़ा ठीक है लेकिन आप इस परिपेक्ष में देखें कि किसान एक चीज बचेगा आलू, गेहूं, गन्ना अथवा चावल लेकिन वह 85 चीजें खरीदता है जो कल कारखानों की बनी होती है और 7, 8, 9, गुना मंहगी होती है जैसे कपड़ा, लोहा, सीमेन्ट, सुई, दवा आदि वह खरीदता है। हम तो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं कि जिससे सन् 1948 से यह रट लगा रहें हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक दाम नीति होनी चाहिए। जब तक हिन्दुस्तान के अन्दर एक दाम नीति नहीं होगी तब तक हमारे देश और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कंट्रोल में नहीं हो सकती है। स्वर्गीय डाक्टर लोहिया के शब्दों में किसान द्वारा पैदा किये हुये अनाज का मुनाफा एक आना सेर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से कल कारखानों से बनने वाली 85 चीजें ह जिनका किसान मजदूर उपयोग करता है जो उसके उपभोग की हैं वे भी लागत मूल्य से ज्यादा न बिकें। जब तक ऐसी नीति नहीं होगी तब तक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दाम की नीति बनानी होगी और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। खाद का मामला है।

मान्यवर, खेती के लिये 3 चीजों की जरूरत है––जमीन, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत है। गंगा जमुना का दोआब है, खाद, जो कि विलायत से यहां पर आती है उसके बजाय देशी खाद का प्रयोग किया जाय तो अच्छी और ज्यादा फसल हो सकती है। इस सम्बन्ध में आप सुधार करें और जो इस दिशा में गड़बड़ी है उसे ठीक करें। आलोचना करने के लिये ही न कहें। सुझाव भी दें। तब तो ठीक है। आलोचना तो हमने सन् 1962 से 1967 तक जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी, हमने की, लेकिन शासन पक्ष में बैठने के बाद कुछ जिम्मेदारी होती है और वह दूसरी बात होती है। अन्न के भंडारों की बात है। इस्टीमेट्स कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मुझे ज्ञात है कि पारसाल जितना गेहूं गन्ना पैदा हुआ था उतना 30 सालों में पहले कभी पैदा नहीं हुआ। यहां पर भंडारों की कमी है उसको आपको ठीक करना होगा। प्रदेश सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है।

[श्री राधेश्याम शर्मा--]

हमें विश्वास है कि हमारा प्रदेश अगले सालों में फलेगा और फूलेगा तथा उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा । आज विरोधी दल का एक भी सदस्य यह नहीं कह सकता है कि हम भूखों मर रहें हैं या प्रदेश का कोई व्यक्ति भूखों मर रहा है । इस प्रदेश ने इतनी तरक्की कर ली है । इन शब्दों के साथ और इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि माननीय मन्त्री जी अगले साल और सुधार करेंगे ।

(श्री गुरू प्रसाद के नाम पुकारे जाने पर) ।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

मैं दो घन्टे से खड़ी हो रही हूं किन्तु आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

सबको मौका मिलेगा ।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मैं माननीय कृषि मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और अनुदानों का समर्थन करता हूं । माननीय कृषि मन्त्री ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में कई योजनायें कृषकों के लिये गिना दी लेकिन कहानी उसी तरह से है कि खोदा गया पहाड़ और निकली चुहिया । मैं समझता हूं कि कोई भी किसान के लिये ऐसी योजना आपने अपने भाषण में नहीं कही है जो किसानों के लिये हितकर हो । आप समझते हैं कि हमारे माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये हैं और लम्बे भाषण में कृषि मंत्री जी ने यह नहीं कहा है कि कौन सी योजना द्वारा हम किसानों को राहत देने के लिये बना रहे हैं । हमने भी कृषि के विषय में कुछ सुझाव दिये थे और कहा था कि किसानों की फसल के लिये एक बीमा योजना बनायी जाय । इसके बारे में कृषि मन्त्री ने एक भी शब्द नहीं कहा कि हम किसानों के लिये उसकी फसल का बीमा करने की योजना बना रहे हैं ।

(इस समय 3 बज कर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जब तक आप किसानों की फसल का बीमा नहीं करायेंगे तब तक दैवी आपदाओं से बाढ़ से, सूखे से, पाले से, उकठा से किसानों की फसल का नुकसान होता रहेगा और सरकार उसकी सहायता करने में अक्षम रहेगी । मान्यवर, आप देखते हैं कि किसान किस प्रकार पैदा करता है रात दिन मेहनत करता है । विधान सभा के अन्दर माननीय सदस्य शीतगृह में बैठे हुए हैं, अधिकारी भी शीतगृहों में बैठ कर काम करते हैं मगर किसान वर्षात, गर्मी, जाड़े में जब तक स्वयं खेत में नहीं जायेगा खेती नहीं होगी । मैं भी किसान हूं इसलिए मुझे अनुभव है जब धान के लिए जड़हन लाना पड़ता है तो इतने पानी में धान को लगाना पड़ता है और जब जाड़ों में गेहूं को पानी देना होता है तो उसे रात भर खेत में बैठे रहना पड़ता है और आज कल गर्मियों में वह डलिया लिए हुए उसे सुखाता है तो उसके बाद उसको भाव क्या मिलता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, माननीय कृषि मन्त्री जानते हैं कि आज किस भाव में किसानों का अन्न जा रहा है। किसानों का आलू मिट्टी के भाव जा रहा है किसानों का गन्ना पानी के भाव जा रहा है और जब उसको और चीजें खुश खरीदनी पड़ती हैं जैसे सीमेन्ट है, वस्त्र हैं, लोहा है या दूसरी वस्तुयें हैं वह कितनी महंगी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी सुविधायें आप किसानों को दे रहें हैं। मान्यवर, हमारे सामने 4—5 मिसालें आई किसान को अन्न के लिये भूमि विकास बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, सहकारी बैंक से कर्ज लेना पड़ता है और तब वह ट्रेक्टर और पम्पिंग सेट ले पाता है जिस पर उसको 14 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। छोटे—छोटे किसान ब्याज भी अदा नहीं कर पा रहे हैं और मूल धन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे विभागों के कर्मचारी भी उसके खेतों में दौड़ रहें हैं वसूली के लिए।

इसी तरह से सिंचाई की स्थिति है जब तक हम विलायती गेहूं को पानी नहीं देंगे तब तक वह पनप नहीं सकता। आज स्थिति यह है कि पानी उसके खेत में जाता नहीं ह लेकिन वसूली उससे हो जाती है जब उसको पानी की जरूरत नहीं होती है उस वक्त पानी चलता रहेगा और ज्यों ही पानी की आवश्यकता हुई पानी मिलना बन्द हो जाता है। वर्षात में नहरें चलती रहती हैं अगर किसान उनका उपयोग नहीं भी करेगा तो उस पर 15 प्रतिशत लग जायेगा जिसकी वसूली आज जोरों से हो रही है। किसानों का आपके सभी विभागों से संबन्ध है चाहे वह सिंचाई विभाग हो चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे सहकारिता हो।

जब तक इन विभागों में सुधार नहीं होगा तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता, यह सब बातें कृषि मन्त्री जी को अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि वह भी एक बड़े किसान हैं। आज 80 प्रतिशत जनता किसान है। अगर किसान सुखी रहेगा तो जो खेत पर काम करने वाला मजदूर है वह सी सुखी रहेगा अन्यथा यह सरकार भी अन्न बांटते बांटते परेशान होती है उससे न किसानों का लाभ होता है और न खेत पर काम करने वाले लेबर का। मैंने कई सुझाव कृषि मन्त्री जी को दिये हैं उन पर अमल करेंगे और सिंचाई के लिए छोटी—छोटी योजनायें तैयार करेंगे।

मान्यवर, मंडी समिति का अभी तक गठन नहीं किया गया। मैं आग्रह करूंगा कि मण्डी समिति का हमारे यहां यथाशीघ्र गठन करें और उसको सुव्यवस्थित रूप से चलाने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री रणवीर सिंह (जिला झांसी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप बता दें कि कितने बार उठने बैठने के बाद आप बोलने का समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप निवेदन न करें । एक आध मर्तबे और उठे बैठें । गौरी शंकर जी आप 5 मिनट से अधिक समय न लीजिएगा ।

श्री गौरी शंकर 'एडवोकेट' (जिला इटावा)--

माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मजबूरी में उसका समर्थन तो करना ही है । इतना जरूर है कि कृषि विभाग के जब आप इतने ताकतवर मन्त्री हैं और इतने करीब हैं नेतृत्व के, तो आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई, बिजली और कृषि विभाग एक ही मन्त्री के पास होना चाहिए और मैं यह आवश्यक मानता हूं, क्योंकि इन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । जहां पर राजकीय नलकूपों की आवश्यकता है, वह सेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद बिजली के लिए 2-3 साल हो जाते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं मिलता है । इसलिए आप से निवेदन करूंगा कि जब आप अगली बार यहां आएं तो बिजली मन्त्री, सिंचाई मन्त्री और कृषि मन्त्री के रूप में आप यहां विराजमान हों और इसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं । लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यहां दूसरे भाई तारीफ कर रहे थे कि गल्ला बहुत पैदा हुआ और उसके लिए किसानों का दोष है, समाज का दोष है और गवर्नमेन्ट का कोई दोष नहीं है ।

मानो, ये आलू, घुइंया और गन्ना इसलिए सूख और सड़ रहे हैं कि टाटा-बिड़ला, पदमपत, सिंहानियां और जुग्गी लाल कमलापत के और डालमियां के कारखाने में यह पैदा होते हैं और जनता पार्टी इनके खिलाफ है, इसलिए यह हो रहा है और इनको सड़ने दो, सूखने दो । इसमें हमारे मन्त्री जी हमसे सहमत होंगे कि इससे जनता शासन में बड़ी दुखदायी स्थिति है जाने कितना आलू खेतों में सड़ गया, क्योंकि उसकी खुदाई की कीमत भी न वसूल हो पाती । मैं तो समझता हूं यहां अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा वाली बात हो रही है । इसी लिए किसान की उपज खेत में ही पड़ी रह जाए, सूखती रह जाय तो क्या शासन और प्रशासन का होगा । यदि आप वास्तव में शासन की छवि को निखारना चाहते हैं और हम और आप सीना तान कर जनता में निकलना चाहते हैं तो आप इन व्यवस्थाओं को बदलिये, नहीं तो हम एक दिन पब्लिक में जायेंगे और पब्लिक हमारा वहां इंतजार कर रही है। जैसा इंतजार कर रही है, यह हमें अच्छी तरह पता है ।

जनता शासन में सम्पर्क मार्गों के निर्माण का काम एक ऐसा कार्य कर रहा है, जिसमें हम कुछ कह सकते हैं और सब कार्यों में तो हमें जनता की गालियां पहुंच रहीं हैं । हो सकता है कि मन्त्री जी को इसका पता न हो, क्योंकि वह बड़ी बन्द गाड़ी में चलते हैं, लेकिन हम विधायक जो बस और ट्रेन में जनता के साथ सफर करते हैं, जानते हैं कि पीछे बैठी जनता इस शासन के लिए कितनी अच्छी अच्छी और नान-वेजीटेरियन गालियां देती है कि कानों पर हाथ रखना पड़ता है । वह दिन दूर नहीं । तंग आ कर जनता इस बात की तैयारी करके बैठी है, उसने जिन नेताओं और मन्त्रियों को किसी आशा के साथ

मोटी मोटी मालाएं पहनायीं हैं, अब उसी इज्जत के अनुपात में उनकी पादुकाओं, मंत्री की मालाएं उनको पड़ने वाली हैं। उन फूल मालाओं की कुछ फूल-पाती हम विधायकों के हिस्से में समय-समय पर आयी हैं, बड़े-बड़े नेताओं और मन्त्रियों को फूल मालाएं मिली हैं, तो उसी अनुपात में उन्हें जूतों की मालाएं और एक आध जूता लात मेरे-हम विधायकों के हिस्से में भी आयेगा। उसको हम बरदाश्त कर लेंगे। सत्ता में आप बैठे हैं, सरकार के सदस्य हैं। कृपा करके इस सारी व्यवस्थाओं को देखिये। शासन में स्वच्छता हो नहीं सकती जो समझदार है कि एक ईमानदार संतरी को निकाल देने से शासन में स्वच्छता आयेगी, जब तक मन्त्री, में ईमानदारी ला नहीं सकते। इस लिए उदाहरण नहीं देना चाहता हूं कि कहीं आप पर लागू होगी कल रात एक साहब पत्र लिखाने के लिए मेरे पास आये। मैंने पूछा कि मेरे पत्र का क्या होगा? आप इससे काम करवा लेंगे? उन्होंने कहा कि हमें एक सदस्य विधान सभा की सील चाहिए। उसके ऊपर बजन थैली का धरा जायगा। काम उससे होगा। यह कहानी नहीं कह रहा हूं। तीसरे दिन बताते हैं आपके पत्र पर एक थैली का वजन रख दिया काम हो गया।

जब शासन की छवि जनता के बीच में, दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में ऐसी हो जाय तो आप सोच सकते हैं कि यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। ऐग्रीकल्चर का डाइरेक्टरेट है। उसकी समस्यायें हैं। दो तीन बार उनके अधिवेशन में जाता रहा हूं। कोई नियम, कानून कायदे नहीं बनाये गये हैं। उनकी समस्याओं के निवारण के लिए आप नियम बनायेंगे। ईमानदारी नीचे से नहीं ऊपर से लाइये। मन्त्री के जरिये ईमानदारी लायी जाय। तब जनता पार्टी की छवि सुधर सकेगी। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं, दबे मन से समर्थन करता हूं, इस लिये कि सरकार हमारी है।

न पूछे क्या गुजारती है दिले खुद्दार पर अक्सर
जब किसी ना मेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है।

हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है।

यहां हर काम होता है करीने से
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं। (व्यवधान) यह वह दल है जिसने कांग्रेस को भी हराया है और जनता पार्टी को भी हराया है। उसका नाम प्रगतिशील विधायक दल है। माननीय कृषि मंत्री ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे जैसा व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि जिस प्रकार से तीस साल कांग्रेसी कृषि मंत्रियों ने इस प्रदेश की दस करोड़ जनता को गुमराह किया, उसी प्रकार जनता पार्टी के मंत्री जी ने गुमराह किया है। इसलिए इस बजट का विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि य हमारी योजनाएं हैं कार्यक्रम हैं। उनका लम्बा चौड़ा ब्यौरा दिया और बताया कि उनसे उत्पादन भी बढ़ा है। लेकिन मुझे खेद है, जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ क्या किया है? जो किसानों की लूट करते हैं वह किसानों की बात करते हैं।

कृषि मंत्री बड़े विद्वान हैं। किसानों के हमदर्द हैं। खुद किसान हैं। पूर्वी अंचल के जानेमाने किसान रहे हैं। उनसे आशा थी कि किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे। किसानों नें गेहूं का उत्पादन बढ़ाया लेकिन उसके खरीदने की कोई गारंटी नहीं करते हैं। जब तक कृषि मंत्री हैं, तब तक किसानों द्वारा उत्पादित सारी वस्तुओं की खरीद की गारंटी आप की है। इस बहाने से काम चलने वाला नहीं है, आपका आलू आसाम नहीं जा रहा है, चावल रूस नहीं जा रहा है, फलां चीज फलां जगह नहीं जा रही है। गौरी शंकर जी ने जोरदार शब्दों में आप लोगों को समझाया। बहुत शर्म की बात है। अगर दोबारा कुर्सियों पर आना है तो समझ जाइये आप। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में बहुत से अमीन और चपरासी आपात काल में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के राज्य में निकाले गये और हमारे माननीय नेता विरोधी दल किसानों के प्रति घड़ियाली आँसू बहाया करते हैं। उनके शासन काल में तमाम अमीन और चपरासी निकाले गये। जनता सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्री से लेकर आज तक किसी ने उनको बहाल नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक दूसरी चीज माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में 25-25 और 30-30 सालों से कर्मचारी अस्थायी पड़े हुए हैं, उनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। वह मर जाते हैं फिर भी वह अस्थायी ही रहते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनको स्थायी करने की दिशा में ठोस कदम उठावें।

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी खेती में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है, आप में क्षमता है और अगर आप गरीब किसानों के रहनुमा हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आज ही एलान करें कि जो आधा एकड़ वाले किसान हैं उनको मुफत खाद, मुफत बीज और मुफत पानी दिया जायेगा। लेकिन यह एलान माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। आप छोटे किसानों की वकालत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा मिले इस ओर आपने कोई घोषणा नहीं की, मैं कहता हूं कि आप करिए। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं नेता की हैसियत से बोल रहा हूं इसलिए मुझे 15 मिनट दीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 55–कषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या 56 कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या– 57 गन्ना विकास विभाग, अनदान संख्या 61– क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या– 121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या– 123–कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष—

आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, मन्डी समिति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बहुत ही भ्रष्टाचार है । मेरे जिले बाराबंकी में जिन लोगों ने जेल जाने के बाद आत्म–समपर्ण किया था, उन्हीं लोगों को मन्डी समिति में रखा गया है ।

अब मैं गन्ना विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा और यह घोषणा किया कि किसान का गन्ना पेराई के लिए नहीं बच सकता है, हमने बड़ा इन्तजाम किया है । किसानों का गन्ना नहीं खरीदा गया । किसानों के गन्ना की कीमत 5–5 और 10–10 साल से पड़ी हुई है, मिल मालिकों ने अभी तक अदा नहीं किया है । बाराबंकी का करोड़ों रुपया बकाया है । अगर आप चाहते हैं कि किसानों के गन्ना का मूल्य मिल मालिक अदा करें तो उनको एक दिन के लिए बन्द करा दीजिए, आप उनको माफ क्यों कर रहे हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए और किसानों को उनके गन्ने की कीमत दिलाइये ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शीतगृहों की चर्चा की । शीतगृह के मालिकों ने चार सौ बीसी करके व्यापारियों का आलू भर लिया और किसानों का आलू बाहर पड़ा रहा । मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की, किसी के विरुद्ध नहीं की । गन्ना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । बारा–बंकी में दो मिलें हैं । कोई भी अगर ईमानदारी से इस पर विचार करे तो कहेगा कि गन्ना खेतों में सूख गया है और सड़ गया है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है । अगर किसान आलू न बोये, गन्ना न बोये तो फिर कौन सी चीज बोये । रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी और अलीगढ़ के कृषि अधिकारी के विरुद्ध आरोप हैं परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध लाखों रुपये के घपले के केसेज हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय, उनके विरुद्ध जांच करायी जाय । अगर हमारे मंत्री जी वास्तव म अपने को किसानों के साथ जोड़ना चाहते हैं उनसे सम्बन्ध रखना चाहते हैं तो उनकी जो बुनियादी मांगें हैं उनको अवश्य मान लें । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग में बहुत से अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध जांच हो रही है, विजीलेन्स कमीशन भी उनके विरुद्ध जांच करा रहा है और जिनकी पदोन्नति भी हो गयी है, उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय । आपसे प्रार्थना है कि आप किसानों की समस्या के

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित---]

निदान के लिए, समय से और निश्चित दामों में उनका गल्ला खरीदवाइये, और उनके साथ हो रहे अन्याय को समाप्त कीजिए ताकि उनका उत्पीड़न न हो। आपने बड़े फक्र से कहा कि हमारे अधिकारी गाँवों का दौरा करेंगे। हमारे यहाँ पर तमाम किसानों ने तकावी पर कर्जा लिया है....।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त। आप कृपया बैठें ?

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में माननीय कृषि मंत्री ने अपने विभाग से सम्बन्धित जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ बुनियादी बातों की जिनकी अपेक्षा हमारे अन्य साथियों ने की, उनकी मैं भी अपेक्षा करता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 84 प्रतिशत किसान हैं और वे किसान रात दिन मेहनत करके, अपना खून पसीना बहाकर, जनता को अपनी कमाई देते हैं। अगर आप देखें तो उनकी दयनीय दशा चरम सीमा पर है। अगर मंत्री जी स्वयं जाकर देखें तो पायेंगे कि न अपने बाल-बच्चों की पढ़ाई-लिखाई करा सकते हैं, न उनके कपड़े का प्रबन्ध कर सकते हैं और न उनके खाने की समुचित व्यवस्था ही वे कर पाते हैं और दूध के नाम पर वे उन्हें आटा घोल कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी कुछ उनकी बुनियादी बातों पर अवश्य विचार करें, उनका गेहूं 115 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिके, आलू खुदे और गन्ना जिसकी मिट्टी पिटी, ठीक भाव से बिके। इसके अलावा अन्य-अन्य चीजें जिनका जिक्र माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने किया उनके लिए भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान का गेहूं 115 रुपये के हिसाब से बिकता है लेकिन अगर वह अपने बच्चे के ब्याह शादी के लिए कपड़ा खरीदता है, गहना खरीदता है या अन्य-अन्य सामान खरीदता है उनके दाम इतने चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं कि वह गेहूं तो वहां बेच आता है लेकिन अपने पड़ोस से कर्जा लेकर उस सामान को खरीदता है।

जहां तक कृषि के औजारों का ताल्लुक है उनके दाम भी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। उनमें जो लोहा लगता है वह दूसरे स्थानों से चोरी करके लाया जाता है और इन्डस्ट्री वाले उससे औजार बनवाकर किसानों को 7 गुने दामों पर देते हैं और हमारे किसान बेचारे देखते रहते हैं। अगर वह नहीं ले जायगा तो अपने खेत भी नहीं बो पायेगा।

अभी यहाँ पर हमारे एक साथी ने कहा कि जिस ट्रैक्टर का दाम पहले 14,000 रुपया था वह अब 50,000 रुपये का हो गया है। 3-4 गुना कीमत बढ़ गयी है।

जहाँ तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है आपके गोदामों से खाद इश्यू होता है लेकिन उसका वेटेज जो होता है वह बहुत ही कम होता है। मैंने अपने यहाँ ललितपुर में एफ0 आई0 आर0 लाज करायी, लेकिन उस दोष व्यक्ति को सस्पेंड तक नहीं किया गया। मान्यवर, उसमें मिलावट भी आजकल जोरों से

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या 56 कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनदान संख्या–123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम;

होती है । काली मिट्टी लपेट दी जाती है और बोरों को पेक कर दिया जाता है । उसके 2 साल पहले सैम्पिल भी लिये गये थे लेकिन पता नहीं क्या उसका हुआ ।

बीज के हमारे यहां 2 निगम बने हैं और उनके प्रबन्धक बड़े अच्छे हैं । उन्नति शील बीज जहां मिले वहां यह भी जरूरी है कि उसका मल्य भी उचित हो । आज कल उसका मूल्य आकाश छूने लगा है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि किसानों को सस्ते मूल्य पर उन्नतिशील बीज दिया जाय ।

आपकी जो सहायक संस्थायें हैं एग्रो आदि की उसमें भी भ्रष्टाचार है । मंडियों में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । गरीब किसान आज पिट रहा है । मंत्री जी स्वयं भी किसान हैं और पुराने जमींदार भी हैं, मैं भी जमींदार रहा हूं, किसानों पर होने वाले अत्याचारों को उन्होंने देखा है । आज किसान या गरीब कोई लकड़ी लेकर आता है, सब्जी लेकर आता है, बांध या धनिया आदि कोई भी रोजमर्रा की चीज लेकर आता है तो उससे मंडी कर वसूला जाता है । दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है । आप यह घोषणा करें कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा । (व्यवधान)

मान्यवर, पिछले वर्ष यह घोषणा हुई थी कि भूमि सेना बनायी जायेगी (व्यवधान) उसके लिये क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री रणवीर सिंह—

इन शब्दों के साथ मैं इन बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री और गन्ना मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसका कारण भी बताऊंगा। कृषि मंत्री के रूप में आपने जब से कार्य किया आपने काफी सुधार किया है और किसानों के हित में काफी सराहनीय कार्य किये हैं । खाद के दाम भी आपने कम कराये हैं । बिजली की दरों में भी कमी की है । कई अच्छे काम किये हैं । किसानों को उचित मूल्य मिल पायां या नहीं वह दूसरी बात है, पर आपने उसके लिये प्रयास किया है और उसके लिये आप दोषी नहीं हैं । आपने कृषि की उपज बढ़ाने के लिये कदम उठाये । बिचौलियों से किसानों का जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज ब्रजराज सिंह—]

शोषण होता था उससे उनको बचाने के लिये कार्य किया है। फसल बीमा लागू करने का भी संकेत आपने दिया है। आशा है इस ओर भी आप जल्दी कदम उठायेंगे।

मान्यवर, अब मैं कृषि मंडी समिति के विषय में ज्यादा न कह कर केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपकी मंडी समिति के अन्दर जो भी वस्तु आती है, जसे पान, धनियां, सब्जी आदि, इन सब पर कर लगा दिया। इस पर विचार करें जिससे कि कम से कम शोषण होने से छोटे काश्तकार बच जायं। अब मान्यवर, अपने आप को गन्ने के विषय में ला रहा हूं और इसी पर सीमित रखूंगा। जहां तक गन्ने का विषय है। आपको पिछले वर्ष केन इन्डस्ट्री चल रही थी और जिस हालत में थी, उसमें आप सुधार करने में और परिवर्तन लाने में सफल और सक्षम रहे। पिछले वर्ष यह जो सरकार नीति घोषित की थी कि जितना गन्ना है आप उसको लेंगे, उस वक्त तक कि जबतक कि मिल चलने की स्थिति में रहेगी, जब तक मिल बन्द नहीं होगी। गोला गोकरण नाथ की मिल 8 अगस्त तक चली और भी प्रदेश की मिलें चलीं, आपने घोषणा किया था कि जो गन्ना खड़ा रहेगा वरीयता के आधार पर लेंगे, आपने लिया।

आपने यह भी घोषणा किया। आपने सहयोग दिया कि 10 प्रतिशत उन मिलों का, जिनका बकाया होगा या जो एक निश्चित समय पर मिल नहीं चला करेंगी, उन मिलों को अधिग्रहण कर लेंगे और उसी के अनुसार आपने कुछ मिलों को अधिग्रहण किया। गन्ने पर जो सब्सीडी साढ़े 9 से सढ़ 13 तक बीज का है, उसको आप दिलायेंगे? मैं आप से आशा करता हूं कि आप उसे समय से पूरा करके काश्तकारों को जो मिलना है, सरकारी कोष में जो जमा है, उसे आप दिलाने की कृपा करेंगे। मान्यवर, आपने गन्ने के विषय में कहा कि गन्ना 23 फीसदी मिलों में जाता है, 17 फीसदी खान्डसारी में जाता है और 42 फीसदी गुड़ बनाने में खर्च होता है और 18 फीसदी बीज बोआई के काम में खर्च होता है। मेरा निवेदन है कि इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाय कि 4–5 फीसदी गन्ना आपका बरबाद भी हो जाता है।

इसका मुख्य कारण यह होता है कि समय से जो सट्टे होते हैं, उसे बदल दिया गया है। इसमें सभी काश्तकारों का अहित रहा है। 5 से 8 फीसदी गन्ना नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। मान्यवर, जो गन्ने की प्रणाली आपने रखी है इसमें दो–तीन चीजों की कमियाँ हैं। प्रति एकड़ पैदावार की जो कंडीशन अपने रखी है, जहाँ पर गन्ना क्रय होता है, वहाँ पर कुल रकबा और गन्ने की कुल पैदावार से उसका भाग दे दिया गया है, वह गन्ना जो कि सलाई हो जाता है, तो वह गन्ना नहीं जुड़ता है। मान्यवर, आखिरी बात कह कर खत्म करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, यू0 पी0 केन कोआप–रेटिव सर्विस रेगूलेशन ऐक्ट की धारा 35–36 जो 25 दिसम्बर, 1976 को परिवर्तित कर दी गयी थी, उसे पुनः पुरानी स्थिति में संशोधित करके कर दिया जाय।

आज जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं चाहे ब्लाक स्तर के हों या जिला स्तर के, डा0 सी0 ओ0, डी0 टी0 ओ0 केन कमिश्नर उससे अध्यक्ष बनते हैं तो जो परिवर्तन हुआ है, 25 दिसम्बर, 1976 में उसको रद्द कीजिये और जो उससे

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या–56 कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 65–क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्याग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान सख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम;

पहले कानून था उसको ठीक करने की व्यवस्था कीजिये । क्योंकि आप खुद भुक्त-भोगी रहे हैं, जिला संगठन के अध्यक्ष भी थे, अतः इस धारा को समाप्त कीजिये जिससे जनता का समादर हो ।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं और जो माननीय कृषि मंत्री जी बजट लाये हैं उसका समर्थन करन के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती का विरोध करता हूं और यह किसानों के प्रति जो बजट आया है, जो अंग्रेजों के राज्य में था, 30 साल में, मैं देख रहा हूं बड़े काश्तकारों की जमीन उन जमीनदारों ने अपने राज्य में बैठकर अपने रिश्तेदारों अथवा अपने नाम करा रखी है । गरीब किसानों को नहीं दे पाये । मालवीय जी की तरफ से टाली कार्टक्स खत्म हुआ, अगर आप गरीब किसानों के कर माफ कर देते और यही नहीं उन किसानों की खाद फ्री कर देते अथवा नहर का सारा उनको माफ कर देते तो यह भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और शासन में हैं ।

हमारे शहर के लोग गांव वालों को गंवार कहते हैं, अगर गांव के लोग गल्ला न दें तो एक मिनट नहीं जी सकते और न यहां विधान सभा में बैठकर घड़ियाली आँसू बहाते । यही नहीं अखबारों में, रेडियों में नाम न दे पाते । आजादी के बाद की एक राजनीति जो चल रहे हैं आप, यह किसान आप को माफ नहीं करेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान, गरीब, मेहनत कर, सुबह से रात तक गरीब का गरीब रहता है । सड़कें बनी मण्डी समितियों की, मैं अधिकारियों से निवेदन करना चहता हूं कि. . .

(शोर)

श्री देव बहादुर सिंह--

किसी का सर फट जायेगा । आप इनको संभालिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

सर बहुत बड़ा है ।

श्री मानसिंह आजाद--

जब वह मैदान में आयेगा किसान, मेहनतकश, तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा । मंत्री जी मेरे क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करें और म क्या कहूं सारे सदस्यों के बीच में, मेरे यहां जो आम की फसल थी टपक गयी, हो नहीं पायी, इसका आपने क्या किया ? उनका लगान नहीं माफ किया । मैं निवेदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मान सिंह आजाद--]

करना चाहता हूं कि उनका भी लगान आप माफ करें । जो हम 25 हजार से 45 हजार तक के आम के बाग बेचते थे आज 5 हजार, 8 हजार और 2 हजार में बाग बिकते हैं । तो आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भी आप मोआइना करा लें । यहां नहीं सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले जबरजस्ती छिड़काव कराया जाता था, उन पर छिड़काव नहीं होता । जबरदस्ती फुकी करके पैसा वसूला जाता है । आपको दरख्वास्त दिया था और एक प्रार्थना-पत्र दिया था । मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा (लालबत्ती जलने पर) एक दो मिनट और दें। उनको भी माफ कर दें । एक भी आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा, उन किसानों की तरफ से विधान सभा में कि माननीय मंत्री जी उन दुकानों का निरीक्षण करें जिन पर खाद बनाई जाती है, जाली खाद बेची जाती है । मिल मालिकों के खिलाफ आपको कार्यवाही करना चाहिये । जो सही मानों में किसानों को अच्छी खाद नहीं देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होगा देश चलने वाला नहीं है । इतना कह कर मैं आपके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जि । एटा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, काफी सदस्यों ने चर्चा की और जो कुछ कमी है वह सारी कमी कांग्रेस शासन पर थोप दी कि पिछले 30 सालों में कुछ नहीं हुआ । इन दो सालों में इन्होंने क्या किया हमें यह देखना होगा । कांग्रेस शासन में कृषि और खाद्यानों के मामले में सारा देश आत्मनिर्भर हुआ। जिस वक्त सत्ता छोड़ी उस वक्त अनाज के भन्डार इनको दिये और यह कहते हैं कि छ नहीं हुआ । जितनी योजनायें चलाई गयीं वह आज इनकी बनाई हुई कोई नहीं हैं, सारी पुरानी योजनायें हैं । इन्होंने कृषि के उत्थान के लिए कोई योजना नहीं बनाई । जनता सरकार दावा करती है कि हम किसानों के बड़े हमदर्द हैं । नारा दिया कि "गांव की ओर चलो" । जब इन्होंने गांव की ओर चलना प्रारम्भ किया तो किसान की जो हालत हुई वह किसी से छिपी नहीं है । गन्ने के बारे में देखें कि करोड़ों टन गन्ना खेत में सूख गया । आलू की हालत किसी से छिपी नहीं है । कहीं-कहीं मजदूरी दुगुनी मंहगी थी ।

एक सदस्य--

करोड़ों टन तो पैदा ही नहीं हुआ ।

एक अन्य सदस्य--

करोड़ों को लाखों में बदल लें ।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । ऊसर सुधार योजना जलेसर और एटा में चलाई गई लेकिन ऊसर सुधार के लिये कोई व्यापक तैयारी नहीं की गयी । एटा में ऊसर की बड़ी समस्या है, बहुत ऊसर है । अगर शासन कोई ऐसा कार्यक्रम बनाये तो बहुत कुछ जमीन उपजाऊ वहां बन सकती है । मान्यवर, खाद बीज और कीट नाशक दवायें हैं इसमें बहुत बड़ी मिलावट चल रही है । व्यापारी कुछ अधिकारियों के सहयोग से किसान को लूट रहे हैं । किसान का

शोषण हो रहा है । मैं चाहता हूं कि यह जो व्यापारी है जो बीज और खाद में मिलावट करके बेंचता रहता है उस पर निगाह रखी जाय, उसे सजा दी जाय । ग्राम विकास योजना है, लघु कृषक विकास योजना है, उसका भी कुछ विस्तार किया जाना चाहिये जिससे छोटे किसानों को और लाभ मिल सके । सोरो से मैं निर्वाचित सदस्य हूं । सोरो बहुत छोटा पिछड़ा इलाका है, वहां पर कोई योजना भी नहीं है । ग्राम विकास योजना और न लघु सीमांत कृषक योजना लागू है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि सारे क्षेत्र की सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुय कोई कार्यक्रम बनायें और वहाँ पर इन योजनाओं को लागू करें ।

मान्यवर, यदि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर यह जो कृषि यंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, डीजल इंजिन, इन सारी चीजों की दूकान होनी चाहिये जो किसानों को सही मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की चीजें दे सके । यह मेरा सुझाव है । क्योंकि व्यापारी किसानों को लूट रहे हैं, बड़े खराब किस्म के इंजन, जो लोनिंग अधिकारी हैं, व्यापारियों से मिलकर कमीशन लेकर किसान को खरीदवा देते हैं जिससे वह इंजन कुछ दिनों बाद फेल हो जाते हैं और किसान का ऋण अदा नहीं हो पाता है और जमीन तक नीलाम हो जाती है । मैं चाहता हूं कि शासन की ओर से प्रत्येक जिले में ऐसी एजेंसियां स्थापित की जायें जहां से सही चीजें, अच्छी क्वालिटी की चीजें आसानी से किसान को उपलब्ध हो सकें । अब मैं मंडी समितियों के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे एटा में कासगंज में मंडी समिति के स्थल का चयन किया गया है और शासन के विचाराधीन है लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । यह जिले की सबसे बड़ी मंडी है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कार्यवाही करें और वहां पर जो जगह निर्धारित की गयी है वहां पर कुछ लोग इन्क्रोचमेन्ट कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं जिससे बहुत हानि हो रही है । किसानों से मंडी टैक्स काटा जाता है लेकिन उसको कोई सुविधा नहीं है । न वहां पर प्याऊ की व्यवस्था है न मवेशियों के लिये पानी की व्यवस्था है न रहने की व्यवस्था है । तो मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और यह सुविधायें वहाँ उपलब्ध करायें । किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, मण्डी की चेकिंग भी नहीं हो पाती है चूंकि चेकिंग स्टाफ कम है ।

माननीय, इसके अलावा जो किसानों को एक जोत बही जारी की गयी है उसमें किसानों का फोटो लगाना आवश्यक कर दिया जाय चाहे उसका पैसा किसान से ही वसूल किया जाय । इससे कई फायदे होंगे । काश्तकार के नाम पर लेखपाल फर्द ले लेते हैं और व्यापारियों को बेच देते हैं और काश्तकार को पता तक नहीं चलता है । अगर उसका फोटो होगा तो किसान देख सकेगा । आजकल जो गेहूं की खरीद हो रही है तो खरीद केन्द्रों पर किसान की लूट हो रही है उसमें बचत होगी और जो लोग किसानों के नाम पर सोसाइटियों में फर्जी कर्ज ले लेते हैं, अगर फोटो होगा तो इसमें बचत होगी और वसूली रुक जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप, समाप्त करें ।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

मेरे जनपद एटा में न्योली शुगर फैक्टरी है । इसमें किसानों का बड़ा भारी शोषण होता है । गन्ने की तुलाई म काफी बेइमानी होती है और अंडर वेइंग होती है । दूसरी बात यह है कि गन्ना किसानों को कोई सुविधा नहीं है । जो टैक्स के नाम पर प्रत्येक गाड़ी पर एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया लिया जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है । किसानों से जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं वहां सड़कों के लिये पैसा काटा जाता है लेकिन सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है । इसी तरह एटा में उड़हर बांध ह जो न्यौली शुगर फैक्टरी ने बनवाया था जो पिछली बाढ़ में टूट गया । इसलिए उड़हर बांध को दतलाना व बधैल तक जोड़ने की मंत्री जी व्यवस्था करें । इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

निर्माण के सम्बन्ध में जो सुझाव हो उनको लिखकर मंत्री जी के पास भेज दें ।

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय, जिस अनुदान पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह वस्तुतः समूची मानवता और मानवजाति से सम्बन्धित है । कृषि ही सबका आधार है । यदि कृषि ठीक से नहीं की जाती है, अन्न का उत्पादन अधिक नहीं कराया जाता है तो निश्चित रूप से मानव जगत भूखों रहकर जी नहीं सकता है । लेकिन उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ा खेद होता है और वह खेद प्रकाश आज ही मैं कर दूं, कृषि मंत्री जी के समक्ष तो मेरा खेद प्रकाश का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है । मात्र इसलिये कि कृषि से सम्बद्ध अनेक विभाग हैं जसे सिंचाई, विद्युत, खाद्य और रसद विभाग और सब विभागों की खांमियां संक्षेप में आज हम यहां व्यक्त करने के लिये बाध्य हैं । किसान खेती करता है और उसका अन्न कितना सस्ता है, कितनी उसकी उपेक्षा है, यह मैं कहना पसन्द नहीं करता हूं । बहुत सी बातें कही गयी हैं, कीमतें बढ़ी हैं, राष्ट्रीय आंकड़ा है, लेकिन किसानों की वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ी हैं । आज जो रोना है वह यही ह कि किसानों से उत्पादित अन्न की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, तो यह विषमता क्यों । जो सब का पोषण करता है आज उसी की सबसे अधिक खराब स्थिति है । तो क्या किसान इसे माफ करेगा, चाहे आलू हो या गन्ना हो या गेहूं और धान की स्थिति हो उसको सभी लोग समझते हैं ।

यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि किसान माफ नहीं करेगा और जब हम लोग चलेंगे चुनाव में तो स्पष्ट हो जायेगा कि किसान क्या कहना और करना चाह रहा है । आज गेहूं कोई खरीदन वाला नहीं है । खाद्य और रसद के अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला लेकिन उस दिन मंत्री जी ने कहा कि बोरियों की लाट लग गयी है और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है । लेकिन प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां कोई भी केन्द्र ठीक से नहीं चल रहा है और गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है । यदि कहीं खरीदा गया होगा तो वह बिचौलियों या बड़े व्यापारियों

संख्या 55--कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या--56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या--57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61--क्षत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या--68 उद्योग विकाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या--95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या--123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या--124 क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम;

के माध्यम से खरीदा गया होगा । बड़े व्यापारी ने गेहूं इकट्ठा करके, 80-85 रुपये की दर से खरीद करके इन क्रय केन्द्रों पर दे दिया होगा । इसको मंत्री जी भी शायद जानते होंगे । सिंचाई विभाग में नहरों एवं नलकूपों की स्थिति कितनी चिन्तनीय है ।

इसके बावजूद भी वास्तव में उत्पादन बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है । लेकिन आज प्रश्न यह है कि जो किसानों से उत्पादित वस्तुयें हैं उनकी कीमतें ठीक से निर्धारित होनी चाहिये और इसके लिए एक दाम नीति बनायी जानी चाहिये । यदि ऐसा नहीं होगा तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा और यह सरकार दाम नीति बनाना नहीं चाहती है । इसलिये यह बात कृषि मंत्री से सुलझने वाली नहीं है । सरकार को तुरन्त दाम नीति निर्धारित करना चाहिए और किसानों से उत्पादित वस्तुओं के दाम की घोषणा कर देना चाहिये । इसके अतिरिक्त इन बातों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा गहन अध्ययन की आवश्यकता है । आज ऐसा अनुदान प्रस्तुत हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण है । आज नहरों की स्थिति क्या है ? पानी देंगे नहीं और लगान ले लेंगे । प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं, वहां हजारों एकड़ भूमि नदियों के कटाव के फलस्वरूप प्रतिवर्ष नष्ट होती जा रही है, हजारों एकड़ भूमि है, उसको उर्वरा बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । मृदा परीक्षण और मिट्टी परीक्षण के लिये आपका जो ग्रुप जाना चाहिये वह अभी तक प्रतापगढ़ में नहीं गया ।

बीहड़ भूमि के सुधार की योजना अगर प्रतापगढ़ में बनाई जाय तो लाखों टन गल्ला बढ़ सकता है । किसानों के हित के लिए आवश्यक है कि कृषि मंत्री जी सभी सम्बन्धित मंत्रियों के साथ बैठकर विचार करें और किसानों के भाग्य का निर्णय सोच समझ कर करें । नहीं तो किसान क्षमा नहीं करेगा इस सरकार को, इन मंत्रियों को और हमको । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि यह जो कृषि विभाग है यह मेहनतकश, गरीब, हरिजन, बनवासी, इन लोगों से सम्बन्ध रखता है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेहनतकश गरीब आदमियों का माननीय मंत्री जी के विभाग में क्या परसेन्टेज है ? इनका जो कृषि निदेशालय है उनमें केवल 4 परसेंट आदमी क्लास 1 में काम कर रहे हैं, 99 कुल हैं उनमें से 4, क्लास-2 में आपके विभाग में 74 अधिकारी हैं और इनमें से केवल एक हरिजन है । क्लास--3 में 15592 कर्मचारी हैं जिसमें से हमारे 677 हैं यानि 4·5 प्रतिशत । अनुसूचित जनजाति का इनके विभाग में जीरो परसेन्टेज है । क्लास--4 में 3378 कर्मचारी हैं जिसमें से 12·6 परसेन्ट हमारे आदमी काम कर रहे हैं । हमारा आरक्षण वहां पूरा नह

[श्री गनेशी लाल चौधरी--]

हुआ है और केवल 2 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है । मैं आपके फल एवं उद्यान निदेशालय को लेलू उसमें 36 क्लास-1 अधिकारी हैं, इनमें से हरिजन और अनुसूचित जाति का परसेन्टेज शून्य है । क्लास-2 में 906 अधिकारी हैं जिसमें से केवल 72 यानी 8 परसेन्ट हमारे काम कर रहे हैं । क्लास-3 में आपके यहां 1004 कर्मचारी हैं जिसमें से 119 यानि 7·4 परसेन्ट हमारे काम कर रहे हैं । अनुसूचित जनजाति के ·1 प्रतिशत काम कर रहे हैं । क्लास फोर में आपके यहां केवल 57 कर्मचारी हैं 725 में 7·6 प्रतिशत कार्य कर रहे हैं ।

मत्स्य विभाग में आप देखें 8 कर्मचारी क्लास फर्स्ट में काम कर रहे हैं इन में केवल एक हरिजन है । परसेन्ट पड़ रहा है 12·5 । क्लास सेकेन्ड में 33 कार्य कर रहे हैं 3·3 परसेन्ट । क्लास 3 में 550 काम कर रहे हैं इसमें अनुसूचित जाति के 39 हैं 17 प्रतिशत हमारे लोग श्रीमन् काम कर रहे हैं । क्लास फोर में 2774 में 534 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग काम कर रहे हैं । विकास आयुक्त के यहां श्रीमन् क्लास फर्स्ट में हरिजन कोई नहीं है । क्लास सेकेन्ड में परसेन्टेज शून्य है । क्लास थर्ड में केवल 11 प्रतिशत । क्लास फोर में केवल 10 प्रतिशत कार्य कर रहे हैं ।

श्रीमन् क्षेत्रीय विकास भी आप का विभाग है । दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्षेत्रीय विकास की सूचनायें अब तक विभाग से राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त ही नहीं हो पाई हैं । आपका विभाग सूचना ही नहीं देता ।

इसी प्रकार चीनी आयुक्त के यहां तीन फर्स्ट क्लास आफीसर हैं जिनमें अनुसूचित जाति का रिप्रिजेन्टेशन शून्य है । श्रेणी दो में 19 हैं, इनमें 21 प्रतिशत रिप्रिजेन्टेशन है । श्रेणी तीन में 353 हैं इनमें 20·7 प्रतिशत है और श्रेणी चार में 145 हैं इनमें 29 प्रतिशत रिप्रिजेन्टेशन है ।

गन्ना आयुक्त के कार्यालय में श्रेणी पहली में 249 आदमी काम कर रहे हैं जिनमें एक आदमी अनुसूचित जाति का काम कर रहा है । श्रेणी दो में 85 हैं जिसमें 12 प्रतिशत रिप्रिजेन्टेशन मिला है । श्रेणी तीन में 11 प्रतिशत रिप्रिजेन्टेशन मिला हुआ है और श्रेणी चार में केवल 13·6 प्रतिशत रिप्रिजेन्टेशन मिला है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि यदि कृषि को बढ़ाना चाहते हैं तो हरिजनों को इन कार्यालयों में काम दें तभी आप की कृषि बढ़ सकती है ।

*श्री ओसान सिंह (जिला इटावा)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं जो कृषि अनुदान पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, जनता पार्टी से किसानों ने बड़ी आशायें लगायी थी । जनता पार्टी ने भी नारा लगाया था कि गांवों की ओर चलो । गांवों के विकास का नारा लगाया था लेकिन अनुचित न होगा यदि कहा जाय कि जनता पार्टी गांवों का विनाश कर रही है . . .।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर अनुचित न होगा अगर कहा जाय कि जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हम किसानों की क्रय शक्ति बढ़ायेंगे, किसानों की जेब मजबूत करेंगे आज किसान की जेब खाली हो रही है, किसान की क्रय शक्ति का शोषण हो रहा है। मैं समझता हूं कि विगत तीस साल में इतना शोषण कभी नहीं हुआ। मान्यवर अनुचित नहीं होगा अगर यह हम कहें कि जनता पार्टी गांवों में किसानों की कब्र खोद रही है। यह लाल फीता शाही के लोग जो उधर बैठे हैं उन लोगों ने साजिस की है और उनके इशारे पर हमारे मंत्री लोग घिर गये हैं। और उनके परामर्श पर काम करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने इन्द्रा कांग्रेस के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया उसी तरह से जनता पार्टी को यह लाल फीता-शाही उखाड़ कर फेंक देगी। गन्ने की स्थिति यह है कि किसान को खेतों में आग लगानी पड़ी। आलू की स्थिति यह है कि खेतों में आलू खुदवाया नहीं गया और बाजार में कुछ किसान छोड़ कर भाग गया क्योंकि उसका किराया तक वसूल नहीं हुआ। धान में भी किसान को 50 रु० क्विन्टल का नुकसान उठाना पड़ा। बिचौलियों ने लाखों रुपया कमाया। जिसकी एक मिल थी उसकी दो मिलें खड़ी हो गयी और जिसकी दो मिलें थी उसकी चार मिलें खड़ी हो गयी। गन्ने में 25 से 40 रुपये कुंटल का नुकसान किसान को उठाना पड़ा। हर दूसरे रोज हाउस में यह मामला आता है कभी नियम 301 में, कभी 51 में 52 में और कभी प्रश्न के रूप में लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। यह लाल फीताशाही उल्टा सीधा जवाब दिलवा कर मन्त्रियों को खुश कर देती है।

मान्यवर, मैं मंडी समितियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन समितियों का गठन हुआ था किसानो के हितों का संरक्षण करने के लिये लेकिन उसका संरक्षण न होकर मंडी समितियां किसानों का भक्षण कर रही हैं। किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा किसानों को उनसे नहीं मिल रही है। छोटे-छोटे व्यापारियों पर गरीबों पर जो किसी तरह से सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं उनका शोषण किया जा रहा है? किसी ने पान की दूकान खोल ली 10,15 रु० लगा कर उस पर मंडी शुल्क लगा दिया किसी ने छोटी सी दुकान खोल ली तो उस पर मंडी शुल्क लगा दिया। तो यह जो मन्डी समितियां किसान के हित के लिए बनाई गई थी आज उनके जरिये उनका शोषण हो रहा है। यह हमारी लोकप्रिय सरकार की स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ। अपना भाषण समाप्त करें। अब श्री मित्र सेन बोलेंगे।

श्री ओसान सिंह--

तीन विभागों के अनुदान पेश किए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं । उसमें ढाई घंटा समय माननीय मन्त्री ने ले लिया । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय इसके लिए और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष --

अभी दो तीन विषय और हैं । गन्ने के विषय में सदन में बराबर ही चर्चा हुआ करती है ।

श्री ओसान सिंह--

जो रोजाना बोलते हैं उनको तो समय दिया जाता है । मैं तीन मिनट ही बोला हूं और एक हफ्ते के बाद मुझे बोलने का मौका दिया गया है । तीन मिनट में मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष --

अब आप समाप्त करें ।

श्री ओसान सिंह--

आपक व्यवस्था के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं । आपने एक हफ्ते में मुझे बोलने का मौका दिया था ।

(श्री ओसान सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष --

यह अनुचित है । यह माननीय सदस्य के लिए सदन की शोभा के अनुकूल नहीं है । इस तरह की कार्यवाही भविष्य में उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए ।

श्री देव बहादुर सिंह(जिला नैनीताल--

संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं । यह बड़ी अशोभनीय बात है । उनको इसे देखना चाहिये कि उनकी पार्टी में अनुशासन रहे ।

श्री उपाध्यक्ष --

मैंने उनको चेतावनी दे दी । भविष्य में ऐसा करेंगे तो बोलने का मौका नहीं दिया जायगा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

उसकी कागनिजेन्स ले ली गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष --

अभी एक एक घंटे की और चर्चायें बाकी हैं ।

मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों की दिक्कतें हैं ...

श्री ओंकार सिंह---

आपने मुझे पूरे सत्र में एक दिन मौका दिया है ...

श्री उपाध्यक्ष --

आप बैठिये ।

श्री ओंकार सिंह---

मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष ---

आप कृपया बैठिए ।

श्री मित्रसेन---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में जो सुझाव और सलाह प्रस्तुत किये गये हैं उनके बारे में मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं । इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, जो सामने आई हैं और हमारे दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इस बजट के सम्बन्ध में किसानों की जो मूल समस्या है, जो गम्भीर समस्या है उसके बारे में उग्र होकर असन्तुष्ट होकर और आक्रोश में अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उस स्थिति में माननीय मन्त्री जी को अपने बजट में गौर करना चाहिए और सुझावों के अनुसार सुधार करने का प्रयास करना चाहिए । मैं इसके अतिरिक्त कुछ सुझाव में और देना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष ---

माननीय सदस्य किसी चीज को दुहरायें नहीं ।

श्री मित्र सेन--

दुहराऊंगा नहीं । मान्यवर गन्ना बिभाग में हर स्तर पर तौल में, पेमेन्ट म, परची वितरण में आमतौर पर और मूल रूप में गड़बड़ी होती है । अगर मंत्री जी चाहें तो इस ओर सुधार कर सकते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मन्त्री जी के ऊपर आरोप लगाया है कि कृषि विभाग में एक अधिकारी है, जो कि माननीय मन्त्री जी का रिस्तेदार है और उन्हीं के जिले का रहने वाला है । मैं चाहता हूं कि उस उच्च अधिकारी को माननीय मन्त्री जी अपने विभाग से हटा देना चाहिए ।

[श्री मित्रसेन]

मंडी समितियों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके अन्दर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और उस सम्बन्ध में मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये चाहूंगा कि जो आपत्तिजनक बातें हैं उनको वे दूर करने का प्रयास करें । शीत गृहों के बारे में जो आलू के गोदामों का प्रश्न है उसमें बहुत शोषण है । जो रेट इन शीत गृहों का है उससे अतिरिक्त लोगों से लेकर आलू जमा किया जाता है । इसलिए हर स्तर पर इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, जिससे आम जनता का शोषण हो रहा है, उसको दूर किया जाय । इस भ्रष्टाचार की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है ।

इसी तरह से ऐग्रो में ट्रैक्टर की बिक्री में, खाद की बिक्री में और 'अन्य चीजों में घाटा दिखाया गया है । जब यह चीज बाहर एजेन्सियों द्वारा मिलती है तो मुनाफा होता है तो एग्रों के स्तर पर घाटा क्यों होता है । इसी तरह से ऐग्रो में बहुत से कर्मचारी हैं, जो 6, 6 महीने से सस्पेन्ड चल रहे हैं और ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको 10–10 और 15–15 साल हो गये हैं, रिटायर होने को हैं किन्तु अभी उन्हें परमानेन्ट नहीं किया गया है । इस ओर मंत्री जी ध्यान दें । इसके अतिरिक्त किसानों को उनकी उत्पाद का लागत मूल्य दिलाने, उनकी फसल के लिए बीमा की योजना चलाने और उसे लागू करने की दिशा में मंत्री जी कदम उठावें और विभाग में भ्रष्टाचार न पनपे, इन बातों को कहते हुये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं ।

*कृषि मंत्री (श्री शिवमंगल सिंह)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचार गंभीरता से सुनने और समझने की कोशिश की । कुछ बातें ऐसी कही गई हैं, जिनके सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि सम्भवत: उनके बातों के औचित्य को माननीय सदस्य स्वयं भी स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन विरोध पक्ष में बैठे हैं इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है उसके लिए मैं उनको दोषी नहीं समझता हूं । लेकिन मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि और विकास इस पिछड़े हुए भारत के लिए ऐसे पवित्र कार्यक्रम हैं, जिनके लिए हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर सोचने की आवश्यकता है । मैं नहीं कहता कि इस देश के अन्दर अनेक क्षेत्रों में कमियां नहीं हैं, भ्रष्टाचार किसी एक विभाग में नहीं हैं । आज भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त है । मैं यह भी कह सकता हूं कि किसी भी देश में भ्रष्टाचार कानून के द्वारा नहीं मिटाया गया, उसके लिए सामाजिक क्रांति जरूरी है, उसके लिए कुछ लोगों को अगुवाई करनी पड़ेगी तब भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है । कानून के माध्यम से या हमारे और आपके माध्यम से यही प्रयास हो सकता है कि हम भ्रष्टाचार की सीमा को जितना भी कम कर सकें उसका पूरा प्रयास करें ।

मैं इस विभाग का मन्त्री होने के नाते, इस सदन के माननीय सदस्यों को यह अश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी विभाग हो चाहे कृषि से सम्बन्धित हो, चाहे क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित हो, चाहे गन्ने से सम्बन्धित हो इनमें जो कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे उनको इस विभाग के अन्दर कोई स्थान नहीं है और भ्रष्ट मार्ग पर चलने वाले अधिकारी चाहे छोटे हों या बड़े वह कड़ी से कड़ी सजा के मुस्तहक हैं । परन्तु जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक कुरीति है इसको दूर करने के लिए जब हम और आप से अभिलाषा है इसके अन्दर हमें आप सब पूर्ण सहयोग प्रदर्शन करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या–56 कृषि विभाग (औद्योनिक विकास), अनुदान संख्या–57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या–121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या–123–कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या–124 क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम ।

कुछ बातें गन्ने के विषय में कही गई अगर इमानदारी से अपने दिल में हाथ रख कर सोचने की कोशिश करें मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूं लेकिन इतना व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं कि जो आपत्ति के दिनों में किसानों को सुविधायें हो सकती थी वह सभी उनको प्रदान की ..

एक सदस्य—

बस मन्त्री जी की यही भूल है ।

श्री शिवमंगल सिंह—

हो सकता है आपका मत हो जितना शोर पिछली बार मचा था, एक मजबूरी जरूर रही कि पिछले वर्ष गन्ना विभाग का भार मुझे ऐसे समय सौंपा गया जब मई का महीना था और गन्ना अन्तिम समय में था, सारी समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार हो सकता है आप समझ सकते हैं, इस वर्ष भी ऐसे समय में कृषि विभाग सौंपा गया जब 10 दिन का मौका आलू के लिए रह गया और 15 दिन का मौका गेहूं खरीदने के लिए रह गया परन्तु मैं इतना अश्वस्थ करना चाहता हूं कि मुख्यतः अपने मित्र माननीय मित्र सेन जी से कहना चाहता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं आप कहीं अधिक बुद्धिमान हैं मेरे से परन्तु इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, आप इस बात को स्वीकार करेंगे । मैं इस प्रदेश के पूर्वांचल जिले का रहने वाला व्यक्ति हूं और यदि सही मायने में उत्तर प्रदेश की गरीबी, बेबशी, बेकारी और निर्धनता के तांडव–नृत्य को आपको देखना है तो वह वहां आप देख सकते हैं । मैं उन किसानों की पीड़ा से भली भांति परिचित हूं । इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा जनता पार्टी की अपनी घोषित नीतियों के अनुसार और उसका एक साधारण कार्य–कर्त्ता होने के नाते मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कृषि विभाग, क्षेत्रीय विकास, गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग द्वारा किसानों का शोषण सम्भव नहीं होने पाएगा । मैं प्रयास करूंगा कि किसी भी प्रकार किसानों को कोई क्षति न पहुंचे । लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एकाध बातों की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो उनकी पैदावार के मूल्य का सवाल है । उसमें यदि किसानों के हित को आपको आंकना है तो आप उस मूल्य को देखें, जिसकी संस्तुति प्रदेशीय सरकार ने केन्द्र से की है । आप उसका उल्लेख करते हैं, जो केन्द्र सरकार ने निश्चय किया है ..

श्री देवबहादुर सिंह—

आपने कितने मूल्य की संस्तुति की थी ?

श्री शिवमंगल सिंह--

वह सब जानते हैं और आप भी जानते हैं । गेहूं की संस्तुति 128 रुपए की की थी । इसमें केन्द्र सरकार को भी कुछ कहने की बात नहीं है । केन्द्र सरकार को पूरे देश की स्थिति को देखकर मूल्य का निर्धारण करना पड़ता है । इसलिए वह हर प्रदेश के मूल्य को सम्भवतः नहीं दिला पाते । लेकिन इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि प्रदेश सरकार किसानों को अच्छा और उचित मूल्य दिलाने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखेगी । मैं ऐसा मानता हूं, जहां हम सन्तोष व्यक्त करते हैं कि हमने कृषि उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया है, फिर भी किसानों की समस्याएं विकट रूप न धारण कर सकें, यदि उसके मार्केटिंग और निर्यात का उचित प्रबन्ध हो । आज उनकी शिकायतें इसी कारण से हमारे बीच में पैदा हुई हैं । मैं स्वयं इस बात को सोच रहा हूं कि हमें इस प्रदेश में मार्केटिंग की व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करना पड़ेगा ।

मैं इस समय आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि जैसे पिछले साल गन्ने के बारे में मैंने विश्वास दिलाया था कि अगले साल में गन्ने की कोई भी समस्या किसानों की नहीं रह जाएगी, और इस वर्ष नहीं है, इसी प्रकार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आलू व गेहूं खरीद की भी कोई समस्या आपके सहयोग और सद्भाव से अगले वर्ष नहीं रह जाएगी । मान्यवर, आज इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के गठन को भी आप समझने की कोशिश की जिए । जनता पार्टी सरकार का गठन एक लोकशाही के सिद्धान्तों पर आधारित है ...

(व्यवधान)

जब तक आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप समस्या का निदान नहीं कर सकेंगे ।

तानाशाही के अन्दर, पुलिस के द्वारा, दमन के द्वारा, आतंक और भय के द्वारा शासन संचालित करते हैं । लेकिन लोकशाही के अन्दर इन चीजों का कोई स्थान नहीं है । लोकशाही के अन्दर सबसे बड़ी शक्ति जनता की शक्ति है । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कृषि, गन्ना विकास, क्षेत्रीय विकास से आपके प्रदेश का नजदीक से सम्बन्ध है इसको इस प्रदेश में चरितार्थ करने के लिए हम सभी माननीय सदस्य के सहयोग, सद्भाव और आशीर्वाद चाहता हूं । जो अपने खामियां बतायी हैं, उसके लिए मुझे दुख नहीं है, खुशी है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि मुझे आप सब माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त है, तो जो आज बहुत सारी खामियां और कठिनाइयां इन विभागों के कार्यकलापों में दिखायी पड़ रही हैं, सम्भवतः अगले वर्षों से देखने का अवसर नहीं मिलेगा । जब तक मैं समझता हूं कि इससे आपको संतोष होना चाहिए । यदि इससे भी संतोष नहीं होता है तो पता नहीं कौन सी बात कही जा सकती है । मैं इसी अपील के साथ माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट में भाग लिया है ।

श्री सत्य प्रकाश--

जरा सा बता दें कि मन्डी समितियों को कब तक गठित करवा देंगे ?

–80 के आय–व्ययक म अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 55–कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 56–कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 57–गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 61–क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 68–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या 95–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 97–कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99–क्षेत्रीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 123–कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124–क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम।

श्री शिवमंगल सिंह—

सम्भवतः आप मन्त्रिमंडल के सदस्य भी रह चुके हैं और इस विधान सभा के सदस्य आज भी हैं। मैंने, जिस समय यह विभाग मुझे सौंपा गया, सम्भवतः हमने उसी समय यह घोषणा कर दी थी, जो 112 मंडी समितियों का मनोनयन रखा है उसको शीघ्र कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने बात कही थी वह समझना चाहिए। मैं इस मनोनयन की प्रथा में बहुत विश्वास नहीं रखता। चूंकि छः महीने, आठ महीने तक उनका कार्यक्रम प्रभावी नहीं हुआ, उस आवश्यकता को छोड़ कर मैं पुनः आपको आश्वासन दे सकता हूं, मैं मंडी समितियों का चुनाव ज्यों ही मतदाता सूची तैयार हो जाती है शीघ्र से शीघ्र कर देने की व्यवस्था कर दूंगा। मैं समझता हूं कि आपको इसमें चिंता करने की बात नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

योग्यता पर शर्त लगाते जा रहे हैं। ज्यों ही "इस प्रकार" इतना विशेषण लगा रहे हैं। वह पूरा होने वाला नहीं है। आप सही रहेंगे। हम लोग सब गलत रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष —

आप सामने बैठे हैं इसलिए।

श्री श्यामधर मिश्र —

इस मन्त्रि मंडल में योग्य मुख्य मन्त्री के ऐसे मंत्री लोग हैं जो कुल विशेषण ही जानते हैं, एडजेक्टिव अधिक जानते हैं। कभी पूरा नहीं होगा।

श्री रामदत्त जोशी—

आप चश्मा ऐसा लगाये हैं कि उल्टा दिखायी देता है।

श्री उपाध्यक्ष —

आप काशी के रहने वाले हैं इसलिए ज्यादा विशेषण लगाने पड़ते हैं।

श्री शिवमंगल सिंह—

मान्यवर, श्यामधर जी ने जो बात कही है, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, पुराने साथी हैं, और सम्भवतः उनको स्मरण होगा कि जब गन्ना विभाग मुझे को सौंपा गया उसी समय मैंने घोषणा की थी कि जो मनोनयन की प्रथा चली आ रही है, उसको समाप्त करके चुनाव करवा देंगे। आज चुनाव सेवा समितियों में हो चुका है। थोड़ी सी समितियों में चुनाव नहीं हुआ उच्च

[श्री शिव मंगल सिंह]

न्यायालय से स्टे ले लिया है या कुछ और कमियां हैं। जब कार्यक्रम को घोषित कर चुके हैं तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए थोड़ा समय जरूर आपको देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष —

श्री मित्रसेन, वापस लेते हैं कटौती का प्रस्ताव ?

श्री मित्रसेन—

वापस करने का सवाल ही नहीं है, जब लागत मूल्य नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष —

समाप्त कीजिये।

श्री मान सिंह आजाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं तो और लोगों को बैठ जाना चाहिये। जब वह बैठ जायें तब सवाल कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी आप बैठिये। मैं प्रश्न उपस्थित करने जा रहा हूं।

श्री शिव मंगल सिंह—

आप लोग ऐसा अन्याय न करें। जवाब तो सुन लें। तो मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो कमियां बतायी गयी हैं अगले वर्ष उनके बारे में शिकायतें सुनने को नहीं मिलेंगी, यह मेरी कोशिश होगी। मान्यवर, मैं अन्त में माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस अनुदान के अन्दर अपने अनूठे सुझाव दिए हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि आप कृषि विभाग, क्षेत्रीय विकास और गन्ना विकास के बजट को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मित्र सेन जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री मित्र सेन—

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं उसका जवाब आप दिलवा दें तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत हो चुका।

श्री मित्र सेन—

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि गन्ने में कितनी गांठें होती हैं, तो मैं वापस ले लूंगा। (हंसी)

अनुदान संख्या 55-कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 56-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 57-गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या 65-क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 68-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या 95-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 97-कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 99-क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 121-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 123-कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 124-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,30,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,58,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,83,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,94,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,07,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,75,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संख्या-55 कृषि विभाग (कृषि) अनुदान संख्या-56 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-57 गन्ना विकास विभाग, अनुदान संख्या-61 क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या-68 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-95 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-97 कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-99 क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या-121 उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या-123 कृषि विभाग ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या-124 क्षेत्रीय विकास विभाग ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 97-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97-कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,45,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अनुदान संख्या 99-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 99-क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,00,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 121—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 123—कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 124—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 124—क्षेत्रीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,50,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 9 जून, 1979 की बैठक में सदन के दिनांक 12, 13 और 14 जून, 1979 के उपवेशनों के कार्यक्रमों में निम्नलिखित परिवर्तनों की संस्तुतियां की हैं :

(1) दिनांक 12 जून, 1979 की पूर्व निश्चित सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव लिए जायं ।

(2) दिनांक 13 जून, 1979 को—

(क) उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव, आधा घंटा,

(ख) पंचवर्षीय योजना 1978–83 तथा वार्षिक योजना 1979–80 के प्रारूप पर चर्चा ।

(3) दिनांक 14 जून, 1979 को सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा बिजली की दरों में वृद्धि के विषय पर नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा रखी जय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष जी ने आज सदन को दी है, सहमत है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, 15 को गैर सरकारी दिवस होगा, जिसकी घोषणा सदन में कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अन्तर्गत है, उसमें कोई तबदीली नहीं होगी।

श्री श्याम धर मिश्र—

चूंकि आप और तारीखों के बारे में कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पूर्व निश्चित कार्यक्रम है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है । 12, 13, 14 में कुछ संशोधन हुए हैं वह बता दिया गया है ।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने आज सदन को दी है । सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आर्यभट्ट की शृंखला में सफलतापूर्वक छोड़े गये उपग्रह 'भास्कर' की उपलब्धि पर भारत सरकार तथा तत्संबंधी देश के महान वैज्ञानिकों को बधाई का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं:—

"यह सदन आर्य भट्ट की शृंखला में सफलतापूर्वक छोड़े गये उपग्रह भास्कर की उपलब्धि पर भारत सरकार एवं इससे सम्बन्धित देश के महान वैज्ञानिकों को बधाई देता है ।"

[श्री मधुकर दिघे—]

मान्यवर, 19 अप्रैल, 1975 को देश के महान वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह अन्तरिक्ष में छोड़ा था उसके उपरान्त यह दूसरा उपग्रह 7 जून, 1979 को छोड़ा गया है और पुराने उपग्रह के बाद इसमें अनेक सफलतायें जुड़ गयी हैं। अबकी बार जो छोड़ा गया है इसकी सम्पूर्ण रचना भारत के वैज्ञानिकों ने की है और इस उपग्रह में कई ऐसे संयंत्र रखे गये हैं जिससे अपने देश में जो आने वाले दिनों में उपलब्धियां होंगी, वह देश के लिये गौरवपूर्ण होगी। अन्तरिक्ष में हम आगे बढ़ रहे हैं यह खुशी का विषय है और जिन महान वैज्ञानिकों ने कार्य किया है उनके प्रति हमका स्वाभाविक ही श्रद्धास्पद होना चाहिए और ऐसे वैज्ञानिकों की सफलता पर बधाई देना है और इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है, हम सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री ने जो बधाई प्रस्ताव रखा है यह इस तरह की शृंखला में दूसरा उपग्रह है। 7 जून को छोड़े गये उपग्रह की शृंखला रही है जो वैज्ञानिक पुराने समय से इस उपग्रह को बनाने में लगे हुए थे लेकिन एक बात विशेष रूप से मुझे महसूस हुई, वह यह कि जो उपग्रह छोड़ा गया है उसमें राकेट का इस्तेमाल जो किया गया वह हमारे वैज्ञानिकों द्वारा नहीं बल्कि बाहरी मुल्क के लोगों द्वारा बनाया हुआ है। पहले भी भेजा गया राकेट विदेशियों द्वारा भेजा गया था इस बार भी जो भेजा गया वह बाहरी लोगों द्वारा भेजा गया। आज 3-4 वर्ष का समय हो गया इसमें तरक्की की गुंजाइश थी जो नहीं हो पायी लेकिन फिर भी जो प्रस्ताव रखा गया है वह वाकई हमारे वैज्ञानिक, जो विशेष रूप से भारत के विकास में, भारत को, अन्तरिक्ष की जो दौड़ है, उसमें शामिल कर रहे हैं, उसके लिए वाकई बधाई के पात्र हैं।

इस उपग्रह में टेलीविजन के 2 कैमरे, बेदर के कैमरे हैं। यह भी पहले में थे उसमें टेलीविजन के कैमरे फिट नहीं थे बेदर की जांच के यंत्र अवश्य थे, आँधी आने के यंत्र, पानी आने के यंत्र थे। जितनी तरक्की होनी चाहिये, जितना विकास होना चाहिये था उससे संतोष तो मुझे नहीं है लेकिन उनके कार्य की प्रशंसा और बधाई तो अवश्य देता हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बेव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों के प्रति बधाई प्रस्ताव रखा है उसके अनुमोदन में कुछ शब्द मैं कहना चाहूंगा। इस शृंखला का प्रारम्भ आय भट्ट से हुआ और उसमें अब जो यह भास्कर छोड़ा गया है। इसमें एक अभूतपूर्व कार्य यह हुआ है कि भारत ने अपने वैज्ञानिकों के सहारे इस भास्कर का निर्माण किया है इसलिए जिन वैज्ञानिकों ने इसके निर्माण में कार्य किया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हम कामना यह करते हैं कि निकट भविष्य में यह भी सुनने को मिलेगा कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा उपग्रह छोड़ेंगे जिसमें भारतीय विचरण करेंगे। वह अभूतपूर्व दिन शीघ्र ही आ सकेगा। इन शब्दों के साथ हम बधाई देते हैं।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मैं नेता सदन का बहुत ही अनुग्रहीत हूं जो उन्होंने इस सम्बन्ध में सदन में प्रस्ताव पेश किया है। मान्यवर, मैंने एक प्रस्ताव इस सदन पर भेजा था :—

"यह सदन भारत के दूसरे उपग्रह "भास्कर" को दिनांक 7 मई, 1979 को सफलता पूर्वक अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित करने के उपलक्ष में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं सोवियत वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देता है ।"

यह प्रस्ताव मैंने किया था । चार सदस्यों का है । वह जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

4 और सदस्यों का नाम भी जोड़ दिया जायेगा ।

श्री देव कुमार—

उसमें माननीय गुलाब सेहरा, माननीय देव बहादुर जी, वर्मा जी ने हस्ताक्षर किया था और हम लोगों ने प्रस्तुत किया था । मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता की तरफ से यह सदन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह निहायत अविलम्बनीय है । मान्यवर, इस परिपेक्ष्य में जबकि हमारे वैज्ञानिक सोवियत वैज्ञानिकों की सहायता से यह कार्य कर रहे हैं हमारी हार्दिक इच्छा है कि वह इसमें खरे उतरें । सोवियत वैज्ञानिकों के सहयोग से अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्ष में गया है । मुझे पूरी उम्मीद है और हमारे प्रदेश की जनता को यह उम्मीद है कि सोवियत वैज्ञानिकों की सहायता से अन्तरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक तरक्की करेंगे । जिससे आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हो सके । मेरी इच्छा है कि निकट भविष्य में हमारे वैज्ञानिक इस लायक हो सकेंगे कि वह स्वतंत्र रूप से इस कार्य को कर सकें । इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं ।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि इस देश को दिया है उसके लिए वह वास्तव में बधाई के पात्र हैं । इन शब्दों के साथ हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन आर्य भट्ट की श्रृंखला में सफलता पूर्वक छोड़े गये उपग्रह भास्कर की उपलब्धि पर भारत सरकार एवं इससे सम्बन्धित देश के महान वैज्ञानिकों को बधाई देता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ ।)

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, यह बधाई संदेश वहाँ भेज दिया जाय ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 11 माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें मैंने श्री हरि केवल प्रसाद, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री श्रीनारायण, श्री देव बहादुर सिंह, श्री बाबू राम शुक्ल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रेवती रमण

[श्री उपाध्यक्ष]—

रस्तोगी, श्री देव कुमार, श्री अजीत सिंह सेठी, श्री बृज बल्लभ, श्री गनेशीलाल चौधरी, श्री मित्रसेन की सूचनाएं कानपुर में एक कोल्ड स्टोरेज के ढह जाने के सम्बन्ध में हैं । यह नियम 56 में आया था उस समय मैंने कहा था कि इसके बारे में सरकार की ओर से वक्तव्य आज सदन उठने के पहले दे दिया जाय ।

श्री राम सजीवन, श्री श्यामधर मिश्र, श्री राजपति मिश्र, उनकी सूचना मैंने अस्वीकृत की है ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

हमने तो नियम 52 में दे रखा है ।

एक सदस्य—

वह कोल्ड स्टोरेज में चली गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आज हमारे सामने नहीं आया, आपने समय निकलने के बाद दिया होगा ।

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

मान्यवर, इसमें सरकार ने कोशिश किया परन्तु पूरी सूचना अभी नहीं उपलब्ध हो पायी है । मैं अनुरोध करूंगा कि सोमवार तक का समय दे दें । सोमवार को सूचना दे दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण घटना है । कानपुर और लखनऊ में दूरी ही कितनी है । आप समय की मांग करके जो समस्या की गम्भीरता है उसको समाप्त कर रहे हैं । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन के सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये आज ही वक्तव्य देने के लिए आप उनसे अनुरोध करने की कृपा करें । यह मेरा स्पष्ट आरोप है कि समस्या को दुर्लक्षित करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

पूरी सूचना नहीं है तो सोमवार को दे देंगे ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, शासन का यह विचार था कि सम्पूर्ण तथ्यों को लेकर सदन के समक्ष उपस्थित किया जाय । मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं, उनकी व्यग्रता में सम्मिलित हूं कि उचित है । वह चाहते थे कि सदन को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया जाय इसलिए मन्त्री जी ने आपके सामने अपनी बात रखी । वैसे तो थोड़ी बहुत जो बातें आ गई हैं अगर आप चाहते हैं तो मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूं ।

मान्यवर, गोल्डेन आइस एन्ड कोल्ड स्टोरेज नाम की जो बिल्डिंग थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वैसे तो ठीक है, मन्त्रि मंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व है, वे उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कृषि मन्त्री जी स्वयं उपस्थित हैं तो क्या कोई दूसरा मन्त्री उत्तर दे सकता है ? इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री दे सकते हैं ।

शिव राजपुर कानपुर में कोल्ड स्टोरेज के ढ़ह जाने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, ऐसा है कि इसके दो हिस्से हैं । कृषि मन्त्री जी सम्पूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में रखेंगे । मैं कुछ प्रश्नों को रखे दे रहा हूं जो मुझे टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुये हैं ।

मकबूल आलम साहब का जो कोल्ड स्टोरेज शिवराजपुर में था वह गिर गया । उसमें 32 मजदूर जो काम कर रहे थे उनके सम्बन्ध में सूचना है कि उसमें से 6 को चोटें लगी हैं और 14 की मृत्यु हुयी है । जिनकी डेड बाडीज प्राप्त हो चुकी हैं । दो आदमियों के बारे में जानकारी हो पाई है कि वह निकल गये हैं लेकिन ट्रेस नहीं कर पाये हैं । अन्य लोगों के बारे में जानकारी, कि मलवे के नीचे कितने लोग हैं, इसकी कोशिश की जा रही है । हमारे जितने अधिकारी डी० एम०, एस० एस० पी० और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गये थे । वहां पर दो प्रमुख व्यवस्था की गयीं । एक तो मलबे के अन्दर दबे हुये व्यक्तियों को निकालने का काम और दूसरे जो आलू सड़ सकता था, वहां मलवा साफ करने का काम शुरू कर दिया और तथ्यों को मंगवाने के लिए कृषि मन्त्री ने कहा है वह सोमवार को दिए जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कृषि मन्त्री जी आप 11 तारीख को जब पूरे तथ्य आपके पास एकत्रित हो जायें तो फिर आप वक्तव्य दे दें ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गयी है ?

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

इस कोल्ड स्टोरेज की स्थिति बहुत खराब थी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी के पास अभी पूरी सूचना नहीं है इसलिए वह जब आ जायेगी तब बतायेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मृतक के परिवारों की आर्थिक सहायता की कोई घोषणा मन्त्री जी ने किया है कि नहीं ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

मान्यवर, यह कोल्ड स्टोरेज के मालिक की जिम्मेदारी है और उनसे कहा जायेगा क्योंकि वैसे भी जो लेबर के कानून हैं उसमें क्षतिपूर्ति करना चाहिये, और यदि कोल्ड स्टोरेज का मालिक नहीं करेगा तो उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से अवश्य सहायता दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, इस पहलू से मन्त्री जी जांच करायें कि कोल्ड स्टोरेज बन गया, सरकार से प्रमाण-पत्र आलू रखने के लिए मिल गया कि वह फिट है, तो फिर किन परिस्थितियों में इतनी जल्दी वह गिर गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री बनारसी दास--

जब तक पूर्ण रिपोर्ट न आ जाय तब तक क्या कहें । वैसे कल हरिकृष्ण जी मुझसे कह कर गये थे । मैंने उनसे कल कहा था कि फिलहाल जो मर गये हैं उनको दो-दो हजार रुपये दे दिया जाय और कोल्ड स्टोरेज के मालिक से हम कहेंगे कि यह उनका फर्ज है कि जिन लोगों की मृत्यु हुयी है या जिनको चोटें लगी हैं उनकी मदद करें । इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो हम देंगे ।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज की छत नीचे आ गई है और उसके नीचे 42 हजार बोरे आलू दबा पड़ा है और वह नष्ट हो जायेगा । तो क्या मुख्य मन्त्री जी ने कोई निर्देश दिया है कि आलू निकाल लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं । मलबे से पहले आदमी निकल आवें तब आलू निकल आयगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा और श्री रमेश चन्द्र की नियम 51 में जो सूचना, बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में दो नवयुवकों द्वारा आमरण अनशन किए जाने के सम्बन्ध में है, उसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और वक्तव्य 15 तारीख तक शासन को दे देना चाहिये । शेष सूचनायें अस्वीकृत हैं ।

कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सात राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में पूरक परीक्षा समय से न होने के कारण उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

कानपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कार्यालय सहायक श्री राकेश रंजन पांडेय, दिनांक 11 मई, 1979 को लखनऊ–मानिकपुर एक्सप्रेस से आयुर्वेदिक (बी0 एम0 एस0) पूरक परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न–पत्र आदि लेकर वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष एवं प्राचार्य, आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कराने जा रहे थे। बांदा स्टेशन से कुछ ही दूर चलने के पश्चात् एक व्यक्ति ने झपटट एमार कर बैग को उठाया और चलती गाड़ी से कूद गया। इस पर श्री पांडेय ने शोर मचाया तथा गाड़ी को रोकने का प्रयास भी किया किन्तु अज्ञात खराबी के कारण गाड़ी नहीं रुकी। श्री पांडेय ने उक्त घटना की रिपोर्ट जी0 आर0 पी0 बांदा में 11 मई, 1979 को ही कर दी।

2—उक्त सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पिछले 11 वर्षों से विश्व विद्यालय से प्रश्न–पत्र व्यक्तिगत रूप से केन्द्राध्यक्षों को भेजे जाते रहे हैं कि कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। इस बार यह एक अकस्मात घटना घटि तु हुई है। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार नये प्रश्न–पत्र तैयार कराकर विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त पूरक परीक्षा अब 25 जून, 1979 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या आप अपने वक्तव्य के अनुसार जिस झपट्टा मार कर भागने वाले व्यक्ति ने सैकड़ों छात्रों का जीवन बरबाद किया है। उसके अभी तक न पकड़े जाने के कारण क्या है, यह बतायेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मेरे पास जो सूचना है, वह यही है कि झपट्टा मारा गया और जो पांडेय जी इसको ले जा रहे थे, तुरन्त उन्होंने जी0 आर0 पी0 के यहां रिपोर्ट लिखाई। इसमें जांच हो रही है। जब कभी प्रश्न–पत्र किसी तरह से गायब हो जाते हैं तो दूसरा प्रश्न–पत्र बनाया जाता है। अब दूसरे प्रश्न–पत्र के साथ 25 जून, से परीक्षायें शुरू करने का निर्णय लिया गया ह।

श्री सुरेन्द्र पाल—

पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को अगले वर्ष का कोर्स भी कवर करना पड़ता है और पूरक परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अब चूंकि समय भी कम है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, काफी समय लगेगा और सेशन जीरो होने की भी संभावना है। तो क्या मन्त्री जी जीरो सेशन की संभावना से बचाने के लिए इस आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय सदस्य को तो बधाई देनी चाहिये कि कानपुर विश्वविद्यालय ही ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर समय पर परीक्षायें हो रही हैं और तमाम छात्र परीक्षा में बैठे हुए हैं। इन लोगों को तो पहले ही परीक्षा में बैठना था अब

[श्री शिवानन्द नौटियाल –]

तो उनको और समय मिल गया है, अच्छी तरह से बैठेंगे । कानपुर विश्वविद्यालय में जीरो सेशन होने का कोई सवाल नहीं है । 17 तारीख को बी० ए० और बी० एस० सी० की परीक्षायें समाप्त हैं और अगला सेशन जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)––

माननीय, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राकेश रंजन पांडे अपने बाल–बच्चों सहित प्रश्न–पत्रों को स्टेशन पर छोड़कर चले गये थे और कुछ दूर जाने पर जब उनको याद आया कि प्रश्न–पत्र गाड़ी में छूट गये हैं और वापस आने पर जब उन्होंने देखा कि प्रश्न–पत्र नहीं हैं तब उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई ? क्या इस मामले की रिपोर्ट किसी दूसरी एजेंसी से करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल––

जो सूचना मेरे पास थी उसके अनुसार ऐसा नहीं हुआ है और जो नियमित कार्यवाही की जानी चाहिये थी, वह कर दी गई थी ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

मन्त्री जी ने यह बात स्वीकार की है कि उनकी नेग्लीजेंस है यानी उनके सचेत न रहने की वजह से झपट्टा मारकर प्रश्न–पत्र ले गया । तो क्या आपने उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्यवाही की असावधानी के लिए ?

श्री शिवानन्द नौटियाल––

माननीय, मैंने पहले ही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है । उस डिब्बे में स्वयं अतर्रा के डा० कमलाकान्त पांडेय और बृज किशोर त्रिपाठी भी उस समय उसी कम्पार्टमेंट में थे । जब वह झपट्टा मारकर ले गया और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई तो इन लोगों ने भी उसमें गवाही दी है ।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)––

माननीय, प्रश्नकर्ता सदस्य ने कहा कि उनकी निजी जानकारी है । इस सदन की यह परम्परा रही है कि यदि कोई सदस्य कहे कि मेरी निजी जानकारी है तो उसे न मानने का कोई सवाल नहीं उठता है । मैं भी यह कहना चाहता हूं कि यदि श्री पांडेय की रिपोर्ट झूठी पाई गई तो यह एक बहुत गम्भीर मामला हो जाएगा । क्या मन्त्री जी इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल––

मैं तो यह समझता हूं कि जो यहां गवाहियां दी गई हैं, वह भी अतर्रा के गणमान्य व्यक्ति हैं और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि उनकी निजी जानकारी है तो उसको वे लिखकर दे दें तो उस पर विचार कर लिया जाएगा ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि एक महीना इस घटना को हो गया तो पुलिस ने अभी तक कोई विवेचना की और विवेचना का नतीजा क्या है और कोई गिरफ्तारी अभी तक इस सम्बन्ध में हुई है कि नहीं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इस के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जो विभाग की तरफ से विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यवाही होनी चाहिये वह तो कर दी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और 11 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर सोमवार, दिनांक 11 जून, 1979 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव,

विधान सभा, उ० प्र० ।

लखनऊ, दिनांक 9 जून, 1979 ।

विधान भवन